



HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
 "Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
 46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
 Dehradun (Uttarakhand)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Status Report in compliance of order dated 12.10.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of Execution Application No. 27 of 2023 (Shashikant Purohit- Applicant) in O.A. No. 561 of 2022 titled as "Urvashi Shobhna Kachari Versus Union of India & Ors."

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1.	Index	1 - 1
2.	Status Report.	2 - 20
3.	ANNEXURE-1: Reply submitted by District Magistrate, Chamoli dated 28.12.2023.	21 - 38
4.	ANNEXURE-2: Reply submitted by District Magistrate, Rudraprayag dated 30.12.2023.	39 - 118
5.	ANNEXURE-3: Reply submitted by District Magistrate, Uttarkashi dated 02.01.2024.	119 - 160
6.	ANNEXURE-4: Photographs and media coverage of Environmental awareness activities of UKPCB in Chardham Routes.	161 - 164

Place: Dehradun

Date: 03.01.2024


 (S. K. Pattnaik)

Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board
Dehradun (Uttarakhand)

STATUS REPORT

Execution Application No. 27 of 2023

In

Original Application No. 561 of 2022

(M.A. No. 54 of 2023)

Urvashi Shobhna Kachari Applicant

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

Shashikant Purohit Applicant in EA

I. BACKGROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of E.A. No. 27 of 2023 in O.A. No. 561 of 2022, Urvashi Shobhna Kachari Versus Union of India Ors. *inter alia* issued following directions on 12.10.2023:

xxx.....xxx.....xxx

6. Let the appropriate steps be taken by the concerned authorities to comply the earlier directions of the Tribunal keeping in view the deficiencies which have been pointed out in the chart filed today, as also the submission of Counsel for applicant noted above.

xxx.....xxx.....xxx

2. In compliance of orders dated 08.02.2023 and 08.08.2023, action taken report has already been filed on behalf of Uttarakhand Pollution Control Board as well as State of Uttarakhand on dated 29.08.2023 and 01.09.2023, respectively. Further, in compliance of order dated 12.10.2023 passed by Hon'ble NGT compliance status is as given below:

II. COMPLIANCE STATUS

In compliance of above said order of the Hon'ble NGT, the concerned District Magistrates have submitted its compliance status. Point wise compliance is given as below:

**1. Hemkund Sahib Track:
District Chamoli**

Action Points	Action Taken
A. Take effective remedial measures	Necessary effective measures have been taken by the Concerned authorities for smooth operation of Chardham yatra.
B. Formulate a Joint Committee and take stock of the situation and prepare road map.	Formation of Joint Committee was done vide office memorandum no. I/104723/XXXVIII-1-2023 dated 06.03.203.
C. Formulation Action Plan and undertake site visit and interact with stakeholders. Action Plan encompass-	
<p>i) Limiting Number of vehicles and type of vehicles, number of tourists consistent with the carrying capacity of eco-sensitive areas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ The Uttarakhand Government has made mandatory provisions of online registration of pilgrims/tourists who are coming to the Chardham Yatra. Once the registration process is complete, pilgrims are assigned unique QR codes for further verification. ▪ In order to facilitate smooth operation of the Chardham Yatra, daily weather forecasts are also published and are being broadcasted through electronic and print media on a regular basis. ▪ Prior registration process would limit the numbers of pilgrims/tourists as well as number of vehicles on the Chardham routes. Appropriate parking space is being earmarked for parking of vehicles at various locations. ▪ Appropriate parking arrangement for vehicles have been made at Govindghat (2 Nos.) and Pulna.
<p>ii) Number of equine/mules consistent with the carrying capacity of eco-sensitive area:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hemkund Sahib track is divided into two part i.e Pulna to Ghanghariya and Ghanghariya to Hemkund Sahib. Registration of Equines/Mules is being carried out through EDC, Bhundar, a local group designated by <i>Zila Panchayat, Chamoli</i>, and only registered Equines/Mules are permitted to operate in

	<p>Hemkund Sahib route through rotation basis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A total of 1120 Equines/Mules were permitted for the year 2023. ▪ Two team of Veterinary doctors were posted at Pulna and Ghanghariya for vaccination and regular check of Equines/Mules. ▪ In case of death of Equines/Mules, <i>post-mortem</i> is done in presence of owner of Equines/Mules, EDC member and Veterinary doctor. Carcass is disposed through deep burial. ▪ Regular check-up of Equines/Mules is done by Veterinary doctors posted at Pulna and Ghanghariya, assisted by EDC members posted along the track.
<p>D. Review and plan infrastructure for:</p>	
<p>i) Waste management.</p>	<p>The EDC, Bhundar is engaged for waste management along the Hemkund Sahib track.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 17 permanent and 04 temporary toilets were made along the track and maintenance/cleaning is done by EDC, Bhundar. Soak pits have been made for disposal of wastewater. No sewage treatment plant is located in the track. ▪ For disposal of dung generated by Equines/Mules, 12 pits were made and organic solution also used to control odor and increase decomposition. ▪ 50-60 "<i>Paryavaran Mitra</i>" were engaged by EDC for waste collection and management. ▪ Plastic waste is segregated by <i>Paryavaran Mitra and sent to collection Centre</i>. Collected waste is compacted through Plastic Waste Compactor located at Pulna and sent for recycling.

<p>ii) Fast disposal of dead mules and other measures for protection of flora and fauna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In case of death of Equines/Mules, <i>post-mortem</i> is done in presence of owner of Equines/Mules, EDC member and Veterinary doctor. This process make ease of getting insurance claim. Carcass is disposed through deep burial at remote area under supervision of EDC Member. ▪ EDC undertake disposal of dead Equines/Mules. Estimated cost of disposal of dead Equines/Mules is about Rs. 3000 per dead body, which includes digging and salt etc. Post burial visit also undertaken by EDC members. ▪ Regular check-up of Equines/Mules is done by Veterinary doctors posted at Pulna and Ghanghariya, assisted by EDC members posted along the track. ▪ Water tanks also made for Equines/Mules along the track.
<p>iii. Safety precautions and determining CCTV camera locations.</p>	<p>EDC office is located at Ghanghariya and equipped with CCTV. Hotels located along the Ghanghariya also provided CCTV. Police officials also use CCTV footage as and when warranted.</p>
<p>iv. Preparing SoP and display boards with Dos and Don'ts.</p>	<p>Display/Signage have been provided along the track regarding Do's & Don'ts. Around 100 display boards have been installed along the yatra track.</p>
<p>iii) Demarcation of areas where activities incompatible with environment are prohibited/regulated.</p>	<p>Forest Department also depute officials at Pulna, Bhundyar and Ghanghariya for monitoring. In case of violation observed, penalty of Rs. 500/- is levied by Forest department.</p>
<p>iv) Source of funds to sustain regulatory measures, traffic management at suitable locations, compliance of environmental norms including Water Act, Air Act, & E (P) Act.</p>	<p>EDC is self-sustaining agency and undertake registration of Equines/Mules, operation of barrier and collection of tariff from tourists/pilgrimage. Waste management also undertaken by EDC.</p> <p>River Bhundar runs along the Hemkund Sahib track and join the River Alaknanda at Govindghat. The nearest water quality</p>

	<p>monitoring station located on river Alaknanda is Vishnuprayag, which is about 7.2 Km. downstream of Govindghat. Regular water quality monitoring is being carried out by the Uttarakhand Pollution Control Board at Vishnuprayag on monthly basis. Water quality monitoring data indicated the water quality of Class "A" as per Designated Best Use (DBU) Criteria of Central Pollution Control Board.</p>
<p>v) Imparting awareness and education to tourists, inhabitants and operators.</p>	<p>For the purpose of awareness, displays/signage/banners have been provided along the track. Documentary is also screened at EDC office Ghanghariya for tourist not to pollute and maintaining cleanliness. Loudspeaker is also prohibited in Valley of Flower area.</p>
<p>E. Discouraging use of food and products packaged in non-biodegradable packaging material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forest official are positioned at Pulna, Bhundyar and Ghanghariya for monitoring and surveillance. In case of violation observed, penalty of Rs. 500/- is levied by Forest department. ▪ Equines/Mules's dung is managed by EDC and 2 pits were made for dung disposal and organic solution also used to control odor and faster decomposition. ▪ 50-60 "<i>Paryavaran Mitra</i>" were engaged by EDC for waste collection and management. ▪ Plastic waste is segregated by <i>Paryavaran Mitra and sent to collection Centre</i>. Collected waste is compacted through Plastic Waste Compactor located at Pulna and sent for recycling. ▪ About 50 Ton plastic waste were collected by EDC in the year 2023 yatra period and sent for recycling.
<p>F. Execute and duly monitor the Action Plan, which may be revised periodically.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EDC, Bhundar works under the supervision and guidance of Director, Nandadevi National Park, Joshimath and Zila Panchayat, Chamoli. Effective monitoring is done by concern department.

<p>G. Set up Waste Processing /Management facilities for biodegradable and non-biodegradable waste at appropriate locations, using best practices on the subject.</p>	<p>The EDC, Bhundar is engaged for waste management along the Hemkund Sahib track.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 17 permanent and 04 temporary toilets were made along the track and maintenance/cleaning is done by EDC, Bhundar. Soak pits have been made for disposal of wastewater. No sewage treatment plant is located in the track. ▪ For disposal of dung generated by Equines/Mules, 12 pits were made and organic solution also used to control odor and increase decomposition. ▪ 50-60 "Paryavaran Mitra" were engaged by EDC for waste collection and management. ▪ Plastic waste is segregated by <i>Paryavaran Mitra and sent to collection Centre</i>. Collected waste is compacted through Plastic Waste Compactor located at Pulna and sent for recycling. ▪ Waste grinding machine and two plastic bottle crusher have been installed and Ghanghariya with assistance of DFO, Nandadevi Biosphere Reserve (NDBR) and one plastic compactor machine is established at Pulna. Collection and disposal of 50 Ton plastic waste during 2023 yatra period is an indication of effective collection and disposal mechanism of solid/plastic waste along the Hemkund Sahib track.
<p>H. Allocate requisite funds at District and Gram Panchayat level for execution of action plan under the final; supervisions of Chief Secretary.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EDC is self-sustaining agency and undertake registration of Equines/Mules, operation of barrier and collection of tariff from tourists/pilgrimage. Waste management also undertaken by EDC. ▪ However, Zila Panchayat, Chamoli also provide assistance for smooth operation of yatra.

Reply submitted by District Magistrate, Chamoli is enclosed as **ANNEXURE-1**.



**2. Kedarnath Yatra Route:
District Rudraprayag**

Action Points	Action Taken
A. Take effective remedial measures	Necessary effective measures have been taken by the Concerned authorities for smooth operation of Chardham yatra.
B. Formulate a Joint Committee and take stock of the situation and prepare road map.	Formation of Joint Committee was done vide office memorandum no. I/104723/XXXVIII-1-2023 dated 06.03.203.
C. Formulation Action Plan and undertake site visit and interact with stakeholders. Action Plan encompass-	
<p>i) Limiting Number of vehicles and type of vehicles, number of tourists consistent with the carrying capacity of eco-sensitive areas.</p>	<p>For Kedarnath Yatra route:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zila Panchayat, Rudraprayag provided parking arrangement for 500 Four wheelers and 150 two wheelers at Soneprayag and for 150 four wheelers at Sitapur. ▪ Police Department also identified temporary parking places at Gulabrai ground, Rudraprayag; Agustyamuni ground at Agustyamuni town and Chandrapuri-Syalsaur. ▪ Traffic Police also identified danger zones in National highway between Rudraprayag to Soneprayag. ▪ Pilgrims/tourists vehicles are permitted up to Soneprayag only. Thereafter, 100 four vehicles are allowed to operate up to Gaurikund, while 50 vehicles are kept in reserve. ▪ The Uttarakhand Tourism Development Board has developed web-portal for registration of pilgrims. Verification is done at Soneprayag before movement to Kedarnath dham. ▪ Traffic Police has identified traffic congestion points and depute traffic police / civil police for traffic management.
<p>ii) Number of equine/mules consistent with the</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registration of Equines/Mules is done by Zila Panchayat, Rudraprayag after health check-up and issuance of certificate by veterinary



<p>carrying capacity of eco-sensitive area:</p>	<p>doctors.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ License for plying of Equines/Mules is issued after testing of <i>Glanders</i> disease and insurance under "<i>Pashudhan Bima</i>". Ear tagging is also done before issue of license. ▪ Digital Identification Card were also issued to hawkers/owners and RFID tagging of Equines/Mule is done to locate their actual location. ▪ 7 Veterinary doctors & 5 Para-veterinary staff were posted at along Kedarnath yatra route for health check-up of Equines/Mules. ▪ A total of 5848 nos. sample for testing of <i>Glanders</i> disease were taken. <i>Glanders</i> positive Equines/Mules were not permitted to operate. ▪ In case of death of Equines/Mules, after completing due procedure, carcass is disposed by agency i.e. Sulabh International through deep burial, as per Standard Operation Procedure (SOP). ▪ 17 Luke water tanks were also made for Equines/Mules and Mules Task Force personnel also deputed ▪ The State government has permitted only 5000 Equines/Mules for plying in Kedarnath yatra route. However, through RFID tagging, it is ensured that the maximum permissible number do not increase at any point of time. The Mules Task Force also ensures the prevention of cruelty against Equines/Mules. In case of any cruelty observed then challan is issued and further action of debarment of the owners of Equines/Mules is done.
<p>D. Review and plan infrastructure for:</p>	
<p>i) Waste management.</p>	<p>Sulabh International was engaged for waste management along the Kedarnath yatra track.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 28 permanent toilets having 308 toilet seats with soak pits facility and 251 steel framed toilets with leach pits have been made for disposal of



	<p>wastewater. No sewage treatment plant are located in the track. However, Sewage Treatment Plant in Kedarnath dham is under construction.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ For disposal of dung generated by Equines/Mules, dung pits were made. Further, composting is done at Rampur. Appropriate manpower is deputed for cleaning of dung. ▪ <i>Paryavaran Mitra</i> were engaged by Sulabh International and Nagar Panchayat, Kedarnath for solid waste management. <i>Paryavaran Mitra</i> were also deputed various towns located along the yatra route. ▪ Plastic waste is segregated by <i>Paryavaran Mitra</i> and sent to collection Centre located at Gaurikund and Soneprayag. Collected waste is compacted through Plastic Waste Compactor and sent for recycling. ▪ Use of banned Single Use Plastic (SUP) items is strictly followed.
<p>ii) Fast disposal of dead mules and other measures for protection of flora and fauna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In case of death of Equines/Mules, <i>post-mortem</i> is done by Veterinary doctor. Carcass is disposed through deep burial at identified areas under supervision of Sulabh International, as per SOP. ▪ Regular check-up of Equines/Mules is done by Veterinary doctors posted at various locations. ▪ Luke water tanks were also made for Equines/Mules along the yatra route.
<p>iii) Safety precautions and determining CCTV camera locations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Police department has provided 65 CCTV cameras at various locations which are connected with concerned Police Chowki. ▪ Apart from above, 16 PTZ cameras and 12 fixed cameras are installed with record back-up facilities. All cameras are connected with control room at Police Control Room, Soneprayag and other offices. ▪ CCTV cameras help in management of traffic, parking, Equines/Mules operation, Safety of pilgrims in Kedarnath track, watch on landslide



	<p>prone/sensitive areas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mobile based App is prepared for operation and health checkup status of Equines/Mules. Said App is access to veterinary doctors and Officials responsible for yatra management. ▪ SIP based public address system is also provided for and access is given to Police Control Room, Yatra Control Room and District Disaster Management Office, Rudraprayag.
iv) Preparing SoP and display boards with Dos and Don'ts.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Display/Signage have been provided along the yatra route regarding Do's & Don'ts. ▪ Public Address System also provided to information disseminations and communication etc.
v) Demarcation of areas where activities incompatible with environment are prohibited/regulated.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forest Department also depute officials along the yatra track. Forest department has reported 15 cases of illegal encroachment of forest area along the track and levied penalty of Rs. 12,94,500.00
vi) Source of funds to sustain regulatory measures, traffic management at suitable locations, compliance of environmental norms including Water Act, Air Act, & E (P) Act.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ For appropriate management, yatra track is divided into 4 zones and budget is allocated for yatra management as well as waste management. ▪ River Mandakini runs along the Kedarnath yatra track and join the River Alaknanda at Rudraprayag. The nearest water quality monitoring station located on river Mandakini is at Rudraprayg before confluence with river Alaknanda. Regular water quality monitoring is being carried out by the Uttarakhand Pollution Control Board at Rudraprayag on monthly basis. Water quality monitoring data indicated the water quality of Class "A" as per Designated Best Use (DBU) Criteria of Central Pollution Control Board.
vii) Imparting awareness and education to tourists, inhabitants and operators.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ For the purpose of awareness, displays/signage/banners have been provided along the track. ▪ SIP based public address system is also provided for and access is given to Police Control Room, Yatra Control Room and District

	Disaster Management Office, Rudraprayag. Information/Message dissemination is done through these system.
E. Discouraging use of food and products packaged in non-biodegradable packaging material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banned single use plastic items are prohibited in Kedarnath dham. Nagar Panchayat, Kedarnath has levied penalty of Rs. 39,800.00 through 69 challans. ▪ Waste bins were made compulsory in all vehicles. ▪ For disposal of dung generated by Equines/Mules, dung pits were made. Further, composting is done at Rampur. Appropriate manpower is deputed for cleaning of dung. ▪ <i>Paryavaran Mitra</i> were engaged by Sulabh International and Nagar Panchayat, Kedarnath for solid waste management. <i>Paryavaran Mitra</i> were also deputed various towns located along the yatra route. ▪ Plastic waste is segregated by <i>Paryavaran Mitra</i> and sent to collection Centre located at Gaurikund and Soneprayag. Collected waste is compacted through Plastic Waste Compactor and sent for recycling. ▪ Use of banned Single Use Plastic (SUP) items is strictly followed. ▪ Digital Direct Refund System is implemented in Kedarnath dham for collection and disposal of plastic waste.
F. Execute and duly monitor the Action Plan, which may be revised periodically.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ For effective monitoring of yatra, Sector Magistrate / Assistant Sector Magistrate are appointed which ensure safe yatra management as well as cleaning arrangement etc.
G. Set up Waste Processing /Management facilities for biodegradable and non-biodegradable waste at appropriate locations, using best practices on the	<p>Sulabh International was engaged for waste management along the Kedarnath yatra track.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 28 permanent toilets having 308 toilet seats with soak pits facility and 251 steel framed toilets with leach pits have been made for disposal of wastewater. No sewage treatment plant are located in the track. However, Sewage Treatment Plant in Kedarnath dham is under

<p>subject.</p>	<p>construction.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ For disposal of dung generated by Equines/Mules, dung pits were made. Further, composting is done at Rampur. Appropriate manpower is deputed for cleaning of dung. ▪ <i>Paryavaran Mitra</i> were engaged by Sulabh International and Nagar Panchayat, Kedarnath for solid waste management. <i>Paryavaran Mitra</i> were also deputed various towns located along the yatra route. ▪ Plastic waste is segregated by <i>Paryavaran Mitra</i> and sent to collection Centre located at Gaurikund and Soneprayag. Collected waste is compacted through Plastic Waste Compactor and sent for recycling. ▪ Use of banned Single Use Plastic (SUP) items is strictly followed. ▪ Waste disposal facility/MRF is under construction at Kedarnath, where biodegradable and non-biodegradable waste would be segregated. ▪ Two MRF facilities namely at Kedarnath dham, and Trijuginarayan Marg and waste processing center of Soneprayag were made operational through third party/agency.
<p>H. Allocate requisite funds at District and Gram Panchayat level for execution of action plan under the final; supervisions of Chief Secretary.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Requisite funds have been allotted for agencies engaged in waste management as well as cleanliness activities.

Reply submitted by District Magistrate, Rudraprayag is enclosed as ANNEXURE-2.



3. Gangotri & Yamunotri Track:
District Uttarkashi

Action Points	Action Taken	
	Gangotri Track	Yamunotri Track
A. Take effective remedial measures	Necessary effective measures have been taken by the Concerned authorities for smooth operation of Chardham yatra.	
B. Formulate a Joint Committee and take stock of the situation and prepare road map.	Formation of Joint Committee was done vide office memorandum no. I/104723/XXXVIII-1-2023 dated 06.03.203.	
C. Formulation Action Plan and undertake site visit and interact with stakeholders. Action Plan encompass-		
Limiting Number of vehicles and type of vehicles, number of tourists consistent with the carrying capacity of eco-sensitive areas.	Parking of About 250-300 vehicles is available at Gangotri dham.	Parking facility for 200-250 vehicles is made available at Jankichatti.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registration was mandatory for all vehicles going to Gangotri dham and Yamunotri dham. Police Department, Uttarkashi has provided registration facility at Heena for Gangotri dham and at Dobata for Yamunotri dham. ▪ Registration of pilgrims were also mandatory and after due verification, pilgrims were permitted to proceed for Gangotri and Yamunotri dham. 	
ii) Number of equine/mules consistent with the carrying capacity of eco-sensitive area:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 Nos. of Equines/Mules were permitted for Gangotri Dham to Gaumukh track under supervision of Deputy Director, Gangotri National Park. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registration of Equines/Mules is done by Zila Panchayat, Uttarkashi. During the yatra period 2023, 3909 Equines/Mules were registered. Officials of Zila Panchayat, Animal Husbandry and Revenue were deputed along the

		<p>yatra route to ensure that that the maximum permissible number of Equines/Mules does not increase at any point of time.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Health checkup facilities were provided for Equines/Mules. Permission of plying were issued to only healthy and fit Equines/Mules. Ear tagging is also done before issue of permission. ▪ In case of death of Equines/Mules, after completing due procedure, carcass is disposed through deep burial.
D. Review and plan infrastructure for:		
<p>i) Waste management.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adequate manpower was deployed for waste management. ▪ Arrangements were made for collection of segregated waste as biodegradable and non-biodegradable waste. Segregated plastic waste is compacted before sending for recycling. ▪ 6 toilets were made at Gangotri by Nagar Panchayat with appropriate cleaning and maintenance provisions. ▪ 37 toilets (32 permanent 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zila Panchayat has provided adequate waste bins for biodegradable and non-biodegradable wastes along the yatra track. ▪ Waste collection centers are made along the yatra track and collected recyclable waste is compacted before sending for recycling. ▪ For disposal of dung generated by Equines/Mules, dung

	<p>and 5 temporary) were made along the Gangotri route by Zila Panchayat.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 MLD capacity STP at Gangotri is functional. 	<p>pits were made. Appropriate manpower is deputed for cleaning of dung.</p> <ul style="list-style-type: none"> 85 permanent toilets with adequate cleaning arrangement was provided along the Yamunotri track. Use of banned Single Use Plastic (SUP) items is strictly followed.
<p>ii) Fast disposal of dead mules and other measures for protection of flora and fauna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Equines/Mules are not permitted in Gangotri track. 	<ul style="list-style-type: none"> In case of death of Equines/Mules, Carcass is disposed through deep burial under supervision of team of Zila Panchayat and Animal Husbandry department at identified areas as per SOP.
<p>iii) Safety precautions and determining CCTV camera locations.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 14 CCTV cameras were provided at Gangotri dham. Cameras are connected with Control Room / District Control room. 	<ul style="list-style-type: none"> 22 CCTV cameras were provided at Jankichatti and Yamunotri dham and connected with Control Room / District Control room.
<p>iv) Preparing SoP and display boards with Dos and Don'ts.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Display/Signage have been provided along the yatra route regarding Do's & Don'ts. 	<ul style="list-style-type: none"> Display/Signage have been provided along the yatra route regarding Do's & Don'ts.
<p>v) Demarcation of areas where activities incompatible with</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gangotri yatra track routes does not falls under prohibited areas. 	<ul style="list-style-type: none"> Yamunotri yatra track does not fall under prohibited area.

environment are prohibited/regul ated.		
vi) Source of funds to sustain regulatory measures, traffic management at suitable locations, compliance of environmental norms including Water Act, Air Act, & E (P) Act.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arrangement for yatra is a part of budgetary head of concerned department. Uttarakhand Tourism Development Board (DTDB) also provide financial assistance. ▪ Water quality monitoring of river Bhagirathi at Gangotri, at Uttarkashi, at Tehri Lake and Devprayag is being carried out by Uttarakhand Pollution Control Board. Water quality monitoring data indicated the water quality of Class "A" as per Designated Best Use (DBU) Criteria of Central Pollution Control Board. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arrangement for yatra is a part of budgetary head of concerned department. Tourism Development Board (DTDB) has engaged Sulabh International for cleaning etc. activities at Yamunotri dham. ▪ Water quality monitoring of river Yamuna at Yamunotri, at Syanchatti, at Barkot, at Lakhwar, at Kalsi and at Dakpatthar is being carried out by Uttarakhand Pollution Control Board. Water quality monitoring data indicated the water quality of Class "A" as per Designated Best Use (DBU) Criteria of Central Pollution Control Board up to Kalsi, while water quality Class "B" is observed at Dakpatthar.
vii) Imparting awareness and education to tourists, inhabitants and operators.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awareness activities were undertaken time to time by concern department through banners / hoardings / posters etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Awareness activities were undertaken time to time by concern department through banners / hoardings / posters etc.
E. Discouraging use of food and products packaged in non-biodegradable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banned single use plastic items are prohibited in Gangotri dham. Nagar Panchayat, Gangotri undertook drive time to 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banned single use plastic items are prohibited in Yamunotri yatra route. Penalties were

<p>packaging material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.</p>	<p>time.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Awareness activities were carried out time to time for discouraging banned single use plastic items. ▪ QR Code based Digital Direct Refund System was implemented for collection of plastic waste. 	<p>imposed in case of violation observed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Awareness activities were carried out time to time for discouraging banned single use plastic items. ▪ QR Code based Digital Direct Refund System was implemented for collection of plastic waste.
<p>F. Execute and duly monitor the Action Plan, which may be revised periodically.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ For effective monitoring of yatra, Sector Magistrate / Assistant Sector Magistrate are appointed which ensure safe yatra management as well as cleaning arrangement etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ For effective monitoring of yatra, Sector Magistrate / Assistant Sector Magistrate are appointed which ensure safe yatra management as well as cleaning arrangement etc.
<p>G. Set up Waste Processing /Management facilities for biodegradable and non-biodegradable waste at appropriate locations, using best practices on the subject.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nagar Panchayat, Gangotri made provision of 100 % door to door segregated waste collection. Biodegradable waste is disposed through compost pits while non-biodegradable waste is compacted and sent to recycling. ▪ Adequate manpower were deployed for waste management. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zila Panchayat has provided adequate waste bins for biodegradable and non-biodegradable wastes along the yatra track. ▪ Waste collection centers are made along the yatra track and collected recyclable waste is compacted before sending for recycling. ▪ For disposal of dung generated by Equines/Mules, dung pits were made.

		Appropriate manpower is deputed for cleaning of dung.
H. Allocate requisite funds at District and Gram Panchayat level for execution of action plan under the final; supervisions of Chief Secretary.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Requisite funds were allocated for District authorities and Gram Panchayats for yatra arrangement along with department budgets. Uttarakhand Tourism Development Board (UTDB) also provides additional financial assistance for Chardham yatra arrangement. 	

Reply submitted by District Magistrate, Uttarkashi is enclosed as ANNEXURE-3.

III. Environmental Awareness Activities undertook by UKPCB during Chardham Yatra, 2023:

The Uttarakhand Pollution Control Board has also launched *Plastic Nirikshan Avam Jagrukta Rath (Plastic Rath)* in the Chardham routes in order to generate awareness as well as surveillance of banned SUPs status. Three teams were positioned at three different locations viz. Rishikesh, Uttarakashi and Rudraprayag. Teams were equipped with posters banners, standees, handouts, documentary films and public address system. Cotton bags were also distributed in order to discourage plastic carry bags.

Activities Undertaken in Chardham routes:

The *Plastic Nirikshan Avam Jagrukta Rath (Plastic Rath)* started from May 25, 2023 to June 24, 2023, based on the pre monsoon period in Uttarakhand. Main outcomes were:

1. The three *Plastic Raths* covered a distance of 6,186 km in 28 days (Average 221 km a day for 3 raths, Average 74 km a day for each Rath).
2. The three *Plastic Raths* have been to 381 different areas on the Char Dham routes.
3. Teams associated with *Plastic Rath* has conducted regular awareness sessions with community members and pilgrims & tourists in public

places and with local authorities in their work areas. Displayed standees, banners, posters and distributed handouts/leaflets to local people and pilgrims/tourists. Cloth bags were also distributed.

4. About 11,300 awareness posters and stickers were distributed by the three *Plastic Raths* during the above 5-week period.
5. Photos and videos were sent by all *Plastic Raths* on a regular basis.
6. Twelve notices were issued to respective local authorities based on evidences received from the three *Plastic Raths*

Observations

The activities has been successful in the following ways.

1. It created awareness about banned single-use plastic items and waste management.
2. Instilled a sense of caution among Nagar Nigams/Nagar Palika Parisad and Nagar Panchayats, as well as sanitary inspectors.
3. It proved that monitoring of strategies is as important as implementing them.

Photographs and media coverage of activities undertaken is enclosed as ANNEXURE-4.



प्रेषक

जिलाधिकारी,
बनोली।

सेवा में

सदस्य-सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

संख्या-1274/इक्कीस-एल0बी0सी0-1/2022-2023 दिनांक 27 दिसम्बर, 2023

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No.27/2023 in O.A.

561/2022 (M.A. No.54/2023) उर्वशी शोभना कछरी बनाम यूनियन ऑफ
अन्य के संबंध में।

No.
इण्डिया व

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 561/2022 (M.A. No.54/2023) उर्वशी शोभना कछरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में निर्णित आदेश दिनांक 12.10.2023 के क्रम में अपने पत्र संख्या-यूकंपीसीबी/एच0अपे0/सू-183-600/2023/1055 दिनांक 28 नवम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 561/2022 (M.A. No.54/2023) उर्वशी शोभना कछरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बनोली से अनुपालन आख्या प्राप्त की गई। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बनोली से प्रेषित अनुपालन आख्या संलग्न कर अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

सलान-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Dr Abhishek
Tripathi

Date: 28-12-2023 11:36:51

(डा० अभिषेक त्रिपाठी)

अपर जिलाधिकारी,

बनोली।

	Action points	Action Taken
1-	<p>i) Limiting Number of vehicles and type of vehicles, number of tourists consistent with the carrying capacity of eco-sensitive areas. Additional information about following points be given: a. Available parking area for vehicles. b. Process of pilgrims/tourists- registration of c. Any other action in this regard.</p>	<p>वाहन में प्रयुक्त ईंधन के आधार पर- वाहनो में प्रयुक्त होने वाले ईंधन (डीजल/पेट्रोल) के आधार पर वाहनो के संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है। वाहन की आयु के आधार पर- वाहनो की संचालन की अनुमति वाहनो की आयु के आधार पर की जाये क्योंकि अधिक पुराने वाहनो के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु 10 वर्ष पुरानी वाहनो का संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है। भारत स्टेज (बीएस0) मानकों के आधार पर - पर्यावरण दृष्टिगत बीएस0-4 मानकों तक के वाहनो का संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है। वाहनो के लिए उपलब्ध पार्किंग का क्षेत्र- गोविन्दघाट में स्थित पार्किंग सं0-01 एवं पार्किंग सं0-02 पार्किंग है जिनका संचालन जिला पंचायत, घमोली द्वारा किया जाता है तथा पुलना में लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर द्वारा पुलना में पार्किंग सं0-1 एवं पार्किंग सं0-02 का निर्माण किया गया है, उक्त पार्किंगो को संयुक्त रूप से संचालन हेतु डीटीडीसी के माध्यम से पी0पी0 भौड पर संचालित करवाया जा रहा है। उक्त पार्किंग की कुल 80 छोटे वाहनो की क्षमता है। संलग्नक-पत्र</p>
	<p>ii) Restricting number of equine/mules consistent with the carrying capacity of eco- sensitive area: Additional information about following points be given: a. Nos. of Mules/Equines registered and process of registration. b. Provisions of ear tagging and veterinary checkup. c. Mechanism of limiting the number of mules/equines in Yatra routes. d. Compliance status of SOP issued by Animal Husbandry Section, Government of Uttarakhand vide ref. No. 775/Xv- 1/23/ 4 (12) 22 dated 01.05.2023. e. Disposal mechanism of carcass of dead mule/equines mechanism and its monitoring f. Any other action in this regard.</p>	<p>ii) डीडीसी स्पेडार द्वारा यात्रा मार्ग पर रोटेशन के आधार पर छोड़े खच्चरो व डण्डी कण्डी का संचालन किया जाता है। a. पर्यावरण प्रशासन के आदेश के अनुसार- श्री हेमकुण्ड राहिव यात्रा मार्ग पर वर्ष-2023 में यात्रा मार्ग पर छोड़े खच्चरो 1200/-टेरिनरी छोड़े खच्चरो का पंजीकरण किया गया। साथ हि आगामी वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिए सभी छोड़े खच्चर संचालन और मालिकों को whatsapp ग्रुप बना कर अपास में तालमेल बनाने का निर्देश दे दिया गया है। यात्रा शुरू होने से पहले पंजीकरण होने के बाद ये ग्रुप बना दिया जायेगा। b. यात्रा काल में पशुपालन विभाग घमोली</p>

	<p>द्वारा रथान पुलना व धाघरिया में 02 (दो) टीमे तैनात रहती है जो छोड़े खच्चरों का टीकाकरण व पशु चिकित्सा उपचार का कार्य संचालित करती है।</p> <p>c. ई0डी0सी0 भ्यूंडार द्वारा पंजीकरण कर प्रवेश दिया जाता है और पूरे यात्रा मार्ग पर रोडेशन के माध्यम से ही छोड़े खच्चरों का संचालन किया है।</p> <p>e. यात्रा काल में आकस्मिक रूप से किसी छोड़े व खच्चर की मृत्यु होने पर उसका पी0एम0 छोड़े मालिक व ई0डी0सी0 छोड़ा खच्चर यूनियन ग्राम प्रधान भ्यूंडार आदि क्षेत्र में तैनात पशु चिकित्साधिकारी से फरवाकर समिति पंचनामा बना कर समिति के कार्यरत पर्यावरण मित्रों द्वारा विधिवत मिट्टी के अन्दर दबाकर मृत शव का डिस्पोजल किया जाता है।</p> <p>f. यात्रा काल में घायल पशुओं का उपचार ई0डी0सी0 क्षेत्र में तैनात पशु पालन विभाग की टीम के सहयोग से करती है जो कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी चमोली द्वारा यात्राकाल 2023 हेतु नियुक्त की जाती है।—संलग्नक-पत्र</p>
<p>2- Review and plan infrastructure for:</p>	
<p>1) Waste management.</p> <p><i>Additional Information about following points be given:</i></p> <p>a. Nos. of toilets provided along the Yatra routes (temporary or permanent) and their cleaning and waste disposal mechanism.</p> <p>b. Nos. of sewage treatment plants along the Yatra routes.</p> <p>c. Collection and disposal mechanism of dung generated by mules/equines.</p> <p>d. Solid Waste management along the Yatra routes and tracks.</p> <p>e. Segregation of plastic and other recyclable waste.</p> <p>f. Status of use of banned Single Use Plastic items. Monitoring mechanism of Solid Waste Management.</p> <p>g. Any other action in this regard.</p>	<p>a. <u>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन</u> का कार्य ईडीसी भ्यूंडार द्वारा किया जाता है। स्थायी शौचालयों की कुल संख्या-17 एवं 04 अस्थायी शौचालय हैं जिनकी सफाई ईडीसी भ्यूंडार द्वारा की जाती है। निस्तारण के लिए भूमिगत गड्ढे बनाये जाते हैं। यात्रा मार्ग पर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। छोड़े-खच्चरों गोबर के लिए यात्रा मार्ग पर 12 गोबर के गड्ढे बनाये गये हैं। ईडीसी भ्यूंडार द्वारा यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट संग्रह और पृथक् करण के लिए 50-60 पर्यावरण मित्र प्रतिदिन योजित किये जाते हैं। ई0डी0सी0 भ्यूंडार द्वारा साँलिए बेस्ट मैनेजमेंट के अतिरिक्त छोड़े खच्चरों के मल हेतु रास्ते के किनारे नए गड्ढे प्रगाति पर हैं पुराने बने हुए गड्ढों को खाली करवाकर प्रयोग हेतु बना दिया गया है दुर्गन्ध से मुक्ति के लिए ओ0सी0डी0-50(आर्गेनिक सोल्यूशन) का छिड़काव किया जयेगा/किया जाता है जिसे हेतु वेंडर को ऑर्डर दे दिया है ताकि यात्रा से पहले इसकी व्यवस्था</p>

	<p>बनाया जाय। दूरिस्टों द्वारा विक्रेपित समस्त अजैविक कूड़ा करकट प्लास्टिक बोतलो आदि एकत्रित कर घांघरिया स्थित डिम्पिंग यार्ड में क्लैप मशीन में कटिंग ग्राइंडिंग और बाकी पुलना में डिम्पिंग यार्ड में कॉम्पैक्टर मशीन हेतु लाया जायेगा जिसके लिए मशीने लगाई जा रही है। पुलना में कम्पैक्टर मशीन सुचारु रूप से काम करना शुरू कर दिया है आगे की कार्यवाही के लिए प्लास्टिक रीसायकल करने वाली एजेंसी से भी वार्ता हो गई है। जो स्वयं पुलना साईट से कॉम्पैक्टर किया हुआ प्लास्टिक कचरा उठा किया जा रहा है। पुलना स्टेशन और घांघरिया बाजार के लिए 02 दो आर०वी०एम० (Reverse vending machine) मांग ली गई है जिनमें यात्री और पर्यटन स्वयं अपनी प्लास्टिक बोतल को डाल का क्रश कर सकते है इन दोनों मशीनों प्रयोग की उपयोगिता को देखते हुए भविष्य में और भी आर०वी०एम० लगाई जाएगी जिस से प्लास्टिक बोतल का कचरा कम से कम होने में मदद मिलेगी।</p>
<p>ii) Fast disposal of dead mules and other measures for protection of flora and fauna.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Disposal mechanism of dead mules/equines in order to ensure fast, safe and environment friendly disposal.</p> <p>b. Identification burial site(s) for disposal of dead mules/equines.</p> <p>c. Monitoring mechanism of such disposal of dead mules/equines.</p> <p>d. In case of violation, penalty provisions and responsible authority for the same. In case of penalty imposed, details may be given.</p> <p>e. Estimated cost of disposal of dead mules/equines and Budgetary provisions for the same.</p> <p>f. Any other action in this regard</p>	<p>ii. यात्रा काल में आकस्मिक रूप से किसी घोड़े व खच्चर की मृत्यु होने पर उसका पी०एम० घोड़े मालिक व ई०डी०सी० घोड़ा खच्चर यूनिटन ग्राम प्रधान भूंडार आदि क्षेत्र में तैनात पशु चिकित्साधिकारी से करवाकर समिति पंचनामा बना कर सनिति के कार्यरत पर्यावरण मित्रों द्वारा विधिवत मिट्टी के अन्दर दबाकर भूत शव का डिस्पोजल किया जाता है। और उस पर नमक, चूना आदि सही मात्र में डाल दिया जाता है ताकि मृत शरीर जल्दी से गल जाये और अन्य जंगली जानवर उसे गड्डे से बाहरन निकाल पाए, एक हफ्ते तक उस जगह की निगरानी की जाती है कि वो गड्ड किसी जानवर जैसे भालू द्वारा खोला तो नहीं गया है।</p> <p>यात्रा काल में घायल पशुओं का उपचार ई०डी०सी० क्षेत्र में तैनात पशु पालन विभाग की टीम के सहयोग से करती है जो कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी चभोली द्वारा यात्राकाल हेतु नियुक्त की जाती है।</p>
<p>iii. Safety precautions and determining CCTV</p>	<p>ई०डी०सी० भूंडार - ई०डी०सी० भूंडार</p>

<p>camera locations. Additional information about following points be given:</p> <p>a. Safety precautions and monitoring mechanism. b. Details of CCTV/cameras/ provided and monitoring mechanism of and reporting structure. c. Control Room and its operation. d. Action taken on CCTV footages may be given. e. Uses of Mobile App, if any. f. Any other action in this regard.</p>	<p>कार्यालय सी0सी0टी0वी से घिरा हुआ है और घांघरिया के लगभग सभी होटलों में सी0सी0टी0वी है और पुलिस विभाग मदद के लिए इसका उपयोग करती है।</p>
<p>iv. Preparing SOP and display boards with Dos and Don'ts.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Details of Display Boards / Sign boards provided along the Yatra routes. b. Formulation of SOP for Information dissemination. c. Any other action in this regard</p>	<p>यात्राकाल हेतु यात्रियों के- निर्देश हेतु डिस्प्ले बोर्ड बना दिए गए हैं जिनमें यात्रा मार्ग सम्बन्धी निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्री और पर्यटकों पर्यावरण और आस-पास के वातावरण के प्रति संवेदनशील रहे यात्री और मालवाहक जानवरों के प्रति सहानुभूति और उनकी देख रेख हेतु भी निर्देश बना दिये गए हैं ताकि यात्रा करते समय यात्री स्वयं भी इनका ध्यान रखें। एवं पर्यटन विभाग, लोक निर्माण विभाग, ई0डी0सी0 म्यूंडार/पुलना द्वारा मार्ग पर पर्यटकों हेतु दिशा-निर्देश Do's & Don'ts के साईनेज लगाया जा रहे हैं। साथ ही ई0डी0सी0 म्यूंडार के द्वारा भी यात्रा मार्ग पर क्या करें और क्या न करें के साथ 100 से अधिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए हैं।</p>
<p>iii) Demarcation of areas where activities incompatible with environment prohibited/regulated.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Effective demarcation of restricted area along the Yatra track. b. Monitoring mechanism of any pilgrims/tourist in restricted areas. c. Provisions of penalty against violators. Details of penalty imposed, if any d. Any other action in this regard.</p>	<p>यात्राकाल - नै श्रीहेमकुण्ड साहिब पुलना, म्यूंडार एवं घांघरिया में वन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की जाती है एवं कोई भी यात्री उत्सर्जन करता पाया गया तो वन विभाग के द्वारा रु 5000- का जुर्माना लगाया जाता है, धसूल की गयी धनराशि को वन विभाग के द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के खाते में जमा किया जाता है।</p>
<p>iv) Source of funds to sustain regulatory measures, traffic management at suitable locations, compliance of environmental norms including Water Act, Air Act, & E (P) Act.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Status of budgetary provisions for waste</p>	<p>ई0डी0सी0 म्यूंडार- एन0जी0ओ है जो वन विभाग के अधीन कार्य करती है आय का मुख्य स्रोत घोंड़-खच्चर, डण्डी-कण्डी, दुकानें और होटल है। और बैरियर की साहिता से यात्राकाल में घोड़ों-खच्चरों और डण्डी,कण्डीयों के यात्रायात को नियंत्रित करते है और इसी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों</p>

<p>management, liquid waste management, traffic management, management etc. mules/equines</p> <p>b. Any other action in this regard.</p>	<p>को सरकारी दरों ₹0 100/- शुल्क शामिल है जो हमारे वैरियर कर्मचारी द्वारा घोड़ों-खच्चरों या हंडी, कण्डी मालिकों से वसूलते हैं। जो दिन में सिर्फ एक बार ही किया जाता है वहीं हमारी कमाई का जरिया है उस पैसे से सैलरी का इंतजाम किया जाता है। एवं घोड़ों-खच्चरों के गोबर के गड्डे, चरियों का नवीनीकरण और साफ-सफाई भी किया जाता है। घोड़ों-खच्चरों के तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ओ०डीसी०-50 जैसे रसायन खरीदा जाता है जिसे गन्स को कम करने मदद करता है।</p>
<p>v) Imparting awareness and education to tourists, inhabitants and operators.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Details of awareness program/activities undertaken. Photographs and details of people benefitted may be provided.</p> <p>b. Use of loudspeakers for Do's & Don'ts.</p> <p>e. Any other action in this regard.</p>	<p><u>यात्रियों पर्यटकों और स्थानीय जन मानस</u> में पर्यावरण लोक भवनाओं परम्पराओं आदि के प्रति जागरूक करने में हेमवती नन्दन गढ़वाल विश्वविद्यालय संयोग कर सकता है यहाँ पर्वतीय पर्यटन एवं अतिथ्य अध्ययन केन्द्र पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सैर सलीका नाम से काफी वर्षों से छात्रों में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जो इस वर्ष से सभी विद्यालयों में ए०एस०एस० के अन्तर्गत जारी रखा जा रहा है। इस सैर सलीका के अन्तर्गत ही विद्यालयों के माध्यम से अगर सभी यात्रा मार्गों पर जागरूकता सम्बन्धी कार्यशालाओं और पर्यावरण लोक भावनाओं परम्पराओं आदि सम्बन्धित अध्ययन रिसर्च किया जा सकता है तो इस से काफी कुछ बदलाव सामाजिक दृष्टि से आ सकता है आने वाली नई पीढ़ी सैर सलीका से जुड़ कर कैसे सैर करना है वो सीखगी और जहाँ भी जायेगी वहाँ औरों को भी सिखाएगी। साथ ही <u>वन विभाग</u> द्वारा फूलों की घाटी में लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं देता है।</p>
<p>3. Discouraging use of food and products packaged in non-biodegradable packaging material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Penalty imposed against uses of Single Use of Plastic Items. Details of challan and fine collected</p>	<p><u>यात्राकाल</u> - मैं श्रीहेमकुण्ड साहिब पुलना, भुँडार एवं घाघरिया में वन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की जाती है एवं कोई भी यात्री उल्लंघन करता पाया गया अथवा प्लास्टिक वस्तुओं के एकल उपयोग करता है तो वन विभाग जुर्माना लगाया जाता है गसूल की गयी घनराशि को वन विभाग के द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के खाते में जमा किया जाता है। तथा स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के बीच</p>

	<p>may also be given.</p> <p>b. Drive for banned plastic items undertaken.</p> <p>c. Details of QR code based DDRS implemented and total plastic waste collected and routed for recycling in Yatra season.</p> <p>d. Any other action in this regard</p>	<p>जागरूकता के लिए अलग-अलग अन्तराल पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं। हर साल यात्रा मार्ग से लगभग 50 टन ठोस कचरा एकत्रित किया जाता है और इसे रीसाइक्लिंग करने के लिए कॉम्पैक्टर पुलना रखा जाता है।</p>
4-	<p>Execute and duly monitor the Action Plan, which may be revised periodically.</p>	<p><u>प्रभागीय वनाधिकारी नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क</u> जोशीमठ निर्देशन में इको विकास समिति पुलना भ्यूंडार द्वारा श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है।</p>
5-	<p>Set up Waste Processing /Management facilities for biodegradable and non-biodegradable waste at appropriate locations, using best practices on the subject.</p> <p>Already covered in Sr. No. 2(i).</p>	<p><u>इको विकास समिति पुलना भ्यूंडार</u> ने डीएफओ एनडीवीआर की मदद से घाघरिया में ठोस अपशिष्ट पीसने की मशीन और 02 बोटल क्रशिंग मशीनें स्थापित की है और जिला पंचायत, चमोली की मदद से पुलना में कॉम्पैक्टर मशीन सुविधा हेतु स्थापित किया गया है।</p>
6-	<p>Allocate requisite funds at District and Gram Panchayat level for execution of action plan under the final; supervisions of Chief Secretary.</p>	<p><u>इको विकास समिति पुलना भ्यूंडार</u> की कार्य योजना में ग्राम पंचायत निधि की कोई भूमिका नहीं है इको विकास समिति पुलना भ्यूंडार स्वयं की निधि और जिला पंचायत की सहायता से कार्य करती है।</p>
7-	<p>Any Other information:</p>	<p><u>इको विकास समिति पुलना भ्यूंडार</u> एक स्वयं निहित गैर सरकारी संगठन है जो <u>प्रभागीय वनाधिकारी नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क</u> जोशीमठ के नियंत्रणधीन क्षेत्र श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा घाघरिया धार्मिक पर्यटन तथा घाघरिया से फूलों की घाटी तक नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग एवं जिला पंचायत चमोली के अन्तर्गत पर्यावरण के संरक्षण में कार्यरत है। -संलग्नक-पत्र</p>

भवदीय,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चमोली।

प्रेषक,

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
गोपेश्वर - चमोली।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चमोली।

पत्रांक 904 / पार्किंग / 2023-24

दिनांक 19 दिसम्बर, 2023

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No 27/23 in O.A 561/2022 (M.A.No 54/2023 उर्वशी शोभना कछरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में परिपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 2360/नौ-यात्रा-व्यवस्था/2022-23 दिनांक 19-12-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड, देहरादून के पत्र सं0- यूकेपीसीबी/एच.ओ0/सा0-183-600/2023/1055 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा गोविन्दघाट, श्री हेमकुण्ड साहिब, फूलों की घाटी में यात्राकाल में आने वाले यात्रियों के लिए पार्किंगों की संख्या/पार्किंग में वाहन की क्षमता की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तदसम्बन्ध में अवगत कराना है कि विगत वर्षों से गोविन्दघाट में पार्किंगों का संचालन आपके विभाग द्वारा किया जा रहा है, उक्त के अतिरिक्त पुलना में लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर द्वारा पुलना में पार्किंग-01 एवं पार्किंग-02 का निर्माण किया गया है, उक्त पार्किंगों को संयुक्त रूप से संचालन हेतु डीटीडीसी के माध्यम से पी0पी0मोड पर संचालित करवाया जा रहा है, उक्त पार्किंगों की कुल 60 छोटे वाहन की क्षमता है।

भूषदीय,
19/12/23

कृते-जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
गोपेश्वर-चमोली।

पंजी० सं० 947

ईको विकास समिति, भ्यूंडार

(नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ के अधीन पंजीकृत)

ग्राम-भ्यूंडार, तहसील-जोशीमठ, जिला- चमोली (उत्तराखण्ड)

शासनादेश सं० 2500/1(2)व०प्रा०वि० 2003-9 (102)/2003 दि 8-3-2004

पत्रांक-

दिनांक 14 Sept 2023

प्रमाणित किया जाता है कि डेस्केंड फुलना यात्रा मार्ग पर छोड़े खन्वर का संचालन प्रातः सूर्योदय के बाद एवं सूर्यास्त से पहले रहता है, एवं हिमालयन छोड़ा खन्वर मूनिमन के कमावर्न प्रणाली के चेली खन्वर - छोड़े एक दिन से एक ही चक्कर यात्रा मार्ग का लगाते हैं।

यात्रा मार्ग के पड़ावों में होने से पुन्ना से घांघरिमा और घांघरिमा से डेस्केंड के छोड़े-खन्वर अलग-अलग हैं।



भवदीय
अध्यक्ष
ईको विकास समिति
भ्यूंडार (पुलना)

संख्या - 06/2023/4, 5, 6, 7/31

434

नो 5ल अधिकारी
प्र.सं / क. सं. (सं.)
जु. प्र. प्र. प्र. प्र.
2.5.2023

प्रेषक,
अध्यक्ष
इको विकास समिति, भुंडार

दिनांक: 2 मई 2023
पत्रांक: 06-2023/मई/NGT

सेवा में,
जिलाधिकारी, चमोली।

विषय:- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या -561/2022 उर्वरी शोभना कछारी बनाम भारत संघ में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- प्रभारी अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी चमोली की पत्र संख्या-3137/इकोडि.सं.एल/2021-2022 दिनांक- 01-05-2023.

महोदय,
उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा उर्वरी शोभना बनाम भारत संघ में पारित निर्णय आदेश दिनांक- 1/मई/2023 की अनुपालन आशिया के अनुसार आपको अवगत करना है कि -

नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग के निबंधनाधीन क्षेत्र में पुलना से हेमकुण्ड साहिब याथा चांधरिया धार्मिक पर्यटन तथा चांधरिया से फूलों की घाटी के लिये ट्रेकिंग/पारिस्थितिक पर्यटन प्रति वर्ष माह जून से अक्टूबर तक संचालित किया जाता है। इको विकास समिति, भुंडार इसी क्षेत्र में 2002-2003 से नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग और जिला पंचायत चमोली के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण में कार्यरत है,

1- पुलना-चांधरिया-श्री हेमकुण्ड साहिब तथा चांधरिया फूलों की घाटी ट्रेकिंग रूट पर यात्रा काल में छोड़े खच्चर डपड़ी-कण्डी का संचालन जिला पंचायत चमोली के निर्देशन में ई-डी-सी- भुंडार द्वारा किया जा रहा है सम्पूर्ण यात्रा मार्ग पर व ट्रेकिंग रूट पर ई-डी-सी- द्वारा 50 से 60 पर्यावरण मित्र प्रतिदिन योजित किये जाते है, यात्राकाल 2023 के लिए योजित सभी पर्यावरण मित्रों को सूचित किया जा चुका है और ये सभी लोग 8 मई से यात्रा मार्ग की साफ सफाई, शौचालयों के संचालन आदि के लिए प्रस्तुत रहेंगे, यात्रा मार्ग पर टूरिस्टों द्वारा विक्षेपित समस्त अर्जैतिक कूड़ा कचरा प्लास्टिक बोतलें आदि एकत्रित कर चांधरिया स्थित डम्पिंग यार्ड में स्क्रैप मशीन में कटिंग प्राइडिंग और बाकी पुलना में डम्पिंग यार्ड में कम्पैक्ट मशीन हेतु लाया जाएगा, जिसके लिए मशीनें लगाई जा रही है, पुलना में कम्पैक्टर मशीन वे सुचारु रूप से काम करना शुरू कर दिया है, आगे की कार्यवाही के लिए प्लास्टिक रीसायकल करने वाली एजेंसी से भी बात हो गई है जो स्वयं पुलना साईट से कम्पैक्ट किया हुआ प्लास्टिक कचरा उठा लेंगे, पुलना स्टेशन और चांधरिया यात्रा के लिए दो (2) RVM (Reverse Vending Machine) मीगा ली गई हैं, जिनमे सली और पर्यटक स्वयं अपनी प्लास्टिक बोतल को डाल कर क़रा कर सकते हैं, इन दोनों मशीनों का प्रयोग की उपयोगिता को देखते हुए पवित्र में और भी RVM लगाई जाएगी जिस से प्लास्टिक बोतल का कचरा कम से कम होने में मदद मिलेगी,

2- ई-डी-सी- द्वारा यात्रा मार्ग पर स्टेशन के आधर पर छोड़े खच्चर व डपड़ी-कण्डी का संचालन किया जाता है। पशु पालन विभाग चमोली द्वारा स्वयं पुलना व चांधरिया में 2 (दो) टीम तैनात रहती है जो छोड़े खच्चरों का टीककरण व पशु चिकित्सा उपचार का कार्य संचालित करती है। आकस्मिक रूप से किसी छोड़े व खच्चर की मृत्यु होने पर उसका P.M. छोड़े मालिक व ई-डी-सी-, छोड़ा खच्चर यूनियन, ग्राम प्रधान भुंडार आदि द्वारा क्षेत्र में तैनात पशु चिकित्साधिकारी से करवाकर समिति पंचानामा बना कर समिति के कार्यरत पर्यावरण मित्रों द्वारा विधिवत मिट्टी के अन्दर दबाकर मृत शव का डिस्पोजल करती है तथा घायल पशुओं का उपचार ई-डी-सी- क्षेत्र में तैनात पशु पालन विभाग की टीम के सहयोग से करती है जो कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली द्वारा यात्रा काल 2023 हेतु नियुक्त की जा चुकी है,

3- यात्रा 2023 हेतु यात्रियों के निर्देश हेतु डिस्पले बोर्ड बना दिए गए हैं जिनमें यात्रा मार्ग सम्बन्धी निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्री और पर्यटक पर्यावरण और आस पास के वातावरण के प्रति संवेदनशील रहे, बागी और मालवाहक वाहनों के प्रति सहानुभूति और उनकी देख रेख हेतु भी निर्देश बना दिए गए हैं ताकि यात्रा करते समय यात्री स्वयं भी इनका ध्यान रखें,

नो 5ल अधिकारी/चमोली
42 3-5-23

4- संभोली, बिला पंचायत के निर्देशन में ई०डी०सी० झुंझार द्वारा ड्राग मालिफ नेट पैनेसमेंट के अतिरिक्त मोडे खचकों के मल हेतु एको के किनारे नए गड्डों का निर्माण प्रगति पर है. पुग्ने बने हुए गड्डों को खासी कर्मचारी प्रयोग हेतु बना दिया गया है. दुर्गन्ध से मुक्ति के लिए O.C.D-50 (जैवनिर्गम सौलक्षण) का छिड़काव किया जायेगा, जिस हेतु नेंडर ब्री आर्टर ने दिया है. ताकि बावा से पहले इसकी व्यवस्था बन जाये.

5- यात्रा मार्ग पर बोडे खचकों, डंडी कंठों आदि के सवालन हेतु नैपेपर्स और E.D.C के कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं. सभी घोड़ा गचला संघालकों और मालिकों को whatsapp ग्रुप बना कर आपस में तालमेल बनाने का निर्देश दे दिया गया है. यात्रा शुरू होने से पहले पंजीकरण होने के बाद ये ग्रुप बना लिया जायेगा.

6- यात्रा मार्ग पर बोडे खचकों, डंडी कंठों का सवालन ई०डी०सी० के माध्यम से बिला पंचायत चण्डेला द्वारा संचालित है। ई०डी०सी० द्वारा पर्यवेक्षण कर प्रवेश दिख जाता है और पूरे यात्रा मार्ग पर रोटेशन के माध्यम से ही मोडे खचकों का सवालन किया है। 2023 यात्रा काल के लिए निर्धारित 70 घोड़े प्रति किलोमीटर (3:20) के गुरो वरत से लागू किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में सभी घोड़ा-खचकर मालिकों और संचालकों को पहले से ही अवगत कर विवर गया है. स्वस्थ और पैदल चलने में रणधर्म यात्रियों को मोडे खचकर से यात्रा न करने के लिए समुचित निर्देश देकर चेक किया गया है. बरे यात्रा मार्ग के शुरू में और घोड़ा खचकर खचकर पर भी ध्यान दिए जायेंगे. पशु कृषक सम्बन्धित निर्देश भी वसतियों हेतु बना दिए गए हैं और निर्देशित किया गया है कि कोई भी बांधासक यदि धलठे साथ या बड़े हुए में घोड़ा-खचकर को लाठी डंडों से यात्रा-नीटता है तो उसे ऐसा करने से रोकें, विशेष तौर को इस यात्र में भागित न बने. अतः ध्यान, आपसे सूचना है कि पुलना से घाघरिया के लिए और घाघरिया से हेमकुण्ड के लिए अलग अलग मोडे-खचकर ब्री व्यवस्था है. अगर कोई बावी बोडे से सीधा पुलना से हेमकुण्ड भी जाना चाहे तो उसे मा.प्र.वि. में अपना घोड़ा बदलना पड़ता है किंतु कारण उच्च हिमालयी क्षेत्र में जला हुआ घोड़ा ही घाघरिया से हेमकुण्ड के लिए जाना है. रोटेशन व्यवस्था के तहत एक दिन रातको होने के बाद दूसरे दिन मोडे खचकों को विश्राम मिल जाता है।

7- यात्रा मार्ग पर मोडे-खचकों के पीने के पानी की व्यवस्था हेतु नई चौरिया बनाई गई है और पुरानी चौरियों का मरम्मत का कार्य जारी है. त्रोन निर्धारित स्थलों पर पुराना, धुंधला और घाघरिया में चौरियों के स्थान जल संस्थान द्वारा गरम पानी के गोबर लगाने की बात हो चुकी है. बल सम्बन्धन हेतु ही सभी चौरियों को स्टैंड गोस्ट द्वारा जोड़ा जाना तय हुआ है.

8- यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय जन मानस में पर्यावरण, लोक साधनाओं, लोक परम्पराओं आदि के प्रति जागरूक करने में हेमको लन्दन भद्रनाथ विध्यापीठालय सहयोग कर सकता है. वहां पर्यटकों पर्यटकों एवं आतिथ्य अध्ययन केन्द्र (पर्यटन विभाग) के अंतर्गत ही सलीकना नाथ से कुछ वर्षों से ज्यों में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जो इस वर्ष से सभी विद्यालयों में NSS के अन्तर्गत चाली रहा जा रहा है. इस क्षेत्र सलीकना के अंतर्गत ही विद्यालयों के माध्यम से अगर सभी यात्रा मार्ग पर जागरूकता सम्बन्धी कार्यशालाओं और पर्यावरण, लोक साधनाओं, लोक परम्पराओं आदि सम्बन्धित अध्ययन विरुद्ध किया जा सकता है तो इस से काफी कुछ बदलाव सामाजिक दृष्टि से आ सकता है. आने वाली गई पीढ़ी ही सलीकना से कुछ कर कैसे करे करना है जो सीखेगी और चार्ज भी-बाएंगो नभ औरों को भी सिखाएगी.

दिये गये निर्देशानुसार अनुपना की कार्यवाही जारी है, वर्तमान में श्री हेमकुण्ड ताम्रिब टूक स्ट वर्क के कारण बन्द है और अभी नहीं तक खुला है चर्च से ऊपर धरती तक है. साथ ही अभी भी बर्फबारी जारी है. मसप और घसने के खुलने के साथ ही नाचो रास्ते सब कार्य भी सुचारु रूप से शुरू कर दिया जायेगा.

अतः तदनुसार सेवा में सूचनाएं देवित.

संभोली,
पंचायत चौक
अमान
E.D.C.
Bhyundar
(Reg. No-347)

प्रेषक

अध्यक्ष
इको विकास समिति भूठार

दिनांक 17 दिसम्बर 2023

सेवा में

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत चमोली।

पत्रांक संख्या 2346 / नी यात्रा व्यवस्था / 2022 -2023

विषय- माफ एनजीएडी में खोजित Execution Application No 27/2023 in O.A.56/2022
(M.A.No.54/2023) उर्वशी शोभना कछरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में परिचालन किये जाने हेतु।

महोदय

	Action points	Action Taken
1	<p>i) Limiting Number of vehicles, number of tourists consistent with the carrying capacity of eco-sensitive areas.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Available parking area for vehicles.</p> <p>b. Process of pilgrims/tourists registration of</p> <p>c. Any other action in this regard.</p>	<p>1. i) Subject related to Tourism department</p>
	<p>ii) Restricting number of equine/mules consistent with the carrying capacity of eco-sensitive area:</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Nos of Mules /Equines registered and process of registration.</p> <p>b. Provisions of ear tagging and veterinary checkup.</p> <p>c. Mechanism of limiting the number of mules/equines in yatra routes.</p> <p>d. Compliance status of SOP issued by Animal Husbandry Section, Government of Uttarakhand vide ref. No. 775/Xv-1/23/4(12)22 date 01.05.2023.</p> <p>e. Disposal mechanism of carcass of dead mule/equines mechanism and its monitoring.</p> <p>f. Any other action in this regard.</p>	<p>As per the orders from the administration we restricted the number of mules to 1100 on hemkund yatra route.</p> <p>Also we have installed weighing machines at our barrier . we provide horse only after weighing the person.</p> <p>This year 2023 we registered only 1200 horses on this yatra route.</p> <p>Veterinary department have provided 4 vets 2 for pulna padav 2 for ghangaria padav with all the medicines for whole yatra season .</p> <p>Rest of the subject is related to veterinary department .</p>
2-	Review and plan infrastructure for:	
	i)Waste management	Solid Waste management is done by

<p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Nos of toilets provided along the Yatra routes (temporary or permanent) and their cleaning and waste disposal mechanism.</p> <p>b. Nos of sewage treatment plants along the Yatra routes.</p> <p>c. Collection and disposal mechanism of dung generated by mules/equines.</p> <p>d. Solid waste management along the Yatra routes and tracks.</p> <p>e. Segregation of plastic and other recyclable waste.</p> <p>f. Status of use of banned Single Use Plastic items monitoring mechanism of Solid Waste Management.</p> <p>g. Any other action in this regard.</p>	<p>edc bhyundar.</p> <p>Total no of permanent toilets 17. Temporary toilets 4. Cleaning is done by edc bhyundar. Underground pits are built for disposal. There is no sewage treatment plants on the yatra route. For dung generated by mules 12 dung pits are built along the yatra route. EDC bhyundar does the solid waste management along the yatra route as we have 50-60 sweepers as employees for the collection and segregation of solid waste, we have installed a plastic waste crusher and 2 bottle crushing machines at ghangaria the base camp for valley of flowers national park and hemkund sahib, zila panchayat Chamoli have also installed a compact machine at pulna village. so after collecting all the garbage we transport it to pulna and then after compacting it we sell it to legit recyclers.</p>
<p>II) Fast disposal of dead mules and other measures for protection of flora and fauna.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Disposal mechanism of dead mules/equines in order to ensure fast, safe and environment friendly disposal.</p> <p>b. Identification burial site (s) for disposal of dead mules/equines.</p> <p>c. Monitoring mechanism of such disposal of dead mules/equines.</p> <p>d. In case of violation, penalty provisions and responsible authority for same. In case of penalty imposed, details may be given.</p>	<p>Disposal of dead mules is done as soon as the owner completes the insurance formalities, within the day itself our sweepers take the dead mule to remote location and bury it properly after sprinkling salt over the body for fastening the decomposition process also spreading chemicals around it to avoid wild animals and the smell. It is being watched by our supervisors on regular intervals for a while. Since edc has been there from 2002 so there was no violation in this act. Estimated cost of disposal is</p>

<p>e. Estimated cost of disposal of dead mules/equines and Budgetary provisions for the same. f. Any other action in this regard.</p>	<p>around 3000 it includes the labour charges for digging and taking the dead mule to remote location and the salt and chemical used for the decomposition . since we provide the labor and other things there is no such budgetary provision for this . we also provide panchnama for the insurance process , edc chairman gram Pradhan and sarpanch certifies the death that helps the owner to get insurance.</p>
<p>iii) Safety precautions and determining CCTV camera locations. Additional information about following points be given: a. Safety precautions and monitoring mechanism. b. Details of CCTV/cameras/provided and monitoring mechanism of and reporting structure. c. Control Room and its operation. d. Action taken on CCTV footage may be given. e. Uses of mobile app if any. f. Any other action in this regard.</p>	<p>Our office is surrounded with cctv and almost ALL the hotels at ghangaria have cctv , police department uses it for help.</p>
<p>iv) Preparing SoP and display boards with DOS and Don'ts. Additional information about following points be given: a. Details of Display Boards/ Sign boards provided along the Yatra routes. b. Formulation of SOP for information dissemination. c. Any other action in this regard.</p>	<p>we have installed 100+ display boards along the yatra route with dos and don'ts .</p>
<p>iii) Demarcation of areas where activities incompatible with environment prohibited/ regulated. Additional information about following points be given: a. Effective demarcation of restricted area along the Yatra track. b. Monitoring mechanism of any pilgrims/ tourist in</p>	<p>subject related to forest department.</p>

	<p>restricted areas.</p> <p>c. Provisions of penalty against violators details of penalty imposed if any</p> <p>d. Any other action in this regard.</p>	
	<p>iv) Source of funds to sustain regulatory measures , traffic management at suitable locations, compliance of environmental norms inculdnd water Act air act &E(P)act.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Status of budgetary privislons for waste management liquid waste management traffic management etc mules/equines.</p> <p>b. Any other action in this regard.</p>	<p>Our ngo is under forest department and its self sustained .</p> <p>Our main source of income is through the mules ,kandi and shops and hotels . we have our barriers that regulate the traffic of horses and kandls and provide it to pilgrims and tourists at government rates. The rates included 100 rupees eco fees that our barrier employees collect from the mule or kandi owners. That is done only once in a day, that is the source of our income. Through that money we arrange salary of our sweepers and other employees. We also use our funds to make charis for mules and dung pits and ther renovations and cleanliness. We bought chemicals for the liquid waste management of mules like ODC 50 it helps to reduce the odour.</p>
	<p>v) Imparting awareness and education to tourists, inhabitants and operators.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Details of awareness program/activities undertaken. Photographs and details of people benefitted may be provided.</p> <p>b. Use of loudspeakers for Do's & Don'ts.</p> <p>c. Any other action in this regard.</p>	<p>We have display boards everywhere on the yatra route and we also show documentary at our ghangaria office to aware tourists about not polluting the place and maintaining cleanliness . forest department don't permit loudspeakers into the valley of flowers.</p>
3-	<p>Discouraging use of food and products packaged in non-biodegradable packing material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.</p> <p>Additional information about following points be given:</p>	<p>Subject related to forest department as we have no such power to impose penalty on using such products into the valley of flowers or on the yatra route.</p> <p>We conduct cleanliness campaigns</p>

	<p>a. Penalty imposed against uses of single use of plastic items. Details of challan and fine collected may also be given.</p> <p>b. Drive for banned plastic items undertaken.</p> <p>c. Details of QR code based DDRS implemented and total plastic waste collected and routed for recycling in Yatra season.</p> <p>d. Any other action in this regard.</p>	<p>on different intervals for awareness among the locals as well as the tourists.</p> <p>Every year we collect around 50 tons of solid waste throughout the yatra route and send it to recycle plants.</p>
4-	Execute and duly monitor the Action Plan, which may be revised periodically.	Edc bhyundar have appointed supervisors from village and also our secretary from forest department plays crucial role in monitoring the yatra route's cleanliness.
5-	Set up waste processing /management facilities for biodegradable and non- biodegradable waste at appropriate locations, using best practices on the subject. Already covered in Sr.No.2(1).	Edc bhyundar have installed solid waste grinding machine and 2 bottle crusher machines at ghangaria with the help of DFO, NDBR and one compact machine facilities at pulna with the help of zila panchayat Chamoli .
6-	Allocate requisite fund at District and Gram Panchayat level for executions of action plan under the final supervisions of chief secretary.	There is no role of gram panchayat funds in the our action plan edc bhyundar works with own funds and with the help of zila panchayat.
7-	Any other information:-	EDC BHYUNDAR is a self sustained NGO works under forest department and with the help of zila panchayat, we work on solid waste management and our priority is the cleanliness and management of the yatra route .

अध्यक्ष,
 चंद्रमोखर चौहान
 अध्यक्ष
 एडसी
 E.D.C.
 Bhyundar
 (Reg. No.-947)



442 संलग्न-प्रसंग सं० 05 का

पुलना में कंप्यूटर मशीन द्वारा संचित स्थान-आवृत्ति की
कॉम्पैक्ट डेल्स



प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

वैज्ञानिक अधिकारी,
मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।


संख्या- 1177 / 33-11 (2022-23) रुद्रप्रयाग दिनांक दिसम्बर, 30, 2023
विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोभना कछरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक: यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-600/2023/1055 दिनांक 28.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
अवगत कराना है कि श्री केदारनाथ यात्रा व्यवस्था के संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस कार्यालय के आदेश सं0-88/15-8 (2012-13) दिनांक 09 मई 2023 से नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोभना कछरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के मामले में मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.10.2023 को पारित आदेश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक-1097/एन.जी.टी./561-2022/2023-24 दिनांक 29 दिसम्बर 2023 से सूचना संकलित करते हुए प्रस्तुत की गयी है।

अतः मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी संकलित सूचना संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(सीरम गहरवार)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:-

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, देहरादून को
मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.10.2023 को पारित आदेश के क्रम में आख्या सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

वैज्ञानिक अधिकारी,
मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

संख्या- 1177 /33-11 (2022-23) रुद्रप्रयाग दिनांक दिसम्बर, 30, 2023

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोभना कछरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक: यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-600/2023/1055 दिनांक 28.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि श्री केदारनाथ यात्रा व्यवस्था के संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस कार्यालय के आदेश सं0-88/15-8 (2012-13) दिनांक 09 मई 2023 से नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोभना कछरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के मामले में मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.10.2023 को पारित आदेश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक-1097/एन.जी.टी./561-2022/2023-24 दिनांक 29 दिसम्बर 2023 से सूचना संकलित करते हुए प्रस्तुत की गयी है।

अतः मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी संकलित सूचना संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।


संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(सौरभ गहरवार)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:-

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, देहरादून को मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.10.2023 को पारित आदेश के क्रम में आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



30/12/23
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 1097 / एन.जी.टी. / 561-2022 / 2023-24

दिनांक 29 दिसम्बर, 2023

विषय-

मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 782/33-11 (2022-23) रुद्रप्रयाग दिनांक दिसम्बर 02, 2023 के क्रम में वैज्ञानिक अधिकारी, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन" देहरादून के पत्रांक-यूकेपीसीबी/एच.ओ./ सा0-183-600/2023/1055 दिनांक 28.11.2023 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में उल्लेखित बिन्दुओं पर उपलब्ध/स्थापित व्यवस्थाओं से सम्बन्धित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत: महोदय, की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	कार्यविन्दु		कार्यवाही
1	कार्ययोजना की स्थिति	1) वाहनों की सीमित संख्या और वाहनों के प्रकार, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की वहन क्षमता के अनुरूप पर्यटकों की संख्या।	1. वाहनों के लिए उपलब्ध पार्किंग क्षेत्र।
			अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 1863/2023-24 दिनांक 06.12.2023 (संलग्नक-1) के द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन पार्किंग हेतु जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा सोनप्रयाग एवं सीतापुर पार्किंग का संचालन किया जाता है। सोनप्रयाग पार्किंग में 500 हल्के वाहन तथा 150 मोटर साइकिल तथा सीतापुर पार्किंग में 150 हल्के वाहन रुकने की क्षमता है। पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र याचिका-निर्देश/2023 दिनांक 12.12.2023 (संलग्नक-2) के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन के पत्र के क्रम में अवगत कराया गया है कि जनपद में यात्रा सीजन के दौरान छोटे/वाहन जिसमें टूल्हीलर एवं फोरव्हीलर की संख्या काफी मात्रा में (लगभग 1000 छोटे/बड़ेवाहन प्रतिदिन) वाहन आते हैं, अत्यधिक वाहनों के बढ़ने से यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसलिए जनपद में रुद्रप्रयाग गुलाबराय स्थित ग्राउण्ड में बड़े/छोटे लगभग 400 वाहनों हेतु अगस्त्यमुनि में मेला ग्राउण्ड में



मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग



जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

				<p>बड़े/छोटे लगभग 1200 वाहनों हेतु चन्द्रापुरी स्यालसौड में लगभग 300 छोट/बड़े वाहन हेतु गुप्तकाशी नगरपालिका पार्किंग में लगभग 20 बड़े/छोटे वाहन हेतु अस्थाई पार्किंग व्यवस्था की जाती है, इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीतापुर में बड़े/छोटे वाहन हेतु लगभग 150 एवं सोनप्रयाग में बड़े/छोटे वाहन हेतु लगभग 1000 वाहनों हेतु स्थानीय पार्किंग की व्यवस्था है।</p> <p>पुलिस उपाधीक्षक यातायात द्वारा संबन्धित विभागों के साथ रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले प्रत्येक डेन्जर जोन का घ्यन कर रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को प्रेषित की जाती है।</p> <p>सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड तक मार्ग अत्यन्त संकरा है, जिस कारण यात्रियों द्वारा अपने व्यक्तिगत वाहन सीतापुर एवं सोनप्रयाग में ही अवस्थित पार्किंग में खड़े किये जाते हैं, तथा सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड के मध्य 05 किमी० की दूरी तय करने हेतु कुल 150 बोलरो/मैक्स वाहनों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। जिसमें एक समय पर 100 वाहनों को संचालन ही अनुमति होती है, तथा शेष 50 वाहनों को रिजर्व में रखा जाता है।</p> <p>जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 812/यात्रा/2023-24 दिनांक 21.10.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री केदारनाथ तथा अन्य तीन धामों में धारक क्षमता के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गयी थी जिसके अनुसार केदारनाथ धाम हेतु 13000 श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन की गयी थी, परन्तु यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व दिनांक 23 अप्रैल, 2023 को शासन द्वारा घोषणा की गयी की प्रतिदिन निर्धारित संख्या को समाप्त कर दिया गया है।</p>
			2. तीर्थयात्रियों/पर्यटकों के पंजीकरण की प्रक्रिया।	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 923/एन०जी०टी०/2023-24 दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 (संलग्नक-3) के द्वारा अवगत कराया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			<p>कि श्री केदारनाथ एवं अन्य धारों की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री को अपना पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा विकसित पोर्टल registrationandtouristcare.uk.gov.in पर करना होता है। आगमन पर तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग स्थित सत्यापन काउंटर पर अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। जहाँ पर हर पंजीकरण प्रमाण पत्र की जांच की जाती है, जिसके बाद ही तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p>	
		<p>3. इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही।</p>	<p>पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र याचिका-निर्देश/2023 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन के पत्र के क्रम में अवगत कराया गया है कि यातायात प्रबन्धन हेतु राजकीय कोश से बजट प्राप्त होता है जिसके अन्तर्गत यातायात कार्यालय रुद्रप्रयाग द्वारा सम्पूर्ण यात्रा मार्ग पर यात्रियों/श्रद्धालुओं के मार्ग दर्शन हेतु यात्रा मार्ग पर जगह जगह साईन बोर्ड लगाये जाते हैं, सम्पूर्ण मार्ग पर पड़ने वाले ब्लाईन्ड मोडो पर केन्वास मिरर/कोन/बेरियर/फ्लेक्सी बोर्ड आदि लगाये जाते एवं मार्ग पर पड़ने वाले डेंजर जोन को चयनित कर बेरियर आदि लगाने हेतु संबन्धित विभाग से पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किया जाता है।</p> <p>उसके अतिरिक्त जनपद मे यातायात प्रबन्ध हेतु सम्पूर्ण मार्ग पर यातायात अधि/कार्मिको को नियुक्त कर चैकिंग अभियान चलाया जाता है एवं यात्रा सीजन के दौरान वाहनों की अत्यधिक भीड़ होने के कारण यातायात बाधित न हो जिस कारण सम्पूर्ण यात्रा मार्ग पर निर्धारित स्थानो का चयन कर उक्त स्थानो पर ट्रैफिक/नागरिक पुलिस के अधि/कर्मो गणों को नियुक्त कर बेरियर की व्यवस्था की जाती है जिनके द्वारा वाहनो को निर्धारित समय के अन्तराल पर छोडा जाता है जिससे यातायात व्यवस्था सूचारु रूप से गतिमान रहती है।</p>	
	<p>पर्यवरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र की वहन क्षमता के अनुरूप घोड़े/खच्चरों की संख्या सीमित करना।</p>	<p>1. पंजीकृत घोड़े/खच्चरों की संख्या और पंजीकरण की प्रक्रिया।</p>		<p>अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 1880/2023-24 दिनांक 13.12.2023 (संलग्नक-4) के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा घोड़ा-खच्चरों का पंजीकरण पशुपालन</p>

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			<p>विभाग के द्वारा घोड़े-खच्चरों का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र निर्गत करने के पश्चात किया जाता है, तथा श्री केदारनाथ यात्रा में घोड़े-खच्चरों का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है, जिस कारण जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गयी संख्या के आधार पर किया जाता है। भविष्य में भी जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित की गयी संख्या के आधार पर ही जिला पंचायत के द्वारा घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण किया जायेगा।</p> <p>मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 2315/चारधाम-मा०एन.जी.टी/2023-24 दिनांक 11.12.2023 (संलग्नक-5) के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग वर्ष-2023 में 9096 घोड़े/खच्चरों का पंजीकरण हुआ है। सर्वप्रथम पशुपालन के पशुचिकित्सकों द्वारा घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए Glanders रोग की जांच हेतु नमूने एकत्रित किये जाते हैं तथा स्वस्थ पशुओं का एक वर्षीय बीमा पशुपालन विभाग की पशुधन बीमा योजनान्तर्गत किया जाता है। जिस हेतु पशु के कान पर टैग भी लगाया जाता है। तदपश्चात् जिला पंचायत द्वारा पशु को यात्रा में प्रतिभाग हेतु पंजीकृत करते हुए लाइसेंस जारी किया जाता है। पंजीकरण के अंतिम चरण में GMax संस्था द्वारा प्रत्येक घोड़े/खच्चरों का समस्त विवरण On Line Portal पर दर्ज करते हुये प्रत्येक घोड़े/खच्चरों को RFID टैग जारी किया जाता है जो सदैव घोड़े/खच्चरों के गले में लटकाया जाना आवश्यक है।</p> <p>प्रबन्धक, जी मैक्स आई0टी0 सर्विसेज के कार्यालय रेफरेंस नं०-GMAX/JMU/20231213/01 दिनांक 13.12.2023 (संलग्नक-6) के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री केदारनाथ यात्रा में, निर्धारित एस0ओ0पी0 के अनुसार विभिन्न सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत करना जिला पंचायत रुद्रप्रयाग का कार्यक्षेत्र है। प्रशासन की इच्छा के अनुसार हमने सेवा प्रदाताओं और खच्चर/खच्चर हॉकरों का उनके फोटोग्राफ, व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण और खच्चरों के मेडिकल रिकॉर्ड जैसे उनके</p>
--	--	--	---


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			<p>प्रमाण-पत्रों के साथ डिजिटल पंजीकरण किया है। पंजीकरण के बाद हमने एक सुरक्षित और टेम्पर प्रूफ प्रणाली बनाने के लिए पंजीकृत और प्रमाणीकृत खच्चर और खच्चर मालिकों को आर०एफ०आई०डी० आधारित स्मार्ट कार्ड जारी किया है। वास्तविक समय की ट्रेकिंग के लिए श्री केदारनाथ जी के पवित्र ट्रैक पर चलने वाले पंजीकृत खच्चरों पर एक आर०एफ०आई०डी० टैग भी लगाया गया है। ये सभी क्लेडेंशियल एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं और कोई भी वास्तविक समय विश्लेषण के लिए प्रमाणीकरण लॉगिन आई०डी० और पासवर्ड का उपयोग करके URL www.kedar.gmaxconnect.com पर इसे एक्सेस कर सकता है। यात्रा वर्ष-2023 का पंजीकरण विवरण संलग्न किया गया है।</p>
		<p>2. कान टैगिंग और पशु चिकित्सा जांच का प्रावधान।</p>	<p>मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 2315/चारधाम-मा०एन.जी.टी/2023-24 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पशुपालन के पशुचिकित्सकों द्वारा घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए Glanders रोग की जांच हेतु नमूने एकत्रित किये जाते हैं तथा स्वस्थ पशुओं का एक वर्षीय बीमा पशुपालन विभाग की पशुधन बीमा योजनान्तर्गत किया जाता है। जिस हेतु पशु के कान पर टैग भी लगाया जाता है।</p> <p>श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर इस वर्ष 2023 में पशुपालन विभाग द्वारा कुल 07 पशुचिकित्साधिकारी एवं 05 पेटावेट यात्रा मार्ग पर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने एवं पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नियुक्त किये गये हैं।</p> <p>यात्रा हेतु पंजीकरण से पूर्व प्रत्येक घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्सक द्वारा करवाया जाना अनिवार्य किया गया है तथा स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु के उम्र का भी संज्ञान लिया जाता है। पशुस्वास्थ्य परीक्षण में पूर्णतः स्वस्थ एवं उपयुक्त पाए गए पशुओं को ही यात्रा में प्रतिभाग हेतु अनुमति दी जाती है।</p> <p>जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र सं० 2851/चारधाम यात्रा/2022-23 दिनांक 01.03.2023 के द्वारा ग्लैंडर्स की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त</p>


 मुख्य विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग


 जिला विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग

			<p>के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यात्रा मार्ग पर 14 कैम्प आयोजित किये गये। यात्रा में जाने से पहले सभी घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण, ग्लैण्डर्स नेगेटिव आने पर ही अनुमति प्रदान की गयी ग्लैण्डर्स की जाँच हेतु इस वर्ष जनपद में कुल 5848 पशुओं के रक्त नमूने लिए गए हैं।</p> <p>3. यात्रा मार्गों पर घोड़े/खच्चरों की संख्या सीमित करने की व्यवस्था।</p> <p>मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 2315/चारधाम-ना10एन.जी.टी/2023-24 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर ग्लैण्डर्स के संबंध में कुल 14 कैम्प आयोजित किये गये जिनमें घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही ग्लैण्डर्स की जाँच हेतु कुल 5848 पशुओं के रक्त नमूने लिए गए, जिसमें से जो पशु पॉजीटिव पाए गए उन्हें यात्रा मार्ग पर चलने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गयी। पशुपालन अनुभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी एस0ओपी0 क्रमांक 775/XV-1/23/4(12)22 दिनांक 01.05.2023 के अनुपालन के क्रम में यात्रा मार्ग हेतु कुल 5000(पाँच हजार) अश्ववंशीय पशुओं की क्षमता निर्धारित की गयी।</p> <p>उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के बिन्दु संख्या 12 द्वारा यात्रा मार्ग पर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शवों का बीमा संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए 24 घण्टों के भीतर निस्तारण किया जाना प्राविधानित है जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा शव का निस्तारण नियमानुसार किया जाता है।</p> <p>यात्रा हेतु पंजीकरण से पूर्व प्रत्येक घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्सक द्वारा करवाया जाना अनिवार्य किया गया है तथा स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु के उम्र का भी संज्ञान लिया जाता है। पशुस्वास्थ्य परीक्षण में पूर्णतः स्वस्थ एवं उपयुक्त पाए गए पशुओं को ही यात्रा में प्रतिभाग हेतु अनुमति दी जाती है।</p> <p>जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र सं0 2851/चारधाम यात्रा/2022-23 दिनांक 01.03.2023 के द्वारा ग्लैण्डर्स की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यात्रा</p>
--	--	--	--

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			<p>मार्ग पर 14 कैम्प आयोजित किये गये। यात्रा में जाने से पहले सभी घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण, ग्लैण्डर्स नेगेटिव आने पर ही अनुमति प्रदान की गयी ग्लैण्डर्स की जाँच हेतु इस वर्ष जनपद में कुल 5848 पशुओं के रक्त नमूने लिए गए हैं।</p>
		<p>4. पशुपालन अनुभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी एस0ओ0पी0 क्रमांक 775/XV-1/23/4(12)22 दिनांक 01.05.2023 की अनुपालन स्थिति के सन्दर्भ में।</p>	<p>मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 2315/चारधाम-मा0एन.जी.टी/2023-24 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0 775/XV-1/23/4(12)22 दिनांक 01 मई, 2023 में वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का अनुपालन किया जा रहा है, जिसके क्रम में</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र सं0 863/यात्रा व्यवस्था सैल/2023-24 दिनांक 19 अप्रैल, 2023 द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं हेतु जनपद के विभिन्न अधिकारियों की यात्रा हेतु नोडल अधिकारी एवं सब-नोडल अधिकारियों के रूप में तैनाती की गयी। 2) यात्रा मार्ग हेतु कुल 5000(पाँच हजार) अश्ववंशीय पशुओं की क्षमता निर्धारित की गयी है एवं उक्त को GMax कंपनी (जिसे घोड़े/खच्चरों पर RFID Tag/Token जारी करने के लिए चयनित किया गया है) द्वारा पेमेंट गेटवे के माध्यम से तीर्थयात्रियों एवं घोड़ा/खच्चरों संचालकों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़ा/खच्चरों हेतु निर्धारित अधिकतम संख्या का उल्लंघन नहीं होने पाए। 3) श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़ा/खच्चरों के पानी पीने हेतु गीजर युक्त 17 गर्म पानी की चरहियों संचालित की जा रही हैं, जनकी देख-रेख विभिन्न चरहियों पर तैनात म्यूल टास्क फोर्स के जवानों द्वारा की जाती है। यात्रा में प्रयुक्त घोड़ा/खच्चरों के चारे-दाने हेतु यात्रा के मुख्य पड़ावों पर पशु आहार की दुकानें उपलब्ध हैं जिनको रेटलिस्ट चरपा करने हेतु निर्देश है जिसका अनुपालन सैक्टर अधिकारियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। 4) घोड़ा/खच्चरों के पंजीकरण से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण के समय पशु के कान में विशिष्ट पहचान संख्या युक्त टैग लगा होना

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			<p>अनिवार्य किया गया है।</p> <p>5) श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा/खच्चरों के पशु स्वास्थ्य के दृष्टिगत स्थान सोनप्रयाग, गौरीकुण्ड, लिंगोली एवं केदारनाथ में चार अस्थाई पशुचिकित्सालय संचालित किये गये हैं, जिनके माध्यम से यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़ा/खच्चरों को पशु चिकित्सा सुविधायें दी जा रही हैं। साथ ही प्रतिदिन मार्ग पर चलने वाले घोड़ा/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। इस वर्ष विभाग द्वारा कुल 07 पशुचिकित्साधिकारी एवं 06 पेशावेट यात्रा मार्ग पर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने एवं पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नियुक्त किये गये हैं, जिनके द्वारा 24 घण्टे पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पशुस्वास्थ्य परीक्षण में पूर्णतः स्वस्थ एवं उपयुक्त पाए गए पशुओं को ही यात्रा में प्रतिभाग हेतु अनुमति दी जाती है।</p> <p>6) पशुकल्याण से संबंधित कानूनी प्राविधानों, मा0 उच्च न्यायालयों, मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिए गए मार्गदर्शी आदेशों के प्रति जागरूकता हेतु संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है जिसमें 14 दिवस कार्यशालाएँ/शिविर आयोजित किए गए हैं। साथ ही जिला स्तरीय पशुकूरता निवारण समिति की बैठक यात्रा से पूर्व माह फरवरी में आयोजित की गई एवं यात्रा मार्ग पर अश्वकल्याण हेतु उपसमिति की बैठक दिनांक 13 जून, 2023 एवं 31 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई।</p> <p>7) ग्लैण्डर्स के संबंध में यात्रा मार्ग पर कुल 14 कैंप आयोजित किये गये जिनमें घोड़ा/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही ग्लैण्डर्स की जांच हेतु कुल 5848 पशुओं के रक्त नमूने लिए गये।</p> <p>8) उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के बिन्दु 12 द्वारा यात्रा मार्ग पर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शवों का बमा संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए 24 घण्टों के भीतर निस्तारण किया जाना प्राविधानित है जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा शव का निस्तारण नियमानुसार किया जाता है।</p>
--	--	--	---


 मुख्य विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग


 जिला विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग

			<p>9) पशुप्रूरता से संबंधित प्रकरणों में कुल 20 प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। विगत वर्ष 2022 में यात्रा के दौरान कुल 351 पशुओं की मृत्यु दर्ज हुई है, जबकि इस वर्ष 2023 में 141 पशुओं जो विगत वर्ष की तुलना में कम हैं। (संलग्न-पूर्ण विवरण चार्ट)।</p> <p>10) यात्रा मार्ग में पशु-स्वामियों द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाए जाने एवं पशुप्रूरता निवारण हेतु 30 सदस्यों म्यूल टॉस्क फोर्स का गठन कर तैनात किया गया है जिनके द्वारा यात्रा मार्ग पर निरन्तर निगरानी करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले पशुमालिकों का सैक्टर अधिकारी/जिला पंचायत/ पुलिस/ प्रशासन/पशुचिकित्सकों के माध्यम से चालन किया गया है तथा अपंजीकृत घोड़े-खच्चरों को यात्रा में प्रतिभाग से रोका गया था।</p>
		5. मृत घोड़े/खच्चरों के शव का निपटान तंत्र और इसकी निगरानी तंत्र।	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 2315/चारधाम-मा0एन.जी.टी/2023-24 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के बिन्दु संख्या 12 द्वारा यात्रा मार्ग पर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शवों का बीमा संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए 24 घण्टों के भीतर निस्तारण किया जाना प्राविधानित है जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा शव का निस्तारण नियमानुसार किया जाता है।
		6. इस सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही।	-
2	बुनियादी ढांचे की समीक्षा करें और योजना बनाएं	1) कचरे का प्रबन्धन	<p>1. यात्रा मार्ग पर उपलब्ध शौचालयों की संख्या (अस्थायी या स्थायी) और उनकी सफाई और अपशिष्ट निपटान तंत्र।</p> <p>प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 (संलग्नक-7) के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री कंदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में गौरीकुण्ड से श्री कंदारनाथ तक 28 नग (308 सीट) स्थायी शौचालय एवं 251 स्टील फेम शौचालय स्थापित है। स्थायी शौचालयों के अपशिष्ट निपटान के लिए शौचालय के साथ सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है एवं स्टील फेम शौचालयों हेतु लीचपिट निर्माण किया गया है।</p>
		2. यात्रा मार्ग पर सीवेज उपचार संयंत्र की संख्या।	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 के द्वारा अवगत कराया

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			<p>गया कि यात्रा मार्गों पर सुलभ संस्था के कोई भी सीवेज उपचार संयंत्र नहीं है। स्थायी शौचालयों के अपशिष्ट निपटान के लिए शौचालय के साथ सैप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है एवं स्टील फ्रेम शौचालयों हेतु लीचपिट निर्माण किया गया है।</p> <p>अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 108/न0प0केदारनाथ/2023-24 दिनांक 12.12.2023 (संलग्नक-8) के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में गाबर कम्पनी द्वारा sewage treatment plants एस0टी0पी0 का कार्य निर्माणाधीन है।</p>
		3. घोड़े-खच्चरों द्वारा उत्पन्न गोबर का संग्रहण एवं निपटान तंत्र।	<p>प्रभारी, सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि घोड़े-खच्चरों द्वारा उत्पन्न गोबर के संग्रहण एवं निपटान के लिये संस्था द्वारा यात्रा अवधि में सफाईकर्मियों द्वारा सम्पूर्ण यात्रा मार्ग में साफ-सफाई के कार्य का संचालन किया जाता है। जिसमें गोबर को विभिन्न स्थलों में बने पिट्स में एकत्रित कर लिया जाता है और समय-समय पर पिट्स में संग्रहित गोबर को गौरीकुण्ड पहुंचाया जाता है। फिर वहां से संस्था के कम्पोस्टिंग/डम्पिंग जोन रामपुर में कम्पोट किया जाता है।</p>
		4. यात्रा मार्गों और पटरियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।	<p>प्रभारी, सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा सीतापुर से श्री केदारनाथ धाम तक साफ-सफाई का कार्य संचालित किया जाता है। जिसमें घोड़े-खच्चरों द्वारा उत्पन्न गोबर को संग्रहण एवं निपटान उपर्युक्त बिन्दु में स्पष्ट किया गया है एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये संस्था के कर्मियों द्वारा नियमित रूप से साफ-सफाई के दौरान ठोस अपशिष्ट को अलग से डस्टबिन एवं गनी बैग में संग्रहित कर लिया जाता है। जिसे समय-समय पर पैदल यात्रा मार्ग से गौरीकुण्ड तक घोड़े-खच्चरों से पहुंचाया जाता है एवं वहां से कूड़ा/वाहन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट को रामपुर स्थित डम्पिंग जोन से लाकर डम्प</p>

मुख्य विकास अधिकारी
रूद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रूद्रप्रयाग

			<p>किया जाता है।</p> <p>अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 108/न0प0केदारनाथ/2023-24 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत 50 अस्थायी पर्यावरण मित्र तैनात हैं जिनके द्वारा प्रत्येक दिन दो पालियों में केदारपुरी की साफ-सफाई एवं डोर-टू-डोर जैविक एवं अजैविक कूड़े को उठाया जा रहा है, एवं उत्सर्जित जैविक एवं अजैविक कूड़े को ट्रैक्टर वाहन के माध्यम से कूड़ा निस्तारण केन्द्र पहुंचाया जाता है, जहां पर अजैविक कूड़े की छटाई कर कट्टों में भरकर घोड़े-खच्चरों के माध्यम से रिसाईकल केन्द्र सोनप्रयाग भेजा जाता है, तथा जैविक कूड़े को पिटों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है।</p> <p>अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 1863/2023-24 दिनांक 06.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा जनपद के ग्रामीण बाजारों में खांखरा से नरकोटा, सुमाड़ी से चिरबडिया, चन्द्रापुरी से रामपुर फाटा, एवं रतूडा से नगरासू बाजार कुल 125 किमी एरिया के अन्तर्गत जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा वर्ष-2022 एवं वर्ष-2023 में सफाई व्यवस्था के लिए यात्रा प्रारम्भ होने पर 95 पर्यावरण मित्रों की तैनाती तथा यात्रा समाप्ति के बाद 50 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की जाती है, जिनके द्वारा यात्रा समाप्ति के बाद सुबह, दिन एवं शाम को दिन में तीन बार तथा यात्राकाल में भी सुबह, दिन एवं शाम को दिन में दो बार सफाई व्यवस्था का कार्य किया जाता है जिसमें जैविक एवं अजैविक कूड़े को अलग-अलग बोरे में भरकर अजैविक कूड़े को पूर्व में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि एवं नगर पालिका रुद्रप्रयाग के डम्पिंग जोन में जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा लगाये गये दो कूड़ा वाहनों के माध्यमों से निस्तारण किया जा रहा था लेकिन माह जुलाई में जिला पंचायत द्वारा जनपद में विकास खण्ड जखोली के स्थान मयाली एवं विकास खण्ड ऊखीमठ के स्थान मनसुना में काम्पैक्टर मशीनों (02 काम्पैक्टर मशीनों) का संचालन करने के पश्चात कूड़े का निस्तारण उक्त काम्पैक्टर मशीनों में किया</p>
--	--	--	--


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			<p>जा रहा है, तथा जैविक कूड़े के निस्तारण हेतु जनपद के विभिन्न स्थान-रामपुर, फाटा, भीरी, चन्द्रापुरी एवं गुप्तकाशी, खांखरा, नगरासू पर निर्मित किये गये कूड़ा पिट्टों में किया जा रहा है। वर्तमान में शासन द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु तीनों विकास खण्डों में कूड़ा वाहनों की तैनाती कर दी गयी है, जिसके कारण जनपद के ग्रामीण बाजारों का कूड़ा उनके माध्यम से काम्पेक्टर मशीनों तक पहुंचाया जा रहा है साथ ही कूड़ा निस्तारण हेतु एक कूड़ा वाहन जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा लगाया गया है तथा काम्पेक्टर मशीनों से अजैविक कूड़े को कॉम्पैक्ट कर रिसाईकिलिंग के लिए समय-समय पर हरिद्वार भेजा जायेगा।</p>
		5. प्लास्टिक और अन्य पुनर्चक्रण योग्य कचरे का पृथक्करण।	<p>प्रभारी, चुलम इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि साफ-सफाई के कारण साफाईकर्मियों द्वारा प्लास्टिक और पुनर्चक्रण योग्य कचरे को गनी बैग में एकत्रित कर लिया जाता है। जिसे समय-समय पर घोड़े-खच्चरों द्वारा गौरीकुण्ड एवं कूड़ा वाहन द्वारा कॉम्पेक्टर मशीन सोनप्रयाग पहुंचाकर काम्पेक्ट का रिसाईकिलिंग के लिये भेजा जाता है।</p> <p>अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 108/न0प0केदारनाथ/2023-24 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत उत्सर्जित जैविक/अजैविक कूड़े को ट्रैक्टर वाहन के माध्यम से कूड़ा निस्तारण केन्द्र पहुंचाया जाता है, जहां पर अजैविक कूड़े की छंटाई कर कट्टों में भरकर घोड़े-खच्चरों के माध्यम से रिसाईकिल केन्द्र सोनप्रयाग भेजा जाता है।</p>
		6. प्रतिबन्धित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग की स्थिति।	<p>अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 114/न0प0कौ0-एन0जी0टी0/(2023-24) दिनांक 20.12.2023 (संलग्न-9) के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निकाय अन्तर्गत एकल उपयोग प्लास्टिक को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है।</p>
		7. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की निगरानी तंत्र।	<p>अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 108/न0प0</p>

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			केदारनाथ/2023-24 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत साफ-सफाई की निगरानी हेतु 01 सफाई हेड/पर्यावरण पर्यवेक्षक तैनात किया गया है, एवं समय-समय पर अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।
		8. इस सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही।	-
	2) मृत खच्चरों का त्वरित निपटान और वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिए अन्य उपाय।	1. तेजी से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल निपटान सुनिश्चित करने के लिए मृत घोड़े/खच्चरों का निपटान तंत्र।	प्रभारी, सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि पैदल यात्रा मार्ग पर ट्राली एवं वाहन के माध्यम से निस्तारण किया जाता है।
		2. मृत घोड़े/खच्चरों के निपटान के लिए दफन स्थलों की पहचान करना।	प्रभारी, सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि यात्रा मार्ग पर नियुक्त पशु चिकित्सक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा मृत खच्चरों/घोड़ों का शवपरीक्षा के बाद चिन्हित स्थलों पर दफन किया जाता है।
		3. मृत घोड़े/खच्चरों के ऐसे निपटान की निगरानी तंत्र।	प्रभारी, सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन द्वारा पशु चिकित्सक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में कार्य किये जाते हैं।
		4. उल्लंघन के मामले में दंड के प्रावधान और उसके लिए जिम्मेदार प्राधिकारी। लगाए गए जुर्माने के मामले में विवरण दिया जाए।	-
		5. मृत घोड़े/खच्चरों के निपटान की अनुमानित लागत और उसके लिए बजटीय प्रावधान।	प्रभारी, सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि मानवीय दृष्टिकोण से संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जाती है।
		6. इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही।	-


 मुख्य विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग


 जिला विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग

	3)सुरक्षा सावधानियों और सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थानों का निर्धारण।	1. सुरक्षा सावधानियां और निगरानी तंत्र।	<p>पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र याधिका-निर्देश/2023 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा निरीक्षक पुलिस दूर संचार जनपद रुद्रप्रयाग के पत्र के क्रम में अवगत कराया गया कि जनपद और श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर निगरानी के लिए 65 सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किये गये हैं, जो अलग-अलग स्थानों पर स्थापित है। यह स्थान सम्बन्धित पुलिस स्टेशनों और सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा तय किये गये हैं। सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे उचित ऊचाई पर लटके हुए हैं। साथ ही इसमें से अधिकांश कैमरे सी0ए0एम0सी0 अन्तर्गत आते हैं। इन कैमरों की निगरानी उनके सम्बन्धित पुलिस स्टेशनों या चौकियां, जो भी नजदीक हो में की जा रही है।</p> <p>प्रबन्धक, जी मैक्स आई0टी0 सर्विसेज के कार्यालय रेफरेन्स नं0-GMAX/JMU/20231213/01 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासन के निर्देशानुसार एक सुरक्षित वायरलेस नेटवर्क का उपयोग करके एक सी0सी0टी0वी0 निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। इस यात्रा अवधि के दौरान कुल 16 पी0टी0जेड0 कैमरे और 12 स्थिर कैमरे स्थापित किए गए हैं। सभी प्वाइंट पर 48 घंटे का पावर बैकअप सुनिश्चित किया गया है। सभी आई0पी0 कैमरों के रिकॉर्डिंग बैकअप के साथ हाई एंड नेटवर्क वीडियो रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों की पहुंच पुलिस नियंत्रण कक्ष सोनप्रयाग, जिला मुख्यालय, एस0ई0ओ0सी0, आयुक्त सचिव कार्यालय देहरादून और पुलिस नियंत्रण कक्ष, देहरादून को दी गई है। प्रशासन के निर्देशानुसार, श्री केदारनाथ मार्ग पर बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डीडीएमए के लोकल वायरलेस इंटरनेट का विस्तार करते हुए 8 अपशिष्ट डंपिंग स्थलों पर स्थिर कैमरों का उपयोग करके निगरानी का प्रावधान किया गया है। स्थापित सी0सी0टी0 कैमरों की मॉनिटरिंग की फोटोग्राफ्स संलग्न है।</p> <p>2. प्रदान किए गए सी.सी.टी.वी./कैमरों/ निगरानी तंत्र और रिपोर्टिंग संरचना का विवरण।</p> <p>पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र याधिका-निर्देश/2023 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि यात्रा मार्ग पर निगरानी हेतु रुद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत 24 कैमरे, अगस्त्यनुनि क्षेत्रान्तर्गत 19 कैमरे,</p>
--	---	---	--

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			<p>गप्तकाशी क्षेत्रान्तर्गत 11 कैमरे, ऊखीमठ क्षेत्रान्तर्गत 2 कैमरे एवं सोनप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत 08 कैमरे कुल 64 कैमरे स्थापित है, जिसका विवरण संलग्न है। उक्त स्थापित कैमरों की मॉनिटरिंग सम्बन्धित पुलिस चौकी द्वारा की जाती है।</p>
		3. नियंत्रण कक्ष एवं उसका संचालन।	<p>पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र याचिका-निर्देश/2023 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा निरीक्षक पुलिस दूर संचार जनपद रुद्रप्रयाग के पत्र के क्रम में अवगत कराया गया कि कन्ट्रोल रूम पुलिस अधीक्षक कार्यालय रुद्रप्रयाग के प्रथम तल पर स्थित है। ऑपरेटर रोजाना पुलिस थाने और चौकियों से उनके कैमरों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। यदि कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है तो वे सी०सी०टी०वी० प्रभारी को सूचित करते हैं और फिर सी०सी०टी०वी० प्रभारी पहले भौतिक रूप से या वीडियो कॉल के माध्यम से स्थिति की जांच करते हैं। समस्या का निरीक्षण करने के बाद यदि कोई समस्या हो तो वह एएमसी धारक को सूचित करते हैं या (पी०/टी०) रुद्रप्रयाग को सूचित करते हैं।</p> <p>प्रबन्धक, जी मैक्स आई०टी० सर्विसेज के कार्यालय रेफरेंस नं०-GMAX/JMU/20231213/01 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासन के निर्देशानुसार दो नियंत्रण कक्ष एक सोनप्रयाग में और दूसरा जिला मुख्यालय डीडीएमए कार्यालय में स्थापित हैं। यात्रा मार्ग पर स्थापित सभी कैमरों एक्सेस दोनों नियंत्रण कक्षों तक प्रदान की गई है। इनके अलावा, यात्रा मार्ग पर वास्तविक समय विश्लेषण के लिए इन निगरानी प्रणाली की लाइव फीड एक्सेस जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय रुद्रप्रयाग और मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग के कार्यालय तक भी प्रदान की जाती है। यह भी अवगत कराना है कि प्रशासन, रुद्रप्रयाग इस प्रणाली के माध्यम से यात्रा मार्ग पर सभी हितधारकों को वास्तविक समय पर दिशा-निर्देश देता है।</p>
		4. सी.सी.टी.वी. फुटेज पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाए।	<p>इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर निगरानी के लिए स्थापित सी.सी.टी.वी. की मॉनिटरिंग जनपद मुख्यालय में स्थापित पुलिस कन्ट्रोल रूम एवं</p>

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			<p>यात्रा कन्ट्रोल रूम द्वारा की जाती है। जिस क्रम में यात्रा मार्ग पर हो रही गतिविधियां जैसे- ट्रेफिक निगरानी, पार्किंग निगरानी, सफाई प्रबन्धन की निगरानी, घोड़ा-खच्चर प्रबन्धन की निगरानी, यात्रियों की सुरक्षा की निगरानी एवं संवेदनशील पैदल मार्ग/लैण्डसलाइड मार्ग की निगरानी करते हुए यात्रियों हेतु आपातकालीन व्यवस्था का कार्य किया जाता है। इस वर्ष-2023 में भारी बरसात में कई मार्ग क्षतिग्रस्त हुए जिसके उपरान्त यात्रा कन्ट्रोल/पुलिस कन्ट्रोल रूम से सूचना मिलने पर डी0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 जवानों द्वारा यात्रा मार्ग को खोला गया तथा यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराई गई।</p>
		5. मोबाइल ऐप का उपयोग, यदि कोई हो।	<p>प्रबन्धक, जी मैक्स आई0टी0 सर्विसेज के कार्यालय रेफरेन्स नं0-GMAX/JMU/20231213/01 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासन के निर्देशानुसार निर्धारित एस0ओ0पी0 के अनुसार मेडिकल जांच और सेवा प्रदाताओं को ब्लॉकिंग/डीब्लॉकिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल आधारित मोबाइल ऐप आई0डी0 विकसित की गई है। इस मोबाइल ऐप का एक्सेस श्री केदारनाथ धाम में चलने वाले खच्चरों की नियमित जांच के लिए यात्रा मार्ग पर तैनात पशुपालन विभाग के सभी डॉक्टरों को दी गई है, जिससे वे ट्रैक पर चलने वाले खच्चरों की नियमित स्वास्थ्य जांच की वास्तविक समय की जानकारी अपलोड कर सकें। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और यात्रा प्रबंधन बल के अधिकारियों को भी इस मोबाइल ऐप का उपयोग करने की सुविधा दी गई है। एस0पी0सी0ए0 मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफ0आई0आर0 बनाए रखने का प्रावधान भी इस ऐप के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य रिकॉर्ड का स्नेपशोट संलग्न किया गया है।</p>
		6. इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही।	<p>प्रबन्धक, जी मैक्स आई0टी0 सर्विसेज के कार्यालय रेफरेन्स नं0-GMAX/JMU/20231213/01 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासन के निर्देशानुसार आई0पी0 आधारित पी0ए0 सिस्टम स्थापित किया गया है तथा</p>

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			कुल 20 एस0आई0पी0 स्पीकर स्थापित और रखरखाव किए गए हैं। इन एस0आई0पी0 स्पीकरों का एक्सेस पुलिस नियंत्रण कक्ष सोनप्रयाग, पुलिस नियंत्रण कक्ष केदारनाथ, जिला मुख्यालय और यात्रा नियंत्रण कक्ष सोनप्रयाग तक प्रदान की जाती है। इस एस0आई0पी0 आधारित संचार प्रणाली का उपयोग डी0डी0एम0ए0, रुद्रप्रयाग कार्यालय द्वारा संदेश पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और यह आपदा शमन और प्रबंधन प्रणाली का एक हिस्सा है।
4) क्या करें और क्या न करें के साथ एस.ओ.पी. और डिस्पले बोर्ड तैयार करना।	1. यात्रा मार्गों पर उपलब्ध कराए गए डिस्पले बोर्ड/साइन बोर्ड का विवरण।	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 881/एन0जी0टी0/2023-24 दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 (संलग्नक-10) के द्वारा अवगत कराया गया कि यात्रा मार्गों पर 07 डिस्पले बोर्ड (रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, सीतापुर, सोनप्रयाग, कालीमठ एवं ऊखीमठ) पर्यटन मुख्यालय द्वारा लगवाये गये हैं, जनपद स्तर पर यात्रा मार्ग पर बैनर/साइन बोर्ड स्थापित किये जाने हेतु उद्योग विभाग को नोडल बनाया गया है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 459/सा0प्रशा/2023 दिनांक 06.12.2023 (संलग्नक-11) के द्वारा अवगत कराया गया कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदया पौडी गढवाल/अपर नोडल अधिकारी यात्रा एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (सहायक नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा) द्वारा समय-समय पर क्या करें-क्या न करें के सम्बंध में विभिन्न आदेशों/ज्ञापन/पोस्टर बैनरों के माध्यम से यात्राकाल में यात्रियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाते हैं। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 1863/2023-24 दिनांक 06.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा जनपद के ग्रामीण बाजारों/यात्रा मार्गों पर आम जनमानस को जैविक एवं अजैविक कूड़े के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु जगह-जगह पर फ्लैक्स बोर्ड स्थापित किये जाते हैं।	
	2. सूचना प्रसार के लिए एस.ओ.पी. का गठन।	इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या 1095 दिनांक 23.12.2023 के द्वारा पुलिस विभाग रुद्रप्रयाग को श्री केदारनाथ	

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			यात्रा मार्ग पर स्थापित स्पीकरों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने हेतु सूचित करना, यात्रा सम्बन्धी आवश्यक जानकारी की सूचना देना, यात्रियों को जागरूक करने एवं सूचनाओं का प्रसारण सम्बन्धी एसओपी तैयार करने हेतु अवगत कराया गया है।
		3. इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही।	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 1863/2023-24 दिनांक 08.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्लास्टिक पर नियमानुसार प्रतिबंध आरोपित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों एवं अनुज्ञापति धारकों/व्यवसायकों/विक्रेताओं को जागरूक करने हेतु ग्रामीण बाजारों में फ्लैक्स बोर्ड, पम्पलेट एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
	5) उन क्षेत्रों का सीमांकन करना जहाँ पर्यावरण के साथ असंगत गतिविधियाँ निषिद्ध/विनियमित है।	1. यात्रा मार्ग पर प्रतिबंधित क्षेत्र का प्रभावी सीमांकन।	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 3156/29-3 (कैम्प) गोपेश्वर, दिनांक 11.12.2023 (संलग्नक-12) के द्वारा अवगत कराया गया कि गौरीकुण्ड से श्री केदारनाथ धाम का सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग 16.00 कि०मी० है, जिसमें से गौरीकुण्ड से धारुकैम्प तक 0-10.00 कि०मी० तक पैदल मार्ग केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के मल्ला कालीफाट ब्लॉक के अन्तर्गत है तथा शेष पैदल मार्ग (धारुकैम्प से केदारनाथ धाम) 11.00-16.00 कि०मी० तक का क्षेत्र केदारनाथ चक के अंतर्गत स्थित है।
		2. प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी तीर्थयात्री/पर्यटक की निगरानी तंत्र।	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 3156/29-3 (कैम्प) गोपेश्वर, दिनांक 11.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्गों के समीप प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में निगरानी हेतु यात्राकाल-2023 में 08 वनकर्मियों (03 वन दरोगा, 02 वन आरक्षी और 03 श्रमिक) की तैनाती की गई।
		3. उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड का प्रावधान, लगाए गए जुर्माने का विवरण, यदि कोई हो।	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 3156/29-3 (कैम्प) गोपेश्वर, दिनांक 11.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री केदारनाथ धाम में यात्राकाल-2023 के


 मुख्य विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग


 जिला विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग

			<p>दौरान तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों पर कोई भी जुर्माना नहीं लिया गया है, परन्तु यात्रा मार्ग पर वन क्षेत्रों में अवैध रूप से अतिक्रमण करने के प्रयास में संलिप्त 15 व्यक्तियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 यथा संशोधित-2022 के तहत वन अपराध दर्ज किये गये है, जिसमें रू० 1294500.00 (बारह लाख चौरानब्बे हजार पांच सौ) की धनराशि का जुर्माना वसूल कर राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।</p>
		4. इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही।	-
	<p>8) विनियामक उपायों को बनाए रखने के लिए धन का स्रोत, उपयुक्त स्थानों पर यातायात प्रबंधन, जल अधिनियम, वायु अधिनियम और ई(पी) अधिनियम सहित पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन।</p>	<p>1. अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, घोड़े/खच्चर प्रबंधन आदि के लिए बजटीय प्रावधानों की स्थिति।</p>	<p>प्रभारी, सुलभ इण्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.09.2023 (संलग्नक-13) के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री केंदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में सफाई कार्य, ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक एवं खच्चर लीद निस्तारण कार्य हेतु यूटीडीसीबी० द्वारा कुल धनराशि रू० 13,47,49,000.00 स्वीकृत किया गया है। उनकी संस्था द्वारा पूरे यात्रा मार्ग को 04 सैक्टरों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:-</p> <p>1- सीतापुर पार्किंग से गौरीकुण्ड घोड़ा-पड़ाव तक (क्षेत्रफल 6.90 लाख वर्गफीट) हेतु शासनादेश संख्या TS-1-BUD/18/2022-VI-1-Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र संख्या 7943/2-7-27/2022-23 दिनांक 25.03.2023 के क्रम में धनराशि रू० 1,99,57,000.00 स्वीकृत हुई है।</p> <p>2- गौरीकुण्ड घोड़ा-पड़ाव से जंगलघट्टी तक (क्षेत्रफल 3.50 लाख वर्गफीट) हेतु शासनादेश संख्या TS-1-BUD/20/2022-VI-1-Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र संख्या 7576/2-7-27/2022-23 दिनांक 14.03.2023 के क्रम में धनराशि रू० 3,81,69,000.00 स्वीकृत हुई है।</p> <p>3- जंगलघट्टी से रामबाड़ा/छोटी लिनघोली तक (क्षेत्रफल 3.70 लाख वर्गफीट) हेतु शासनादेश संख्या TS-1-BUD/19/2022-VI-1-Tourism Department दिनांक 10.03.2022 के क्रम में धनराशि रू० 3,75,01,000.00 स्वीकृत हुई है।</p> <p>4- रामबाड़ा/छोटी लिनघोली से श्री केंदारनाथ तक (क्षेत्रफल 3.00 लाख वर्गफीट)</p>


 मुख्य विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग


 जिला विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग

			<p>हेतु शासनादेश संख्या TS-1-BUD/21/2022-VI-1-Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र संख्या 7577/2-7-27/2022-23 दिनांक 14.03.2023 के क्रम में धनराशि ₹ 3,91,22,000.00 स्वीकृत हुई है।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े-खच्चरों हेतु स्थापित प्रीपेड काउण्टर से जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था शुल्क के अंश से भी घोड़ा-खच्चर प्रबन्धन का बजटीय प्रावधान किया जाता है।</p> <p>अधिशारी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 114/न0प0 के0-एन0जी0टी0/(2023-24) दिनांक 20.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि अपशिष्ट प्रबन्धन, तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, यातायात प्रबन्धन, खच्चर/घोड़े प्रबन्धन आदि के लिए राज्य वित्त/चारधाम यात्रा मद का उपयोग किया जाता है।</p> <p>सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 459/सा0प्रशा/2023 दिनांक 06.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि चारधाम यात्रा के अन्तर्गत श्री केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन हेतु सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड तक विभाग द्वारा संचालित शटल सेवा का अहम योगदान होती है। जिसके अन्तर्गत एक अस्थायी चैक पोस्ट का संचालन पौडी सम्भाग के मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों व प्रवर्तन कार्मिकों की तैनाती रोस्टर के अनुसार की जाती है। साथ ही सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदय पौडी गढवाल/अपर नौखल अधिकारी द्वारा शटल सेवा के सुगम संचालन हेतु यात्रा मार्ग पर कठोर प्रवर्तन कार्यवाही हेतु इंटर्सेप्टर मय प्रवर्तन दल की तैनाती भी की जाती है।</p>	<p>हेतु शासनादेश संख्या TS-1-BUD/21/2022-VI-1-Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र संख्या 7577/2-7-27/2022-23 दिनांक 14.03.2023 के क्रम में धनराशि ₹ 3,91,22,000.00 स्वीकृत हुई है।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े-खच्चरों हेतु स्थापित प्रीपेड काउण्टर से जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था शुल्क के अंश से भी घोड़ा-खच्चर प्रबन्धन का बजटीय प्रावधान किया जाता है।</p> <p>अधिशारी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 114/न0प0 के0-एन0जी0टी0/(2023-24) दिनांक 20.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि अपशिष्ट प्रबन्धन, तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, यातायात प्रबन्धन, खच्चर/घोड़े प्रबन्धन आदि के लिए राज्य वित्त/चारधाम यात्रा मद का उपयोग किया जाता है।</p> <p>सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 459/सा0प्रशा/2023 दिनांक 06.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि चारधाम यात्रा के अन्तर्गत श्री केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन हेतु सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड तक विभाग द्वारा संचालित शटल सेवा का अहम योगदान होती है। जिसके अन्तर्गत एक अस्थायी चैक पोस्ट का संचालन पौडी सम्भाग के मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों व प्रवर्तन कार्मिकों की तैनाती रोस्टर के अनुसार की जाती है। साथ ही सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदय पौडी गढवाल/अपर नौखल अधिकारी द्वारा शटल सेवा के सुगम संचालन हेतु यात्रा मार्ग पर कठोर प्रवर्तन कार्यवाही हेतु इंटर्सेप्टर मय प्रवर्तन दल की तैनाती भी की जाती है।</p>
		<p>2. इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही।</p>	-	
	<p>7)पर्यटकों, निवासियों और ऑपरेटरों को जागरूकता और शिक्षा प्रदान करना।</p>	<p>1. किए गए जागरूकता कार्यक्रम/गतिविधियों का विवरण। लाभान्वित लोगों की तस्वीरें और विवरण प्रदान किया जा सकता है।</p>	<p>अधिशारी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 114/न0प0 के0-एन0जी0टी0/(2023-24) दिनांक 20.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर स्थानीय व्यापारियों/तीर्थ पुरोहितों श्री केदारनाथ धाम में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के</p>	

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

			साथ-साथ निकाय में तैनात पर्यावरण नित्रों द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाकर आम जन मानस को श्री केदारनाथ धाम में कूड़ा न फेंकाने हेतु जागरूक किया जाता है।
		2. क्या करें और क्या न करें के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग।	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों पर पुलिस विभाग एवं जी मैक्स संस्था द्वारा लाउडस्पीकर/पी0ए0 सिस्टर तथा एस0आई0पी0 स्पीकर स्थापित किये गये हैं, जिसके माध्यम से पुलिस प्रशासन एवं स्थापित ऑपरेटरों द्वारा घोषणा की जाती है, जैसे- कोई यात्री अपने परिवार से बिछड़ जाता है की सूचना दी जाती है, समान चोरी होने से बचाव हेतु सावधानी बरतने की सूचना दी जाती है, ठंड से बचाव हेतु गरम कपड़ों को ले जाने की सूचना दी जाती है तथा यात्रा मार्ग पर क्या करें और क्या न करें आदि की सूचना दी जाती है। इसके अतिरिक्त साइनेज/फ्लैक्स बोर्ड/बैनर के माध्यम से यात्रियों को जागरूक करने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित की जाती है। प्रबन्धक, जी मैक्स आई0टी0 सर्विसेज के कार्यालय रेफरेंस नं0- GMAX/JMU/20231213/01 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासन के निर्देशानुसार आई0पी0 आधारित पी0ए0 सिस्टम स्थापित किया गया है तथा कुल 20 एस0आई0पी0 स्पीकर स्थापित और रखरखाव किए गए हैं। इन एस0आई0पी0 स्पीकरों का एक्सेस पुलिस नियंत्रण कक्ष सोनप्रयाग, पुलिस नियंत्रण कक्ष केदारनाथ, जिला मुख्यालय और यात्रा नियंत्रण कक्ष सोनप्रयाग तक प्रदान की जाती है। इस एस0आई0पी0 आधारित संचार प्रणाली का उपयोग डी0डी0एम0ए0, रुद्रप्रयाग कार्यालय द्वारा संदेश पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और यह आपदा शमन और प्रबंधन प्रणाली का एक हिस्सा है।
		3. इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही।	-
3	गैर- बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री में पैक किए गए भोजन और उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करना, निर्दिष्ट स्थानों पर अपशिष्ट निपटान को प्रोत्साहित करना और स्वच्छता बनाए रखने में नागरिकों को शामिल	1. प्लास्टिक वस्तुओं के एकल उपयोग के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया। घातान और वसूले गए जुर्माने का विवरण भी दिया जाए।	अधिसारी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 114/न0प0 के0-एन0जी0टी0/(2023-24) दिनांक 20.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्लास्टिक वस्तुओं के एकल उपयोग को क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

करना।	<p>है। समय-समय पर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थानीय व्यापारियों/श्रद्धालुओं व नगर पंचायत में तैनात पर्यावरण मित्रों द्वारा प्लास्टिक का उपयोग न करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जिस क्रम में इस निकाय द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा फेंकाने/गंदगी करने पर 69 चालान किये गये हैं जिससे कुल ₹ 39,800.00 की धनराशि वसूल की गयी है।</p> <p>सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 459/सा0प्रशा/2023 दिनांक 06.12.2023 के द्वारा अवगत कशया गया कि कार्यालय के पत्र संख्या 830/सा0प्रशा0/2022-23 दिनांक 28.12.2022 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन संख्या-93/2022 जितेन्द्र यादव बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रोकने के दृष्टिगत सभी प्रकार के वाहनों (निजी/व्यावसायिक) में डस्टबिन लगाने की अनिवार्यता युनिरिपत किये जाने हेतु जनपद अन्तर्गत संचालित समस्त टैक्सी/नैक्सी/बस युनियनों को सभी प्रकार के वाहनों में डस्टबिन लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।(आदेश संलग्न) इस क्रम में यात्राकाल में प्रवर्तन दल रुद्रप्रयाग द्वारा बिना डस्टबिन के सवारी वहन कर रहे यात्री वाहनों के विरुद्ध 18 चालान किये गये तथा चालानी कार्यवाही करने के उपरांत 7500/- रुपये का प्रशमन शुल्क प्राप्त किया गया।</p> <p>अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 1863/2023-24 दिनांक 06.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस प्रबन्धन नीति 2017 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-182 दिनांक 24-10-2023 के अनुपालन में जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 106 में जिला पंचायतों में प्रयोजन के लिए ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिनका उपविधियों द्वारा शासित होना है एकल उपयोग प्लास्टिक सम्बन्धी उपविधि तैयार की गयी है, जिसकी स्वीकृति एवं गजट नोटिफिकेशन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-985/2023 दिनांक 26-07-2023</p>
-------	---


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

		द्वारा निर्देशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित हैं, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। गजट नोटिफिकेशन होने के उपरान्त जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा प्लास्टिक सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने पर उपविधियों में वर्णित जुर्माने की धनराशि का वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है।
	2. प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के लिए अभियान चलाया गया।	अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 108/न0पं0 केदारनाथ/2023-24 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि समय-समय पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग ना करने के सम्बन्ध में पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या 1863/2023-24 दिनांक 08.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा भविष्य में जनपद के ग्रामीण बाजारों में पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त करने के लिए क्यू0आर0 कोड स्थापित करने हेतु व्यवसायकर्ताओं को जागरुक भी किया जा रहा है।
	3. क्यूआर कोड आधारित डीडीआरएस के कार्यान्वयन और यात्रा सीजन में एकत्र किए गए और रिसाइक्लिंग के लिए भेजे गए कुल प्लास्टिक कचरे का विवरण।	अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 114/न0पं0 के0-एन0जी0टी0/(2023-24) दिनांक 20.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री केदारनाथ घाम में DDRS परियोजना वर्ष 2022 से प्रचलित है। यात्रा सीजन में अनुमानित 300 कि0ग्रा0 प्लास्टिक कूड़ा रिसाइक्लिंग केन्द्र के लिए भेजा गया है।
	4. इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही।	-
4	कार्ययोजना को निष्पादित और विधिवत निगरानी करें, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत पैदल यात्रा मार्ग के मुख्य 07 पड़ाव यथा- सोनप्रयाग, गौरीकुण्ड, भीमबली, बड़ी तिचनोली, घोड़ा-पड़ाव, केदारनाथ हैलीपैड तथा केदारनाथ मंदिर परिसर पर स्थित सेक्टरों पर प्रतिवर्ष सम्पूर्ण यात्राकाल हेतु प्रत्येक 15 दिवस के अन्तराल में जनपद के विभिन्न विभागों से अधिकारी/कर्मचारियों को सैक्टर/सहायक

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

	<p>सेक्टर अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है, जिनके द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल यात्रा मार्ग पर विभिन्न विभागों द्वारा तैनात कार्मिकों से समन्वय कर यात्रा व्यवस्था को दुरुस्त रखना एवं यात्रा मार्ग पर हो रही गतिविधियों तथा अन्य समस्याओं के साथ-साथ यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था व शौचालयों की साफ-सफाई की स्थिति, की सूचना भी तत्काल जनपद स्थित कन्ट्रोल रूम व प्रशासन को दी जाती है।</p>								
<p>5 विषय पर सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करते हुए, उचित स्थानों पर बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण/प्रबन्धन सुविधाएं स्थापित करें। क्र०सं० 2(1) में पहले से ही शामिल है।</p>	<p>अधिसूची अधिकारी, नगर पंचायत केदारनाथ के कार्यालय पत्र संख्या 114/न०फ० के०-एन०जी०टी०/(2023-24) दिनांक 20.12.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पंचायत केदारनाथ का कूड़ा निस्तारण केन्द्र/एम०आर०एफ सेन्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, यात्राकाल 2024 प्रारम्भ होने से पूर्व उक्त निस्तारण केन्द्र/एम०आर०एफ सेन्टर निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा जिसके पश्चात सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करते हुए बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण/प्रबन्धन सुविधाएं स्थापित की जायेगी।</p> <p>उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा अवगत कराया गया कि उनके और रिसाइकिल फर्म के बीच गठित हुए एम०ओ०पी० की वैधता तक रिसाइकिल फर्म द्वारा विकसित एस०ओ०पी० के तहत प्लास्टिक कूड़े के पृथक्करण एवं प्रबन्धन हेतु निम्न संग्रह केन्द्र संचालित किये जाएंगे।</p> <table border="1" data-bbox="997 1332 1492 1579"> <thead> <tr> <th>संग्रह केन्द्र का नाम</th> <th>स्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>केदारनाथ तीर्थ एम०आर०एफ०</td> <td>केदारनाथ मन्दिर के पास</td> </tr> <tr> <td>त्रियुगीनारायण मार्ग एम०आर०एफ० सेन्टर</td> <td>त्रियुगीनारायण मार्ग</td> </tr> <tr> <td>सोनप्रयाग केन्द्र</td> <td>सोनप्रयाग पार्किंग</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त क्रम में उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा यात्रा के दौरान कूड़े के एस०ओ०पी० के तहत संचालन के लिए रिसाइकिल फर्म को दिनांक 21.09.2023 को दिये गये निर्देश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-14)</p>	संग्रह केन्द्र का नाम	स्थान	केदारनाथ तीर्थ एम०आर०एफ०	केदारनाथ मन्दिर के पास	त्रियुगीनारायण मार्ग एम०आर०एफ० सेन्टर	त्रियुगीनारायण मार्ग	सोनप्रयाग केन्द्र	सोनप्रयाग पार्किंग
संग्रह केन्द्र का नाम	स्थान								
केदारनाथ तीर्थ एम०आर०एफ०	केदारनाथ मन्दिर के पास								
त्रियुगीनारायण मार्ग एम०आर०एफ० सेन्टर	त्रियुगीनारायण मार्ग								
सोनप्रयाग केन्द्र	सोनप्रयाग पार्किंग								

मुख्य विकास अधिकारी
ऊखीमठ

जिला विकास अधिकारी
जिला ऊखीमठ

6	अंतिम कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अपेक्षित धनराशि आवंटित करें, मुख्य सचिव का पर्यवेक्षण।	-
7	कोई अन्य जानकारी।	-

अतः महोदय, आपके द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


 (नरेश कुमार)
 मुख्य विकास अधिकारी,
 रुद्रप्रयाग।
 मुख्य विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग।

म. (वा.क.) प.प.

DDO
11/12/23DDO
7/12/23

संख्या 1863 / 2023-24

दिनांक 06 12/2023

विषय-

मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27 / 2023 in O.A. No. 561 / 2022 (M.A. No. 54 / 2023) उर्वशी शोभना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसमें उर्वशी शोभना कछारी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-10-2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय को पत्र संख्या-782/33-11(2022-23) दिनांक 02 दिसम्बर 2023 द्वारा प्रेषित प्रारूप में उल्लिखित बिन्दुओं के क्रम में जिला पंचायत रुद्रप्रयाग से सम्बन्धित बिन्दु निम्न प्रकार है।

1. Status of Action Plan:

बिन्दु संख्या-I A. वाहन पार्किंग हेतु जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा सोनप्रयाग एंव सीतापुर पार्किंग का संचालन किया जाता है। सोनप्रयाग पार्किंग में 500 हल्के वाहन तथा 150 मोटर साइकिल तथा सीतापुर पार्किंग में 150 हल्के वाहन रुकने की छमता है।

बिन्दु संख्या-II A. श्री केदारनाथ यात्रा व्यवस्था में पशुपालन विभाग के द्वारा घोड़े-खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के पश्चात जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा घोड़े-खच्चर मालिकों का व्यावसायिक लाइसेंस/पंजीकरण किया जाता है।

बिन्दु संख्या-II C. घोड़े-खच्चरों का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की संख्या जिला प्रशासन द्वारा ही निर्धारित की जायेगी, तत्पश्चात उसी अनुसार घोड़े-खच्चरों का पंजीकरण किया जायेगा।

2. Review and plan infrastructure for:

बिन्दु संख्या-i d. जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा जनपद के ग्रामीण बाजारों में खांखरा से नरकोटा, सुमाड़ी से चिरबडिया, चन्द्रापुरी से रामपुर फाटा, एवं रतूडा से नगरासू बाजार कुल 125 किमी एरिया के अन्तर्गत जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा वर्ष-2013 से वर्ष-2021 तक यात्रा प्रारम्भ होने पर 80 पर्यावरण मित्रों की तैनाती तथा यात्रा समाप्ति के बाद 40 पर्यावरण मित्रों की तैनाती गयी थी जबकि वर्ष-2022 एवं वर्ष-2023 में सफाई व्यवस्था के लिए यात्रा प्रारम्भ होने पर 95 पर्यावरण मित्रों की तैनाती तथा यात्रा समाप्ति के बाद 50 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की जाती है, जिनके द्वारा यात्रा समाप्ति के बाद सुबह, दिन एवं शाम को दिन में तीन बार तथा यात्राकाल में भी सुबह, दिन एवं शाम को दिन में दो बार सफाई व्यवस्था का कार्य किया जाता है जिसमें जैविक एवं अजैविक कूड़े को अलग-अलग बोरों में भरकर अजैविक कूड़े को पूर्व में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि एवं नगर पालिका रुद्रप्रयाग के डम्पिंग जोन में जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा लगाये गये दो कूड़ा वाहनों के माध्यमों से निस्तारण किया जा रहा था लेकिन माह जुलाई में जिला पंचायत द्वारा जनपद में विकास खण्ड जखोली के स्थान मयाली एवं विकास खण्ड ऊखीमठ के स्थान मनसूना में काम्पैक्टर मशीनों (02 काम्पैक्टर मशीनों) का संचालन करने के पश्चात कूड़े का निस्तारण उक्त काम्पैक्टर मशीनों में किया जा रहा है।

तथा जैविक कूड़े के निस्तारण हेतु जनपद के विभिन्न स्थान-रामपुर, फाटा, भीरी, चन्द्रापुरी एवं गुप्तकाशी, खांखरा, नगरासू पर निर्मित किये गये कूड़ा पिट्टों में किया जा रहा है। वर्तमान में शासन द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु तीनों विकास खण्डों में कूड़ा वाहनों की तैनाती कर दी गयी है, जिसके कारण जनपद के ग्रामीण बाजारों का कूड़ा उनके माध्यम से काम्पेक्टर मशीनों तक पहुंचाया जा रहा है साथ ही कूड़ा निस्तारण हेतु एक कूड़ा वाहन जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा लगाया गया है। तथा काम्पेक्टर मशीनों से अजैविक कूड़े को कॉम्पैक्ट कर रिसाईक्लिंग के लिए समय-समय पर हरिद्वार भेजा जायेगा।

बिन्दु संख्या-iv a. जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा जनपद के ग्रामीण बाजारों/यात्रा मार्गों पर आम जनमानस को जैविक एवं अजैविक कूड़े के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु जगह-जगह पर फ्लैक्स बोर्ड स्थापित किये जाते हैं।

बिन्दु संख्या-iv c. जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्लास्टिक पर नियमानुसार प्रतिबंध आरोपित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों एवं अनुज्ञापित धारकों/व्यवसायकों/विक्रेताओं को जागरूक करने हेतु ग्रामीण बाजारों में फ्लैक्स बोर्ड, पम्पलेट एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

3. Discouraging use of food and products packaged in non-biodegradable packaging material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene:

बिन्दु संख्या- a. ठोस प्रबन्धन नीति 2017 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-182 दिनांक 24-10-2023 के अनुपालन में जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 106 में जिला पंचायतों में प्रयोजन के लिए ऐसे विषय के सम्बन्ध में जिनका उपविधियों द्वारा शासित होना है एकल उपयोग प्लास्टिक सम्बन्धी उपविधि तैयार की गयी है, जिसकी स्वीकृति एवं गजट नोटिफिकेशन हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-985/2023 दिनांक 28-07-2023 द्वारा निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित हैं, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। गजट नोटिफिकेशन होने के उपरान्त जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा प्लास्टिक सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने पर उपविधियों में वर्णित जुर्माने की धनराशि का वसूल किये जाने का प्राविधान किया गया है।

बिन्दु संख्या- a. जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा भविष्य में जनपद के ग्रामीण बाजारों में पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त करने के लिए क्यू0आर0 कोड स्थापित करने हेतु व्यवसायकर्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है।

अतः सूचना सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि- अपर जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग को उनके पत्र संख्या-782/33-11(2022-23) दिनांक 02 दिसम्बर 2023 के क्रम में सादर प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग।


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रेषक,
पुलिस उपाधीक्षक, रुद्रप्रयाग,
जनपद रुद्रप्रयाग।

सेवा में,
मुख्य विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: याचिका -निर्देश/2023

दिनांक दिसम्बर, 12-2023

विषय: मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या:782/33-11 (2022-23) दिनांक 02-12-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो अन्य के साथ इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 12-10-2023 के अनुपालन में उल्लेखित बिन्दुओं पर पुलिस विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या आपके प्रेषित किये जाने विषयक है।

अतः उक्त सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक, ऑपरेशन एवं निरीक्षक, पुलिस दूर संचार जनपद रुद्रप्रयाग से आख्या प्राप्त की गयी है जो मूल रूप में संलग्न कर अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(प्रबोध कुमार धिल्डियाल)
पुलिस उपाधीक्षक,

प्रतिलिपि- अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को इनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

सेवामें,

पुलिस अधीक्षक,
जनपद—रुद्रप्रयाग।

विषय: एन0जी0टी0 में योजित EXECUTION Application No-27/2023 in O.A. NO 561/2022 M.A.No-54/2023 उर्वशी शोभन व अन्य में पारित ओदश के अनुपालन में विभाग से संबन्धित सूचना उलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि एन0जी0टी0 में योजित EXECUTION Application No-27/2023 in O.A. NO 561/2022 M.A.No-54/2023 उर्वशी शोभन व अन्य में पारित ओदश के अनुपालन में विभाग से संबन्धित सूचना प्रारूपानुसार उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त संबन्ध में यातायात कार्यालय रुद्रप्रयाग द्वारा निम्न सूचनाये उपलब्ध करायी गयी है।


Action Points	Action Taken
1(i)(i) बिन्दुसंख्या 1 Status of Action Plan	ए-जनपदमें यात्रा सीजन के दौरान छोटे/वाहनो जिसमें टूट्टीलर एवं फोरव्हीलर की संख्या काफी मात्रा में (लगभग 1000 छोटे/बड़ेवाहन प्रतिदिन) वाहन आते हैं, अत्यधिक वाहनो के बढ़ने से यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसलिए जनपद में रुद्रप्रयाग गुलाबराय स्थित ग्राउण्ड में बड़े/छोटे लगभग 400 वाहनो हेतु, अगस्त्यमुनि में मेला ग्राउण्ड में बड़े/छोटे लगभग 1200 वाहनो हेतु, चन्द्रापुरी स्यालसौड में लगभग 300 छोटे/बड़े वाहन हेतु, गुप्तकाशी नगरपालिका पार्किंग में लगभग 20 बड़े/छोटे वाहनो हेतु अस्थाई पार्किंग व्यवस्था की जाती है, इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीतापुर में बड़े/छोटे वाहनो हेतु लगभग 150 एवं सोनप्रयाग में बड़े/छोटे वाहनो हेतु लगभग 1000 वाहनो हेतु स्थानीय पार्किंग की व्यवस्था है। पुलिस उपाधीक्षक यातायात द्वारा संबन्धित विभागों के साथ रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पडने वाले प्रत्येक डेन्जर जोन का चयन कर रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को प्रेषित की जाती है।
1(i)(iii) बिन्दु संख्या 2 (4) उपयुक्त स्थानो पर यातायात प्रबन्धन हेतु	यातायात प्रबन्धन हेतु राजकीय कोश से बजट प्राप्त होता है जिसके अन्तर्गत यातायात कार्यालय रुद्रप्रयाग द्वारा सम्पूर्ण यात्रा मार्ग पर यात्रियो/श्रद्धालुओं के मार्ग दर्शन हेतु यात्रा मार्ग पर जगह जगह साईन बोर्ड लगाये जाते हैं, सम्पूर्ण मार्ग पर पडने वाले ब्लॉक मोडो पर कन्वास

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

मिरर/कोन/बेरियर/फ्लेक्सी बोर्ड आदि लगाये जाते एवं मार्ग पर पडने वाले डेंजर जोन को चयनित कर बेरियर आदि लगाने हेतु संबन्धित विभाग से पत्राचार के माध्यम से अनुरोध किया जाता है।

उसके अतिरिक्त जनपद में यातायात प्रबन्ध हेतु सम्पूर्ण मार्ग पर यातायात अधि०/कार्मिको को नियुक्त कर चैकिंग अभियान चलाया जाता है एवं यात्रा सीजन के दौरान वाहनो की अत्यधिक भीड होने के कारण यातायात बाधित न हो जिस कारण सम्पूर्ण यात्रा मार्ग पर निर्धारित स्थानो का चयन कर उक्त स्थानो पर ट्रैफिक/नागरिक पुलिस के अधि०/कर्म० गणों को नियुक्त कर बेरियर की व्यवस्था की जाती है जिनके द्वारा वाहनो को निर्धारित समय के अन्तराल पर वाहनो को छोडा जाता है जिससे यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से गतिमान रहती है।


11/12/23

पुलिस उपाधीक्षक ऑप्स/यातायात
रुद्रप्रयाग


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला पुलिस अधिकारी
रुद्रप्रयाग

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक
जनपद रुद्रप्रयाग।

महोदय,

कृपया आपके आदेश पत्रांक: व-10/2022 दिनांक: 22/07/2023 के अनुपालन में पुलिस संचार शाखा रुद्रप्रयाग से वांछित सूचना सेवा में सादर प्रेषित है।

2(3)(i)	Safety precautions and determining CCTV camera	There are 65 cameras for city surveillance and Kedarnath yatra route, which are at different locations . These locations were fixed by respective police stations and concerned officers.
2(3)(i)	Safety precautions and monitoring mechanism	All cameras are hanging at a safe height. Also most of these cameras are covered under CAMC. These cameras are being monitored in their respective police stations or chowkis whichever is close.
2(3)(ii)	Details of CCTV/cameras/provided and monitored mechanism of and structure	Attached.
2(3)(iii)	Control room and its operation	Control room is located on the first floor of SP office rudraprayag. On daily basis the operator takes reports from the police stations and chowkis about their cameras. If any camera is not working then they inform CCTV incharge and then CCTV incharge first checks the condition physically or through video call. After inspecting the problem he/she informs AMC holder if any or informes to Inspector.(P/T) RPG.
	Action taken on cctv footage may be given	-
	Uses of mobile app, if any	-
	Any other action in this regard	-

संलग्नक: DETAILS OF CCTV CAMERA LOCATIONWISE.

पत्रांक: आर0पी0-57/2023

दिनांक: दिसम्बर, 11, 2023

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Sant
11/12/23
निरीक्षक(पु0दू0)
रुद्रप्रयाग।

S.NO.	DISTRICT	NAME OF PS	NAME OF OPS	NAME OF PLACE WHERE CCTV CAMERA INSTALLED	MAKE
1	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		GMVN RPG-01	CP PLUS
2	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		GMVN RPG-02	CP PLUS
3	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		DAAT PUL 01	CP PLUS
4	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		DAAT PUL-02	CP PLUS
5	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		BELNI-01	CP PLUS
6	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		BELNI-02	CP PLUS
7	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		KEDARNATH TIRAHA- 01	CP PLUS
8	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		KEDARNATH TIRAHA- 02	CP PLUS
9	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		KEDARNATH TIRAHA- 03	CP PLUS
10	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		PWD TIRAHA- 01	CP PLUS
11	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		PWD TIRAHA- 02	CP PLUS
12	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		JEET ELECTRONICS-01	CP PLUS
13	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		JEET ELECTRONICS-02	CP PLUS
14	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG		MAIN MARKET -01	CP PLUS
15	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG	GHOLTEER	CHAUKI GHOLTEER-01	CP PLUS
16	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG	GHOLTEER	CHAUKI GHOLTEER-02	CP PLUS
17	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG	JAWARI BYPASS	BARRIER JAWARI BYPASS-01	CP PLUS
18	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG	JAWARI BYPASS	BARRIER JAWARI BYPASS-02	CP PLUS
19	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI		AGI THANA GATE-01	CP PLUS
20	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI		AGI THANA GATE-02	CP PLUS
21	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI		NEAR SBI-01	CP PLUS
22	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI		MAIN MARKET-01	CP PLUS
23	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI		MAIN MARKET-02	CP PLUS
24	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI		SAJAN FURNITURE-01	CP PLUS
25	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI		SAJAN FURNITURE-02	CP PLUS
26	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI		PURANA DEVALPUR TIRAHA-01	CP PLUS
27	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI		PURANA DEVALPUR TIRAHA-02	CP PLUS
28	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI	TILWARA	CHAUKI TILWARA SUMARI TIRAHA-01	DAHUA
29	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI	TILWARA	CHAUKI TILWARA SUMARI TIRAHA-02	DAHUA
30	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI	TILWARA	CHAUKI TILWARA NEAR UTTARAKHAND GRAMIN BANK-01	DAHUA
31	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI	TILWARA	CHAUKI TILWARA NEAR UTTARAKHAND GRAMIN BANK-02	DAHUA
32	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI	JAKHOLI	MAYALI TIRAHA MAIN MARKET-01	CP PLUS
33	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI	JAKHOLI	MAYALI TIRAHA MAIN MARKET-02	CP PLUS
34	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI	TILWARA	CHAUKI TILWARA ROAD SAFETY-01	DAHUA
35	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI	TILWARA	CHAUKI TILWARA ROAD SAFETY-02	DAHUA
36	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI	JAKHOLI	CHAUKI JAKHOLI ROAD SAFETY-01	CP PLUS
37	RUDRAPRAYAG	AGASTYAMUNI	JAKHOLI	CHAUKI JAKHOLI ROAD SAFETY-02	CP PLUS
38	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI		THANA GATE-01	CP PLUS
39	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI		MAIN MARKET -01	CP PLUS
40	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI		MAIN MARKET-02	CP PLUS

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

41	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI		NEAR SBI-01	CP PLUS
42	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI		LAMGONDI TIRAHA -01	CP PLUS
43	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI		LAMGONDI TIRAHA -02	CP PLUS
44	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI		NEAR GMVN GATE-01	CP PLUS
45	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI		UPPER MARKET-01	CP PLUS
46	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI	PHATA	CHAUKI PHATA GATE-01	CP PLUS
47	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI	PHATA	CHAUKI PHATA MAIN MARKET-01	CP PLUS
48	RUDRAPRAYAG	GUPTKASHI	PHATA	CHAUKI PHATA MAIN MARKET-02	CP PLUS
49	RUDRAPRAYAG	SONPRAYAG	GAURIKUND	CHAUKI GAURIKUND BUS STAND-01	CP PLUS
50	RUDRAPRAYAG	SONPRAYAG	GAURIKUND	CHAUKI GAURIKUND GODHAPADAW-01	DAHUA
51	RUDRAPRAYAG	SONPRAYAG	GAURIKUND	CHAUKI GAURIKUND GODHAPADAW-02	CP PLUS
52	RUDRAPRAYAG	SONPRAYAG	KEDARNATH	KEDARNATH TEMPLE	CP PLUS
53	RUDRAPRAYAG	SONPRAYAG	KEDARNATH	KEDARNATH TEMPLE	CP PLUS
54	RUDRAPRAYAG	SONPRAYAG	KEDARNATH	KEDARNATH TEMPLE	CP PLUS
55	RUDRAPRAYAG	SONPRAYAG	KEDARNATH	KEDARNATH TEMPLE	CP PLUS
56	RUDRAPRAYAG	SONPRAYAG	KEDARNATH	KEDARNATH TEMPLE	CP PLUS
57	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG	JAWARI BYPASS	JAWARI BY PASS ANPR	CP PLUS
58	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG	JAWARI BYPASS	JAWARI BY PASS ANPR	CP PLUS
59	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG	GHOLTEER	GHOLTEER ANPR	CP PLUS
60	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG	GHOLTEER	GHOLTEER ANPR	CP PLUS
61	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG	JAKHOLI	MAMNI ANPR	CP PLUS
62	RUDRAPRAYAG	RUDRAPRAYAG	JAKHOLI	MAMNI ANPR	CP PLUS
63	RUDRAPRAYAG	UKHIMATH		UKHIMATH ANPR	CP PLUS
64	RUDRAPRAYAG	UKHIMATH		UKHIMATH ANPR	CP PLUS


 मुख्य विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग


 जित विभागाध्यक्ष अधिकारी
 रुद्रप्रयाग

प्रेषक,

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: 923 / एन0जी0टी0 / 2023-24

दिनांक 05 दिसम्बर 2023

विषय:

मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A.No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोमना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र संख्या 782/33-11 (2022-23) दिनांक 02 दिसम्बर 2023 का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 एन.जी.टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A.No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोमना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में उल्लेखित बिन्दुओं पर सूचनार्थे वांछित संलग्नकों सहित महोदय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में संलग्नक के क्रम सं0 1 पर उल्लेखित बिन्दु पर्यटन विभाग से भी सम्बन्धित होने के कारण सूचना संकलित कर निम्न प्रकार से है-

S.N.	Action Point	Action Taken
01	(i) Limiting Number of vehicles and type of vehicles, number of tourists consistent with the carrying capacity of eco-sensitive areas. Additional information about following points be given. a. Available parking area for vehicles. b. Process of registration of pilgrims/tourists. c. Any other action in this regard.	Sitapur Parking Information points given- a. Kedarnath ji trek start from Gaurikund of 16 kms of distance, However traffic for vehicle is controlled at Sonprayag from where Pilgrims commute to Gaurikund by shuttle services and most of vehicle are parked at Sonprayag and Sitapur. There are two big parking are run by Jila panchayat and Department of Tourism. Sitapur parking which is owned by Tourism Department has the capacity of 100 big buses and the total area is 0.778 hectare. b. Every Pilgrim visiting to Kedarnath or any one of the char dhams has to register him self on the portal ie. registrationandtouristcare.uk.gov.in Which is developed by Uttarakhand Tourism Development Board, uttarakhand. On arrival, Pilgrims has to produce registration certificate to the verification counter situated at Sonprayag. Where every Registration certificate is checked and there after pilgrims are allowed to move ahead. c. To ensure every Pilgrims gets ample time to pray to kedarnath chief deity, Darshan Token system was introduce in year 2023 Char dham yatra in with each pilgrims is provided which time slot token for the ease of pilgrims.

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(राहुल चौधरी)

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पु0प0सं0: 923 तददिनांकित/2023

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयागजिला पर्यटन विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

जिला विकास अधिकारी

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग।लेखकार नाम
DDO
16/12/23DDO
CDO
14/12/23

संख्या 1880 /2023-24

दिनांक 13/12/2023

विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित Executive Application No. 27/2023 in O.A. No 561/2022(M.A. No. 54/2023 उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-920/33-11 (2023-24) दिनांक 13 दिसम्बर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित Executive Application No. 27/2023 in O.A. No 561/2022(M.A. No. 54/2023 उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य से सम्बन्धित बिन्दुओं की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। जिला पंचायत रुद्रप्रयाग से सम्बन्धित बिन्दु निम्नवत हैं।

क0स0 1-(2) जिला पंचायत रुद्रप्रयाग के द्वारा घोडा-खच्चरों का पंजीकरण पशुपालन विभाग के द्वारा घोडा-खच्चरों का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र निर्गत करने के पश्चात किया जाता है, तथा श्री केदारनाथ यात्रा में घोडा-खच्चरों का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है जिसके कारण जिला पंचायत रुद्रप्रयाग द्वारा घोडा-खच्चरों का पंजीकरण जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गयी संख्या के आधार पर किया जाता है। भविष्य में भी जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित की गयी संख्या के आधार पर ही जिला पंचायत के द्वारा घोडा-खच्चरों का पंजीकरण किया जायेगा।

भवदीय

(सोहन सिंह कठैत)
प्र0अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र संख्या-920/33-11 (2023-24) दिनांक 13 दिसम्बर 2023 के क्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

(सोहन सिंह कठैत)
प्र0अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत रुद्रप्रयाग।

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रेषक,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्र सं० 2315 / चारधाम-मा०एन.जी.टी. / 2023-24 दिनांक : 11 दिसम्बर, 2023.

विषय :- माननीय एन०जी०टी० में योजित Exection Application No. 27 / 2023 In O.A. No. 561/ 2022(M.A. No. 54 / 2023) उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग का कार्यालय पत्र सं० 782/33-11(2022-23) रुद्रप्रयाग दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 जो कि अन्यो के साथ-साथ इस कार्यालय को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।


संदर्भ में इस कार्यालय से सम्बन्धित In compliance of order dated 12.10.2023 passed by the Hon'ble NGT. Action Points 1. का ii) a. b. c. d. e. का प्रतिउत्तर Action Taken इस पत्र के साथ संलग्न कर बिन्दुवार सादर सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।
संलग्न - उक्तानुसार।



(डा० आशीष रायत)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्र पृ० सं० / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
रुद्रप्रयाग।


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Action Points 1. का ii) a. श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 9096 घोड़े/खच्चरों का पंजीकरण हुआ है। सर्वप्रथम पशुपालन के पशुचिकित्सकों द्वारा घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए Glanders रोग की जांच हेतु नमूने एकत्रित किये जाते हैं तथा स्वस्थ पशुओं का एक वर्षीय बीमा पशुपालन विभाग की पशुधन बीमा योजनान्तर्गत किया जाता है। जिस हेतु पशु के कान पर टैग भी लगाया जाता है। तदपश्चात् जिला पंचायत द्वारा पशु को यात्रा में प्रतिभाग हेतु पंजीकृत करते हुए लाइसेंस जारी किया जाता है। पंजीकरण के अंतिम चरण में GMax संस्था द्वारा प्रत्येक घोड़े/खच्चरों का समस्त विवरण On Line Portal पर दर्ज करते हुये प्रत्येक घोड़े/खच्चरों को RFID टैग जारी किया जाता है जो सदैव घोड़े/खच्चरों के गले में लटकाया जाना आवश्यक है।

b. श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर इस वर्ष 2023 में पशुपालन विभाग द्वारा कुल 07 पशुचिकित्साधिकारी एवं 05 पेरावेट यात्रा मार्ग पर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने एवं पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नियुक्त किये गये हैं।

यात्रा हेतु पंजीकरण से पूर्व प्रत्येक घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्सक द्वारा करवाया जाना अनिवार्य किया गया है तथा स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु के उम्र का भी संज्ञान लिया जाता है। पशुस्वास्थ्य परीक्षण में पूर्णतः स्वस्थ एवं उपयुक्त पाए गए पशुओं को ही यात्रा में प्रतिभाग हेतु अनुमति दी जाती है।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र सं02851/चारधाम यात्रा/2022-23 दिनांक 01.03.2023 के द्वारा ग्लैण्डर्स की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यात्रा मार्ग पर 14 कैंप आयोजित किये गये। यात्रा में जाने से पहले सभी घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण, ग्लैण्डर्स नेगेटिव आने पर ही अनुमति प्रदान की गयी ग्लैण्डर्स की जांच हेतु इस वर्ष जनपद में कुल 5848 पशुओं के रक्त नमूने लिए गए हैं।

c. श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर ग्लैण्डर्स के संबंध में कुल 14 कैंप आयोजित किये गये जिनमें घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही ग्लैण्डर्स की जांच हेतु कुल 5848 पशुओं के रक्त नमूने लिए गए।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के बिन्दु संख्या 12 द्वारा यात्रा मार्ग पर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शवों का बीमा संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए 24 घण्टों के भीतर निस्तारण किया जाना प्राविधानित है जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा शव का निस्तारण नियमानुसार किया जाता है।

यात्रा हेतु पंजीकरण से पूर्व प्रत्येक घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्सक द्वारा करवाया जाना अनिवार्य किया गया है तथा स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु के उम्र का भी संज्ञान लिया जाता है। पशुस्वास्थ्य परीक्षण में पूर्णतः स्वस्थ एवं उपयुक्त पाए गए पशुओं को ही यात्रा में प्रतिभाग हेतु अनुमति दी जाती है।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र सं02851/चारधाम यात्रा/2022-23 दिनांक 01.03.2023 के द्वारा ग्लैण्डर्स की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यात्रा मार्ग पर 14 कैंप आयोजित किये गये। यात्रा में जाने से पहले सभी घोड़े/खच्चरों का स्वास्थ्य

परीक्षण, ग्लैण्डर्स नेगेटिव आने पर ही अनुमति प्रदान की गयी ग्लैण्डर्स की जाँच हेतु इस वर्ष जनपद में कुल 5848 पशुओं के रक्त नमूने लिए गए हैं।


d. उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0 775/XV-1/23/4(12)22 दिनांक 01 मई, 2023 में वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का अनुपालन किया जा रहा है, जिसके क्रम में

- 1) जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र सं0 863/यात्रा व्यवस्था सैल/2023-24 दिनांक 19 अप्रैल, 2023 द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं हेतु जनपद के विभिन्न अधिकारियों की यात्रा हेतु नोडल अधिकारी एवं सब-नोडल अधिकारियों के रूप में तैनाती की गयी।
- 2) यात्रा मार्ग हेतु कुल 5000(पाँच हजार) अश्ववंशीय पशुओं की क्षमता निर्धारित की गयी है एवं उक्त को GMax कंपनी (जिसे घोड़े/खच्चरों पर RFID Tag/Token जारी करने के लिए चयनित किया गया है) द्वारा पेमेंट गेटवे के माध्यम से तीर्थयात्रियों एवं घोड़ा/खच्चरों संचालकों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़ा/खच्चरों हेतु निर्धारित अधिकतम संख्या का उल्लंघन नहीं होने पाए।
- 3) श्री कंदारनाथ यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़ा/खच्चरों के पानी पीने हेतु गीजर युक्त 17 गर्म पानी की चरहियों संचालित की जा रही हैं, जनकी देख-रेख विभिन्न चरहियों पर तैनात म्यूल टास्क फोर्स के जवानों द्वारा की जाती हैं। यात्रा में प्रयुक्त घोड़ा/खच्चरों के चारे-दाने हेतु यात्रा के मुख्य पड़ावों पर पशु आहार की दुकानें उपलब्ध हैं जिनको रेटलिस्ट चस्पा करने हेतु निर्देश हैं जिसका अनुपालन सैक्टर अधिकारियों के माध्यम से करवाया जा रहा है।
- 4) घोड़ा/खच्चरों के पंजीकरण से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण के समय पशु के कान में विशिष्ट पहचान संख्या युक्त टैग लगा होना अनिवार्य किया गया है।
- 5) श्री कंदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा/खच्चरों के पशु स्वास्थ्य के दृष्टिगत स्थान सोनप्रयाग, गौरीकुण्ड, लिंचोली एवं केदरनाथ में चार अस्थाई पशुचिकित्सालय संचालित किये गये हैं, जिनके माध्यम से यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़ा/खच्चरों को पशु चिकित्सा सुविधायें दी जा रही हैं। साथ ही प्रतिदिन मार्ग पर चलने वाले घोड़ा/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। इस वर्ष विभाग द्वारा कुल 07 पशुचिकित्साधिकारी एवं 05 पेरावेट यात्रा मार्ग पर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने एवं पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नियुक्त किये गये हैं, जिनके द्वारा 24 घण्टे पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पशुस्वास्थ्य परीक्षण में पूर्णतः स्वस्थ एवं उपयुक्त पाए गए पशुओं को ही यात्रा में प्रतिभाग हेतु अनुमति दी जाती है।
- 6) पशुकल्याण से संबंधित कानूनी प्राविधानों, मा0 उच्च न्यायालयों, मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिए गए मार्गदर्शी आदेशों के प्रति जागरूकता हेतु संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है जिसमें 14 दिवस कार्यशालारें/शिविर आयोजित किए गए हैं। साथ ही जिला स्तरीय पशुकूरता निवारण समिति की बैठक यात्रा से पूर्व माह फरवरी में आयोजित की गई एवं यात्रा मार्ग पर अश्वकल्याण हेतु उपसमिति की बैठक दिनांक 13 जून, 2023 एवं 31 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई।


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

- 7) ग्लैण्डर्स के संबंध में यात्रा मार्ग पर कुल 14 कैंप आयोजित किये गये जिनमें घोड़ा/खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही ग्लैण्डर्स की जांच हेतु कुल 5848 पशुओं के रक्त नमूने लिए गये।
- 8) उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के बिन्दु 12 द्वारा यात्रा मार्ग पर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शवों का बीमा संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए 24 घण्टों के भीतर निस्तारण किया जाना प्राविधानित है जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा शव का निस्तारण नियमानुसार किया जाता है।
- 9) पशुक्रूरता से संबंधित प्रकरणों में कुल 20 प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। विगत वर्ष 2022 में यात्रा के दौरान कुल 351 पशुओं की मृत्यु दर्ज हुई है, जबकि इस वर्ष 2023 में 141 पशुओं जो विगत वर्ष की तुलना में कम हैं। (संलग्न-पूर्ण विवरण चाट)।
- 10) यात्रा मार्ग में पशु-स्वामियों द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं जाने एवं पशुक्रूरता निवारण हेतु 30 सदस्यों म्यूल टॉस्क फोर्स का गठन कर तैनात किया गया है जिनके द्वारा यात्रा मार्ग पर निरन्तर निगरानी करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले पशुमालिकों का सैक्टर अधिकारी/जिला पंचायत/पुलिस/प्रशासन/पशुचिकित्सकों के माध्यम से चालन किया गया है तथा अपंजीकृत घोड़े-खच्चरों को यात्रा में प्रतिभाग से रोका गया था।
- e. मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के बिन्दु संख्या 12 द्वारा यात्रा मार्ग पर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शवों का बीमा संबंधी कार्यवाही पूर्ण करते हुए 24 घण्टों के भीतर निस्तारण किया जाना प्राविधानित है जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा शव का निस्तारण नियमानुसार किया जाता है।


मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
रुद्रप्रयाग।


मुख्य विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग

Kedarnath Yatra - Comparative Report YoY
(16th Nov'23)

क्रम संख्या	विवरण	Yatra 2022	Yatra 2023
1	पशुचिकित्सा	4955	5423
2	पशु मृत्यु	351	141
3	कुल पशु निरीक्षण संख्या	33912	19590
4	यात्रा हेतु अयोग्य पशु संख्या	310	871
5	पशुमालिक चालान	404	215
6	यात्रा प्रतिभाग से ब्लॉक किये गए पशु	1415	1088
7	दर्ज F.I.R.	13	20



www.gmaxconnect.com

485

G-MAX IT SERVICES
embedding IT into lives...

Ref. No. : GMAX/JMU/20231213/01

To

Date: 13-12-2023

The Additional District Magistrate,
Rudraprayag,
Uttarakhand.

Subject: - Submission of response against letter no. 920/33-11/ (2023-2024) dated 13-12-2023.

Respected Sir,

Kindly refer to your letter mentioned in the subject through which the chair has sought the detail clarification on implementation of various services as per our scope mentioned in the letter as directed by Administration time to time . It is pertinent to mention that we are implementing various IT/ITES services at Shree Kedarnath Dham. The pilgrimage for the year 2023 has culminated on 15th of November 2023 which started on 22nd of April 2023. The response to your letter no 920/33-11/ (2023-2024) dated 13-12-2023 is detailed scope wise below: -

- 1. Digitization/REGISTRATION OF SERVICE PROVIDERS AND PONIES through online portal**
At shree Kedarnath yatra, It is the Scope of Zila panchayat Rudraprayag to register various Service providers as per the laid SOP. As desired by the Administration we have done digital registration of Service providers and Pony/Pony Hawker with their credentials like Photograph, Personal details, Address Details and Medical records of ponies. After registration we have issued a RFID based Smart card to registered and authenticated Pony hawker and pony owners in-order to make a secure and tamper proof system. A RFID tag is also placed on the registered ponies plying on the holy track of Shree Kedarnath Ji for real time tracking. All these credentials are uploaded to an online portal and one can access It on URL www.kedar.gmaxconnect.com using Authentication login ID and password for real time analysis. The detail of the registration for yatra session 2023 is shown below.

Corporate Office: - 68-A Small Plot, Near Dudha Dhari Temple, Gandhi Nagar, Jammu 180001
Email: info@gmaxconnect.com or visit us @ www.gmaxconnect.com


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग





www.gmaxconnect.com



Sample Data for Service provider

Owner Details



Laxman Singh

Registration details

- Registration number: 1111000
- Date of birth: Jun 05, 1988
- Aadhar number: 4124470694
- Owner type: Peasants

Father's/Husband's name

- Name: Rajat Singh
- Mobile number: +91989430507
- Blocked: No

Address details

- Village/locality: Mathra Gaur
- District: Puchipore
- Country: India

- Taluk: Barchanwar
- State: Uttarakhand

Corporate Office: - 68-A Small Plot, Near Dudhu Dhari Temple, Gandhi Nagar, Jammu 180004
Email: info@gmaxconnect.com or visit us @ www.gmaxconnect.com

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग



Sample data for pony Registration

Equid Details (sample data for pony registration form)

Registration details

- Owner's name:** Laxman Singh
- Ear tag number:** 100010
- License number:** 10010
- Validity:** 14-09-2022 - 14-09-2023
- Equid type:** Pony
- Owner's registration number:** 10010001
- Equid's registration number:** 10010010
- HS-ID tag number:** 10010010
- Marked:** Yes

Photographs

- HS Image:** 
- Identification image:** 

Physical condition

Sample data for pony medical details

Owner: Laxman Singh

Sex: Male

Age: 10

HS ID: 10010010

HS Image: 

Identification image: 

Medical details

- Initial physical examination:** Normal
- Sex:** Male
- Body confirmation:** Good
- Recommendation details:**
 - Recommended:** Yes
 - Remarks:** The equid is found healthy for registration and will carry the program.

Copyright © 2021 G-MAX IT SERVICES (http://www.gmaxconnect.com). All rights reserved.

Corporate Office: - 68-A Small Plot, Near Dudha Dhari Temple, Gandhi Nagar, Jammu 180004
Email: info@gmaxconnect.com or visit us @ www.gmaxconnect.com

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग





www.gmaxconnect.com

488

G-MAX IT SERVICES
embedding IT into lives...

2. INSTALLATION OF CCTV SURVEILLANCE

As desired by the Administration a CCTV Surveillance system is installed using a secured wireless network. A total number of 16 PTZ cameras and 12 static cameras are installed during this yatra period. 48 hours Power Backup should be ensured at all points. High end Network video Records are installed with recording Backup of all the IP cameras. The access of these cameras was given to Police Control Room Sonprayag, District HQ, SEOC, Commissioner Secretary Office Dehradun and Police Control Room, Dehradun. As per the direction of Administration, a surveillance using static cameras at 6 dumping sites were provisioned extending DDMA's Local wireless intranet for insuring a vigil for better waste management enroute Shree kedarnath route at Waste dumping sites.



Corporate Office: - 68-A Small Plot, Near Dadha Dhuri Temple, Gandhi Nagar, Jammu 180004
Email: info@gmaxconnect.com or visit us @ www.gmaxconnect.com

मुख्य विकास अधिकारी
उदप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
उदप्रयाग

G-MAX IT SERVICES
Handwritten signature: Anil Singh



3. SETTING UP OF CONTROL ROOM

As per the direction of Administration two control rooms one at Sonprayag and another at DDMA office DHQ are established. Access of all the cameras enroute were provisioned to both control rooms. Apart from these, the live feed access of these surveillance system is also provisioned to the Office of District Magistrate, Office of the Superintendent of Police, Rudraprayag, and office of the chief development officer for real time analysis on yatra route. It is pertinent to mention that Administration, Rudraprayag gives directions to all the stakeholders at Yatra route on real time through this system.

4. INSTALLATION OF IP BASED PA SYSTEM

As per the direction of Administration an IP based PA system is installed. A total no. of 20 SIP Speakers was installed and maintained. Access of these SIP speakers is provided to the Police Control Room Sonprayag, Police Control Room Kedarnath, DHQ and Yatra Control Room Sonprayag. This SIP based communication system is being used by the Office of the DDMA, Rudraprayag to convey messages and is a part of disaster mitigation and management system.

5. Mobile App for Ponies Health Checkup

As per the direction of Administration a web portal based mobile app is developed for medical checkups and blocking/deblocking of service providers as per the Laid SOP. The access of this mobile app has been given to all the doctors from animal and husbandry department for routine checkup of mules plying at shree Kedarnath Dham making them to upload the real time information of regular health checkup of ponies plying on the track. All the sector magistrate and executives from yatra management force were also given access to use this mobile app. Provision for maintaining the FIR against the person violating the SPCA norms were also being managed through this App.

A Snapshot of health record through this mobile app is given below.

Corporate Office: - 68-A Small Plot, Near Dudha Dhari Temple, Gandhi Nagar, Jammu 180004
Email: info@gmaxconnect.com or visit us @ www.gmaxconnect.com


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग



www.gmaxconnect.com

490

G-MAX IT SERVICES
embedding IT into lives...

List of medical feedbacks for equid

Show 10 v entries

License Number	General condition	Wounds/Injury	Cult	Nasal Discharge	Distress	Feedback at	Action
95968	Good	No	Normal	Normal	No	01:50 PM on Nov 07	→ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16079	Good	No	Normal	Normal	No	01:50 PM on Nov 07	→ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16080	Good	No	Normal	Normal	No	01:51 PM on Nov 07	→ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
44700	Good	No	Normal	Normal	No	01:52 PM on Nov 07	→ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16906	Good	No	Normal	Normal	No	09:18 AM on Nov 06	→ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10065	Good	No	Normal	Normal	No	09:33 AM on Nov 06	→ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
30002	Good	No	Normal	Normal	No	09:29 AM on Nov 06	→ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
91342	Good	No	Normal	Normal	No	09:39 AM on Nov 06	→ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
99908	Good	No	Normal	Normal	No	09:27 AM on Nov 06	→ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16079	Good	No	Normal	Normal	No	08:26 AM on Nov 06	→ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
License Number	General condition	Wounds/Injury	Cult	Nasal Discharge	Distress	Feedback at	Action

This for your kind information.

Regards

Rohit Singh Sambhal

Director

G-MAX IT SERVICES



Corporate Office: - 68-A Small Plot, Near Dudha Dhari Temple, Gandhi Nagar, Jammu 180004
Email: info@gmaxconnect.com or visit us @ www.gmaxconnect.com

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
उत्तराखण्ड राज्य शाखा, देहरादून

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित Executive Application NO. 27/2023 in O.A. No. 561/2022
[M.A.No. 54/2023 ऊर्ध्वशी सोपना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही।
दिनांक 18.12.2023

क्र० सं०	विवरण	सम्बन्धित विभाग	अभियुक्ति
2 (1)	यात्रा मार्ग पर उपलब्ध शौचालयों की संख्या (अस्थायी या स्थायी) और उनकी सफाई और अपशिष्ट निपटान तंत्र	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल	श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में गौरीकुण्ड से श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग तक स्थायी सुलभ शौचालय एवं 149 स्टील फ्रेम शौचालय का संचालन किया जा रहा है। शौचालय की साफ-सफाई संस्था द्वारा यात्रा अवधि में की जाती है और शौचालय से निर्गत अपशिष्ट निपटाने के लिए सैप्टिक टैंक एवं लिच-पीट का निर्माण किया गया है।
(2)	यात्रा मार्ग पर सीवेज उपचार संयंत्र की संख्या	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल	यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार के कोई सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण किया गया है और न ही संस्था द्वारा संचालन किया जाता है।
(3)	खच्चरों/घोड़ों द्वारा उत्पन्न गोबर का संग्रहण एवं निपटान तंत्र	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल	खच्चरों/घोड़ों द्वारा उत्पन्न गोबर के संग्रहण एवं निपटान के लिये संस्था द्वारा यात्रा अवधि में सफाईकर्मियों द्वारा सम्पूर्ण यात्रा मार्ग में साफ-सफाई के कार्य का संचालन किया जाता है। जिसमें गोबर को विभिन्न स्थलों में बने पिट्स में एकत्रित कर लिया जाता है और समय-समय पर पिट्स में संग्रहित गोबर को गौरीकुण्ड पहुंचाया जाता है। फिर वहां से संस्था के कॅम्पोस्टिंग/डम्पिंग जोन रामपुर में कम्पोट किया जाता है।
(4)	यात्रा मार्गों और पटरियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल	संस्था द्वारा सीतापुर से श्री केदारनाथ धाम तक साफ-सफाई का कार्य संचालित किया जाता है। जिसमें खच्चरों/घोड़ों द्वारा उत्पन्न गोबर को संग्रहण एवं निपटान उपर्युक्त बिन्दु में स्पष्ट किया गया है एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये संस्था के कर्मियों द्वारा नियमित रूप से साफ-सफाई के दौरान ठोस अपशिष्ट को अलग से डस्टबिन एवं गनी बैग में संग्रहित कर लिया जाता है। जिसे समय-समय पर सड़क स्तर पर गौरीकुण्ड तक घोड़े/खच्चरों से पहुंचाया जाता है एवं वहां से कूड़ा/वाहन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट को रामपुर स्थित डम्पिंग जोन से लाकर डम्प किया जाता है।
(5)	प्लास्टिक और अन्य पुनर्चक्रण योग्य कचरे का पृथक्करण।	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल	साफ-सफाई के कारण सफाईकर्मियों द्वारा प्लास्टिक और पुनर्चक्रण योग्य कचरे को गनी बैग में एकत्रित कर लिया जाता है। जिसे समय-समय पर घोड़े/खच्चरों द्वारा गौरीकुण्ड एवं कूड़ा वाहन द्वारा कॉम्पेक्टर मशीन सोनप्रयाग पहुंचाकर काम्पेक्ट का रिसाईकिलिंग के लिये भेजा जाता है।

मुख्य विभागीय अधिकारी
उद्गप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
उद्गप्रयाग



क्र० सं०	विवरण	सम्बन्धित विभाग	अभियुक्ति
(6)	तेजी से, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल निपटान सुनिश्चित करने के लिए मृत खच्चरों/घोड़ों का निपटान तंत्र।	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल	पैदल यात्रा मार्ग पर ट्राली एवं वाहन के माध्यम से निस्तारण किया जाता है।
	मृत खच्चरों/घोड़ों के निपटान के लिए दफन स्थलों की पहचान करना।	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल	यात्रा मार्ग पर नियुक्त पशु चिकित्सक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा मृत खच्चरों/घोड़ों का शवपरीक्षा के बाद चिन्हित स्थलों पर दफन किया जाता है।
	मृत खच्चरों/घोड़ों के ऐसे निपटान की निगरानी तंत्र।		जिला प्रशासन द्वारा पशु चिकित्सक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में कार्य किये जाते हैं।
	उल्लंघन के मामलों में घंड़ के प्रावधान और उसके लिए जिम्मेदार प्राधिकारी। लगाए गए जुर्माने के मामलों के विवरण दिया जाए।		लागू नहीं है।
	मृत खच्चरों/घोड़ों के निपटान की अनुमानित लागत और उसके लिए वजतीय प्रावधान।		मानवीय दृष्टिकोण से संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जाती है।
	अपशिष्ट प्रबन्धन, तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, यातायात प्रबन्धन, खच्चर/घोड़े प्रबन्धन आदि के लिए वजतीय प्रावधानों की स्थिति।	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल	बजट का कोई प्रावधान नहीं है। यात्रा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।
3 (1)	प्लास्टिक वस्तुओं के एकल उपयोग के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया। चालान और वसूले गए जुर्माने का विवरण भी दिया जाए।	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल	लागू नहीं।
5	विषय पर सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करते हुए, उचित चीनी पर बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण/प्रबंधन सुविधाएं स्थापित करें।	प्रभारी, सुलभ इन्टरनेशनल	लागू नहीं।


संलग्न - फोटोग्राफ्स।



मुख्य विवरण अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में कार्यरत सफाईकर्मी




मुख्य विचार अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग



मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में एकत्रित ठोस अवशेष/प्लास्टिक को रिसाईकिल हेतु लाते हुये।




मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग




मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग



मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

श्री सेवाराध पैदल यात्रा मार्ग में कूड़ा एकत्रण हेतु कूड़ेदान।



मुख्य विचार अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग




मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग



जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में एकाग्रित घांड़ा-खच्चर लोड को कॉम्पोस्ट हेतु रामपुर स्थित डम्पिंग जोग ले जाते हुये।



मुख्य विभाग अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग



मुख्य विवरण अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

॥ कार्यालय नगर पंचायत केदारनाथ ॥

दिनांक 12 दिसम्बर, 2023

पत्रांक 108 / न0प0केदारनाथ / 2023-24

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी महोदय,
रुद्रप्रयाग।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 56/2022 (M.A. No. 56/023 उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपर जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग के कार्यालय के पत्र सं0 782/33-11/ (2022-23) दि0 02-12-2023 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No. 56/2022 (M.A. No. 56/023 उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में दिये गए निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में नगर पंचायत केदारनाथ से संबंधित विन्दुवार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है:-

क्र0सं0	सूचना	आख्या
2)	i Review and Plan infrastructure for: Waste Management Additional information about following points be given:	
	f. Nos. of toilets provided along the yatra routes (temporary or permanent) and their cleaning and waste disposal mechanism.	श्री केदारनाथ धाम में नगर पंचायत केदारनाथ के किसी भी प्रकार शौचालय एवं मूत्रालय अवस्थित नहीं है। वर्तमान में श्री केदारनाथ धाम में शुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अस्थायी शौचालय/मूत्रालय स्थापित किये गये हैं।
	g. Nos. of sewage treatment plants along the Yatra routes.	नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में गाबर कम्पनी द्वारा sewage treatment plants एस0टी0पी0 का कार्य निर्माणाधीन है।
	h. Collection and disposal mechanism of dung generated by mules/equines	N/a
	i. Solid waste manement along the Yatra routes and tracks.	नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत 50 अस्थायी पर्यावरण मित्र तैनात हैं जिनके द्वारा प्रत्येक दिन दो पालियों में केदारपुरी की साफ-सफाई एवं डोर-टू-डोर जैविक एवं अजैविक कूड़े को उठाया जा रहा है, एवं उत्सर्जित जैविक एवं अजैविक कूड़े को ट्रैक्टर वाहन के माध्यम से कूड़ा निस्तारण केन्द्र पहुंचाया जाता है, जहां पर अजैविक कूड़े की छंटाई कर कट्टों में भरकर घोड़े-खच्चरों के माध्यम से रिसाईकल केन्द्र सोनप्रयाग भेजा जाता है, तथा जैविक कूड़े को पिटों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है।
	j. Segregation of plastic and other recyclable waste. .	नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत उत्सर्जित जैविक/अजैविक कूड़े को ट्रैक्टर वाहन के माध्यम से कूड़ा निस्तारण केन्द्र पहुंचाया जाता है, जहां पर अजैविक कूड़े की छंटाई कर कट्टों में भरकर घोड़े-खच्चरों के माध्यम से रिसाईकल केन्द्र सोनप्रयाग भेजा जाता है।
	f. Status of use of banned single Use Plastic items.	नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग ना करने के सम्बन्ध में पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

	Monitoring mechanism of Solid Waste Management.	नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत साफ-सफाई की निगरानी हेतु 01 सफाई हेड/पर्यावरण पर्यवेक्षक तैनात किया गया है, एवं समय-समय पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।
	k. Any other action in this regard.	-
3	Discouraging use of food and products packaged in non-biodegradable packaging material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.	नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत जैविक कूड़े को पिटों के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है। समय-समय पर स्थानीय व्यापारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है, तथा श्री केदारनाथ घाम में साफ-सफाई व्यवस्था बनाये रखने की अपील की जाती है।
	Additional information about following points be given:	
	e. Penalty imposed against used of Single Use of Plastic Items. details of challan and fine collected may also be give.	N/A
	f. Drive for banned plastic items undertaken.	समय-समय पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग ना करने के सम्बन्ध में पोस्टर, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
	g. Details of QR code based DDRS implemented and total plastic wste collected and routed for recycling in Yatra season.	डिपोजिट रिफण्ड सिस्टम (DRS) परियोजना के साथ नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा वर्ष 2022 से शुरुआत की जा चुकी है, डिपोजिट रिफण्ड सिस्टम की शुरुआत करने से श्री केदारनाथ घाम में प्लास्टिक बोतलें अन्यत्र न फैलकर डिपोजिट रिफण्ड सेन्टर में ही एकत्रित हो रही हैं।
	h. Any other action in this regards	-

भवदीय

(चन्द्रशेखर चौधरी)
अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत केदारनाथ,

प्रतिलिपि—जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(चन्द्रशेखर चौधरी)
अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत केदारनाथ,

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

केदारनाथ मंदिर परिसर में नगर पंचायत द्वारा सफाई कार्य



केदारनाथ मंदिर परिसर में नगर पंचायत द्वारा सफाई कार्य



केदारनाथ मंदिर परिसर में नगर पंचायत द्वारा सफाई कार्य



केदारनाथ घाट में विशेष सफाई अभियान



केदारनाथ घाट में विशेष सफाई अभियान



केदारनाथ घाट में प्लास्टिक डिपोजिट रिफण्ड सेंटर



मुख्य विकास अधिकारी
उदरप्रभाग

(चन्द्रशेखर चौधरी)
अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत केदारनाथ

जिला विकास अधिकारी
उदरप्रभाग

घोड़े खच्चरों के माध्यम से प्लास्टिक कूड़ा रिसाइकिलिंग केन्द्र सोनप्रयाग भेजते हुए



केदारनाथ घाट में सफाई अभियान



केदारनाथ घाट में प्लास्टिक डिपोजिट रिफण्ड सेंटर




मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


(चन्द्रशेखर चौधरी)
अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत केदारनाथ


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

केदारनाथ स्थित डीपिन घाट में प्लास्टिक कूड़े का एकत्रीकरण



केदारनाथ धाम में कूड़ा निस्तारण करते हुए पर्यावरण मित्र



केदारनाथ धाम में प्लास्टिक कूड़ा कम्पैक्ट करते हुए



केदारनाथ भदिर परिकर में नगर पंचायत द्वारा सफाई कार्य करते हुए पर्यावरण मित्र



केदारनाथ स्थित डीपिन घाट में प्लास्टिक कूड़े का एकत्रीकरण



(चन्द्रशेखर चौधरी)
अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत केदारनाथ

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

श्री केदारनाथ धाम में प्लास्टिक डिपोजिट रिफण्ड सेन्टर




 मुख्य विकास अधिकारी
 रुद्रप्रयाग


 जिला विकास अधिकारी
 103 प्रयाग


 (चन्द्रशेखर)
 अधिशासी अधिकारी,
 नगर पंचायत केदारनाथ।

प्रेषक

अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत केदारनाथ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी महोदय,
रुद्रप्रयाग।

संख्या:- 14 / न0प0के0-एन0जी0टी0 / (2023-24)

दिनांक: दिसम्बर 20, 2023

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित Executive Application
No-27 / 2023 in O.A No-561 / 2022(M.A No-) 54 / 2023 उर्वशी शोमना कछरी
यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, कृपया आपके कार्यालय पत्र सं0-920 / 33-11 / (2023-24) दिनांक: 13 दिसम्बर 2023 का अवलोकन करने का कष्ट कीजियेगा जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित Executive Application No-27 / 2023 in O.A No-561 / 2022(M.A No-) 54 / 2023 उर्वशी शोमना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के मामले में पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित बिन्दुओं पर सूचना निम्न प्रकार है:-

- क्र0सं0-2(1) बिन्दु सं0-4-** नगर पंचायत केदारनाथ क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत एकत्रित कूड़े को कूड़ा निस्तारण केन्द्र में ट्रैक्टर वाहन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है जहां प्लास्टिक कूड़े को कट्टों में भरकर घोड़े खच्चरों के माध्यम से रिसाईकिल केन्द्र सोनप्रयाग पहुंचाया जाता है एवं गीले कूड़े को पिटों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है।
- क्र0सं0-2 बिन्दु सं0-5-** निकाय अन्तर्गत उत्सर्जित कूड़े को कूड़ा निस्तारण केन्द्र में ट्रैक्टर वाहन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है जहां प्लास्टिक कूड़े को कट्टों में भरकर घोड़े खच्चरों के माध्यम से रिसाईकिल केन्द्र सोनप्रयाग पहुंचाया जाता है एवं गीले कूड़े को पिटों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है।
- क्र0सं0-2 बिन्दु सं0-6-** निकाय अन्तर्गत एकल उपयोग प्लास्टिक को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है।

क्र0सं0-2 (6) बिन्दु सं0-1- अपशिष्ट प्रबन्धन, तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, यातायात प्रबन्धन, खच्चर/घोड़े प्रबन्धन आदि के लिए राज्य वित्त/चार धाम यात्रा मद का उपयोग किया जाता है।

क्र0सं0-2 (6) बिन्दु सं0-2- इस सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गयी है।

क्र0सं0-2 (7) बिन्दु सं0-1- नगर क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर स्थानीय व्यापारियों/तीर्थ पुरोहितों श्री केदारनाथ धाम में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ निकाय में तैनात पर्यावरण मित्रों द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाकर आम जन मानस को श्री केदारनाथ धाम में कूड़ा न फैलाने हेतु जागरूक किया जाता है।


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

क्र०सं०-3 बिन्दु सं०-1-प्लास्टिक वस्तुओं के एकल उपयोग को क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है। समय-समय पर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थानीय व्यापारियों/श्रद्धालुओं व नगर पंचायत में तैनात पर्यावरण मित्रों द्वारा प्लास्टिक का उपयोग न करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जिस क्रम में इस निकाय द्वारा नगर क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा फैलाने/गंदगी करने पर 69 चालान किये गये हैं जिससे कुल 39,800.00 ₹ की धनराशि वसूल की गयी है।

क्र०सं०-3 बिन्दु सं०-3- श्री केदारनाथ धाम में DDRS परियोजना वर्ष 2022 से प्रचलित है। यात्रा सीजन में अनुमानित 300कि०ग्रा० प्लास्टिक कूड़ा रिसाइक्लिंग केन्द्र के लिए भेजा गया है।

क्र०सं०-3 बिन्दु सं०-5- नगर पंचायत केदारनाथ का कूड़ा निस्तारण केन्द्र/एम०आर०एफ सेन्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, यात्राकाल 2024 प्रारम्भ होने से पूर्व उक्त निस्तारण केन्द्र/एम०आर०एफ सेन्टर निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा जिस पश्चात सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करते हुए बायोग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण/प्रबन्धन सुविधाएं स्थापित की जायेगी।

क्र०सं०-4- नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत साफ सफाई व्यवस्था निस्पादित किये जाने हेतु एक पर्यावरण पर्यवेक्षक की तैनाती की गयी है जिनके द्वारा प्रत्येक दिवस दौ पालियों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाता है इसके साथ ही इस निकाय में कार्यरत कर संग्रहकर्ता/लेखा लिपिक/कनिष्ठ सहायक के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी समय-समय पर नगर क्षेत्रान्तर्गत सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना सादर सेवा में प्रेषित।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर चौधरी),
अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत केदारनाथ।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(चन्द्रशेखर चौधरी),
अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत केदारनाथ।

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रेषक,

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: 98 / एन0जी0टी0 / 2023-24

दिनांक 18 दिसम्बर 2023

विषय:

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित Executive Application No-27/2023 in O.A. NO-561/2022(M.A. No-54/2023 उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र संख्या 920/33-1 (2022-23) दिनांक 13 दिसम्बर 2023 का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित Executive Application No-27/2023 in O.A. NO-561/2022(M.A. No-54/2023 उर्वशी शोभना कछरी यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के मामले में पर्यटन विभाग से सम्बन्धित बिन्दु पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त केक्रम में संलग्नक केक्रम सं0 04 के उपबिन्दु पर्यटन विभाग से भी सम्बन्धित होने के कारण सूचना/आख्या निम्न प्रकार से है-

क्र0सं0	कार्यबिन्दु	कार्यवाही
1	4) क्या करें और क्या न करें के साथ एसओपी और डिस्प्ले बोर्ड तैयार करना	यात्रा मार्गों पर सात डिस्प्ले बोर्ड (रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकल्ली, सीतापुर, सोनप्रयाग, कालीमठ, उखीमठ) पर्यटन मुख्यालय द्वारा लगवाये गये है, जनपद स्तर पर यात्रा मार्ग पर बैनर/साईन बोर्ड स्थापित किये जाने हेतु उद्योग विभाग को नोडल बनाया गया है।
2	2. सूचना प्रसार के लिए एसओपी का गठन।	उक्त बिन्दु उद्योग विभाग रुद्रप्रयाग से सम्बन्धित है।
3	3. इस सम्बन्ध में अन्य कोई कार्यवाही।	उक्त बिन्दु उद्योग विभाग रुद्रप्रयाग से सम्बन्धित है।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,



(शहल चौबे)

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

दिनांक- 06.12.2023

संख्या-459/सा0प्रशा/2023

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

लेखाकार म/नो
DDO
11/12/23

DDO
CDO
11/12/23

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. No.561/2022(M.A. NO. 54/2023) उर्वशी शोमना कछरी युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 782/33-11 दिनांक 02.12.2023 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्बंधित सूचना बिन्दुवार आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसार आपको प्रेषित की जा रही है।

Action Points	Action Taken
1 (1)(i) 1- Status of Action Plan i) a. Available parking area for vehicles	कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद रुद्रप्रयाग के पत्र सं0 आर-06/2023 दिनांक 16.02.2023 के अनुसार संलग्न है।
2 (4)(i) iv. Praparating SoP and display boards/with Dos and Don'ts.	सम्मागीय परिवहन अधिकारी महोदया पौडी गढवाल/अपर नोडल अधिकारी यात्रा एवं सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी (सहायक नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा) द्वारा समय-समय पर क्या करें-क्या न करें के सम्बंध में विभिन्न आदेशों/ज्ञापन/पोस्टर बैनरों के माध्यम से यात्राकाल में यात्रियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाते हैं।(संलग्न)
2 (6)(i) iv) Source of funds to sustain regulatory measures, traffic management at suitable location, compliance of enviornmental norms including Water Act, Air Act, & E(P) Act.	चारधाम यात्रा के अन्तर्गत श्री केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन हेतु सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड तक विभाग द्वारा संचालित शटल सेवा का अहम योगदान होती है। जिसके अन्तर्गत एक अस्थायी चैक पोस्ट का संचालन पौडी सम्माग के मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों व प्रवर्तन कार्मिकों की तैनाती रोस्टर के अनुसार की जाती है। साथ ही सम्मागीय परिवहन अधिकारी महोदया पौडी गढवाल/अपर नोडल अधिकारी द्वारा शटल सेवा के सुगम संचालन हेतु यात्रा मार्ग पर कठोर प्रवर्तन कार्यवाही हेतु इंटरसेप्टर मय प्रवर्तन दल की तैनाती भी की जाती है।

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

Discouraging use of food and products packaged in non- biodegradable packaging material, encourage waste disposal at designated place and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.

512

न्यायालय के पत्र संख्या 830/सा0प्रशा0/2022-23 दिनांक 28.12.2022 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन संख्या-93/2022 जितेन्द्र यादव बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के क्रम में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रोकने के दृष्टिगत सभी प्रकारण के वाहनों (निजी/व्यावसायिक) में डस्टबिन लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद अन्तर्गत संचालित समस्त टैक्सी/मैक्सी/बस युनियनों को सभी प्रकार के वाहनों में डस्टबिन लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।(आदेश संलग्न)

3 (1)

Additional information about following points be given.

3 (1)

a-penalty imposed against uses of single use of plastic items. Details of challan and fine collected may also be given

उपरोक्त आदेशों के क्रम में यात्राकाल में प्रवर्तन दल रुद्रप्रयाग द्वारा बिना डस्टबिन के सवारी वहन कर रहे यात्री वाहनों के विरुद्ध 18 चालान किये गये तथा चालानी कार्यवाही करने के उपरांत 7500/- रुपये का प्रशमन शुल्क प्राप्त किया गया।

b- Drive for banned plastic items undertaken

.....

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

भवदीय

सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

श्रीवा में,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
 रुद्रप्रयाग।

कृपया अपने पत्र संख्या: 965/सा.प्रशा./यात्रा/2023 दिनांक 1302.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो चारधाम यात्रा- 2023 के दृष्टिगत पुलिस थाना/चौकियों के मोबाइल नम्बर व जनपद में पार्किंग स्थलों का विवरण उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

अतः सन्दर्भित वांछित सूचना निम्नवत प्रेषित है:-

जनपद के थाना/चौकियों के नाम व दूरभाष नम्बर:-

क्र.स.	नाम थाना/चौकी	दूरभाष नम्बर
1.	कोतवाली रुद्रप्रयाग	0364-233208, 9411112867
2.	थाना अगस्त्यमुनि	01364- 286231, 9411112896
3.	थाना ऊखीमठ	9411112868
4.	थाना गुप्तकाशी	9411192897
5.	कोतवाली सोनप्रयाग	8126717498
6.	पुलिस चौकी श्रीकेदारनाथ	-
7.	पुलिस चौकी गौरीकुण्ड	-
8.	पुलिस चौकी फाटा	-
9.	पुलिस चौकी चोपता	-
10.	पुलिस चौकी बसुकेदार	-
11.	पुलिस चौकी तिलवाडा	-
12.	पुलिस चौकी मयाली	-
13.	पुलिस चौकी घोलतीर	-
14.	पुलिस चौकी दुर्गाधार/चोपता	-
15.	पुलिस चौकी जवाडी बाईपास	-

जनपद में वाहन पार्किंग स्थलों के नाम व वाहनों की पार्किंग क्षमता:-

क्र.स.	पार्किंग स्थल का नाम	वाहनों की क्षमता	
		दुपहिया	चारपहिया
1.	पुनाड गधेरा के दाहिनी ओर कस्बा रुद्रप्रयाग	-	कुल 55 छोटे बड़े वाहन
2.	पुनाड गधेरा के बायीं ओर कस्बा रुद्रप्रयाग	-	65 छोटे वाहन वाहन
3.	पुनाड गधेरा के ऊपर कस्बा रुद्रप्रयाग	-	50 छोटे वाहन
4.	सुरग के पास संगम रुद्रप्रयाग	-	30 छोटे वाहन
5.	सुमाडी पुल के ऊपर दाहिनी ओर कस्बा सुमाडी	-	30 छोटे वाहन
6.	गुलाबराय कस्बा रुद्रप्रयाग	-	400 छोटे बड़े वाहन
7.	क्रीडा मैदान अगस्त्यमुनि	-	800 छोटे बड़े वाहन
8.	कोतवाली रुद्रप्रयाग कस्बा अगस्त्यमुनि	-	35 छोटे वाहन

-2-

9	नगरपालिका पाकिंग अक्सपन्डि	-	15 ठाट वाहन
10	चन्द्रपुरी मुख्य बाजार के पीछे	-	50 छोटे वाहन
11	गुप्तकाशी पीडब्लूडी के पास	-	25 छोटे वाहन
12	मैखण्डा के पास	-	06 छोटे वाहन
13	भ्युगाड के पास	-	10 छोटे वाहन
14	नारायणकोटि गुप्तकाशी	-	05 छोटे वाहन
15	रानपुर व सीतापुर लैको कम्पनी पाकिंग	-	50 छोटे वाहन
16	सीतापुर सडक के नीचे	-	250 बडे वाहन
17	त्रियुगीनारायण रोड सोनप्रयाग	-	200 छोटे बडे वाहन
18	सोनप्रयाग रोड के नीचे	-	350 छोटे बडे वाहन
19	गौरीकुण्ड मुख्य बाजार	-	15 छोटे वाहन

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

पुलिस अधीक्षक,
रुद्रप्रयाग

सुख विद्या अखिली
जयप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
जयप्रयाग



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

e-mail:- dfokedarnath@gmail.com / phone/fax: 01372-252149

पत्रांक:- 3156/24-3 (कैम्प)

गोपेश्वर,

दिनांक,

11/12/2023 :

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

DDO



CDO

20/12/23

विषय :-

मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोभना कछरी यूनिवर्स ऑफ इन्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

अपर जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 782/33-11 (2022-23), दिनांक 02-12-2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A No. 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोभना कछरी यूनिवर्स ऑफ इन्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2023 के अनुपालन में उल्लिखित बिन्दुओं पर इस वन्यजीव प्रभाग के सम्बन्धित बिन्दु पर सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :-

Action Points	Action Taken
<p>2. Review and plan infrastructure for :</p> <p>iii) Demarcation of areas where activities incompatible with environment are prohibited/regulated.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Effective demarcation of restricted area along the Yatra track,</p> <p>b. Monitoring mechanism of any pilgrims /tourist in restricted areas.</p> <p>c. Provisions of penalty against violators. Details of penalty imposed, if any.</p> <p>d. Any other action in this regard.</p>	<p>गौरीकुण्ड से श्री केदारनाथ धाम का सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग 16.00 कि०मी० है, जिसमें से गौरीकुण्ड से धारुकैम्प तक 0-10.00 कि०मी० तक पैदल मार्ग केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के गल्ला कालीफाट ब्लॉक के अन्तर्गत है तथा शेष पैदल मार्ग (धारुकैम्प से केदारनाथ धाम) 11.00-16.00 कि०मी० तक का क्षेत्र केदारनाथ घक के अंतर्गत स्थित है।</p> <p>श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्गों के समीप प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में निगरानी हेतु यात्राकाल-2023 में 08 वनकर्तियों (03 वन दरोगा, 02 वन आरक्षी और 03 श्रमिक) की तैनाती की गई।</p> <p>केदारनाथ धाम में यात्राकाल-2023 के दौरान तीर्थ यात्रियों/पर्वटकों पर कोई भी जुर्माना नहीं लिया गया है, परन्तु यात्रा मार्ग पर वन क्षेत्रों में अवैध रूप से अतिक्रमण करने के प्रयास में सलिया 15 व्यक्तियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 यथा संशोधित-2022 के तहत वन अपराध दर्ज किये गये हैं, जिसमें रु. 1294500.00 (बारह लाख चौरानबे हजार पांच सौ) की धनराशि का जुर्माना वसूल कर राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।</p>

भवदीय,



(अभिमन्यु)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर।

पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को आपके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग


(अभिमन्यु)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर।

शुलग इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन
उत्तराखण्ड राज्य शाखा, देहरादून
श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में सफाई कार्य, ठोस अवशेष/प्लास्टिक एवं खच्चर लीट निस्कारण कार्य का विवरण।

दिनांक: 06.09.2023

क्र० सं०	पैदल यात्रा मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	व्ययित राशि	अवशेष राशि	घण्टे राशि	कर्मचारियों की संख्या	सफाई कार्य में उपयोग होने वाले सामान एवं पीट	अभियुक्ति
1	सीतापुर पार्किंग से गोरीकुण्ड खोदापकड़ तक (क्षेत्रफल 8.80 लाख वर्गफीट)	शासनादेश सं० TS-1-BUD/18/2022-VI-1- Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र सं० 7943/2-7-27/2022-23 दिनांक 28.03.2023	1,99,57,000	80,13,000	91,92,795	कैम्पस्टैकर : 71+17= 88 सुपरवाइजर : 06	1. कूड़ाटोली (23 नग) 2. डैपट्टोली (57 नग) 3. डस्टबीन (240 ली०-23 नग, 150 ली०-45 नग, 120 ली०-68 नग) 4. पीट-(गोरीकुण्ड-2 पीट, सीतापुर ब्लॉक निर्मित, क्षमता 8000 लीटर)	1- ठोस अवशेष/प्लास्टिक- एकत्रीकरण एवं कोम्पोजन :- सफाईकर्मियों के द्वारा दो पालियों में आरू, तसला, भेल्चा से ठोस अवशेष/प्लास्टिक को कूड़ाटोली, कूड़ाभंग, डस्टबीन में उठाकर बड़े-बड़े कूड़ाभंग में एकत्रित कर कूला गड़न एवं खच्चर द्वारा सौन्दर्यवाग स्थित कोम्पोस्टर में खच्चर कोम्पोस्ट कर रिसाइक्लिंग हेतु भेजा जाता है। 2- खच्चर लीट एकत्रीकरण एवं निस्कारण :- सफाईकर्मियों के द्वारा आरू, तसला, भेल्चा से खच्चर लीट को डैपट्ट टोली एवं धौग में भरकर पीट में एकत्रित रखा जाता है। विसे भीड़ कम होने के उपरांत खच्चरों एवं साठन द्वारा समग्र स्थल को सफाई एवं भेजा दिया जाता है।
2	गोरीकुण्ड खोदापकड़ से खंगलघर्टी तक (क्षेत्रफल 3.50 लाख वर्गफीट)	शासनादेश सं० TS-1-BUD/20/2022-VI-1- Tourism Department दिनांक 10.03.2022 एवं पत्र सं० 7578/2-7-27/2022-23 दिनांक 14.03.2023	3,81,63,000	1,53,67,000	1,74,40,160	कैम्पस्टैकर : 110+10= 120 सुपरवाइजर : 08	1. कूड़ाटोली (11 नग) 2. डैपट्टोली (28 नग) 3. डस्टबीन (240 ली०-11 नग, 150 ली०-23 नग, 120 ली०-35 नग) 4. पीट-(खंगलघर्टी-2 पीट, सीतापुर ब्लॉक निर्मित, क्षमता 7500 लीटर)	

जिला विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड

मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड

Letter No: RT-PN-KEDARNATH_4.0
20 September 2023

To,
District Magistrate,
Ukhimath, Uttarakhand.

Subject: Request for allotment of 3 MRFs in Rudraprayag.

Respected Sir,

In reference to our discussions and pursuant to clause 3B and 4B of the MOU signed between District Administration Rudraprayag (Govt. of Uttarakhand) and Rapidue Technologies Private Limited (Hereinafter referred as 'Recykal'), we request you to allot 2 MRFs and 1 Processing Center as mentioned below to Recykal:

No	Name of Center	Location	Current Management Agency (as of July 2023)
1	Kedarnath Shrine MRF	Near Kedarnath Temple	Kedarnath Shrine Center operated by Nagar Panchayat
2	Triyuginarayan Road MRF center	Triyuginarayan Road	Sulabh International
3	Sonprayag Center	Sonprayag Parking	Recykal (Rapidue Technologies Pvt. Ltd.)

The said MRF will be operated under the SOPs, developed by Recykal till the validity of MOU mentioned above and on-ground operations will be carried out by the Nagar Panchayat Appointed waste management agency.


The proposed operations and work taken up by Recykal in this regard will come at NO additional cost to the Rudraprayag administration.

Recykal assures transparent execution of the SOP with visibility of material movement to registered recyclers.

Thanking you,

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग



Yours sincerely,

Requested by

Name: Rohit Joshi

Designation: Manager - Recykal (Rapidue Technologies Private Limited)

Location: Dehradun, Uttarakhand

Date: 21.09.2023

We hereby approve the request given above:

Kedarnath Shmne MRF, Triyuginarayan Road MRF & Sonprayag central MRF are hereby allotted to Rapidue Technologies Pvt Ltd for operating under SOP for better management of waste during Yatra.

Designation: SDM, Ukhimath

Location: Rudraprayag, Uttarakhand

Date: 21-09-2023

21/09/23
उप जिलाधिकारी
उखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग

Remarks:

मुख्य विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिला विकास अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

संख्या -2333/ 21- (2023-24)

दिनांक - 02 जनवरी 2024

विषय - मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution Application No. 27/2023 in O.A. आवेदन संख्या-561/2022(M.A. No. 54/2023), उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच0आं0/सा0 -183-600/2023/1055 दिनांक 28 नवम्बर 2023 का सर्वर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A.आवेदन संख्या-561/2022(M.A. No. 54/2023), उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध/स्थापित व्यवस्थाओं से संबंधित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के कम संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


जिलाधिकारी

उत्तरकाशी।

Action Points	Action Taken Gangotri Yatra marg	Action Taken Yamunotri yatra marg
<p>i- Limiting Nuber of vehical and type of vehical number of tourists consistent with the carrying capacity of eco-sensitive areas.</p> <p>Additional information about following points be given :</p> <p>a. Available parking area for vehical.</p> <p>b. Process of registration of pillgrism/tourist.</p> <p>c. Any other action in this regard.</p>	<p>गंगोत्री में लगभग 250-300 वाहन</p> <p>पुलिस विभाग उत्तरकाशी द्वारा चारखाम यात्रा 2023 के दृष्टिगत श्री गंगोत्री घाम यात्रा मार्ग पर वाहनों के पंजीकरण हेतु बायोमेट्रिक केंद्र हीना एवं श्री यमुनोत्री घाम यात्रा मार्ग पर बायोमेट्रिक केंद्र दोसाटा में व्यवस्था की गयी थी। यमुनोत्री एवं गंगोत्री में पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकरण/सत्यापन के लिए ऑनलाइन पर्यटक सुरक्षा (TSMS) विकसित किया है, जिसमें कोई एकल/परिवार/दूर ऑपरेशर यात्रा से पहले अपना या साथी यात्री का पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया में प्रत्येक पर्यटक/तीर्थयात्री की बुनियादी जानकारी जैसे नाम, उम्र, पता, यात्रा की तारीखें और परिवहन के साधन के साथ वाहन नंबर यदि उपलब्ध हो तो आधार कार्ड आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। यात्रियों के सत्यापन के लिए पर्यटन विभाग ने यमुनोत्री घाम के लिए बड़कोट तथा जानकीमठ और गंगोत्री घाम के लिए हीना और गंगोत्री में 04 पंजीकरण/सत्यापन काउंटर स्थापित किए हैं। इन सत्यापन काउंटर पर प्रत्येक यात्री को यात्रा के लिए कराया गया पंजीकरण दिखाना होता है। जिससे यात्रा और वाहनों के प्रतिदिन के पल-पल का अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है।</p> <p>पर्यटन विभाग के माध्यम से यात्रियों को बुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए दोनों धर्मों में 38 यात्री मित्रों को तैनात किया गया है।</p>	<p>जानकीचट्टी में लगभग 200-250 वाहन</p> <p>श्री यमुनोत्री घाम में घोड़े/खच्चरों की carrying capacity निर्धारित नहीं है इसे यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व पंजीकरण कर सीमित किया गया है, यात्रा मार्ग में घोड़े/खच्चर की भीड़ न हो तथा लोगों की आवागमन की पूर्ति हेतु ग्रामकर शेडर तैयार किया गया है। जिला पंचायत द्वारा श्री यमुनोत्री घाम में घोड़ा/खच्चरों का संचालन किया जाता है। उत्सव करने पर संचालन करने की प्रक्रिया जिला पंचायत अधिनियम के अंतर्गत है। अर्थात् उत्सव कर्ता से अर्पण लेकर भविष्य में संचालन पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।</p> <p>जिला पंचायत द्वारा 3,909 घोड़ा/खच्चरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।</p> <p>यात्रा मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक घोड़ा/खच्चर की टैगिंग की जाती है तथा प्रतिदिन पशु चिकित्सक द्वारा घोड़ा/खच्चर का परीक्षण किया जाता है।</p> <p>यात्रा मार्ग पर उन्ही घोड़ा/खच्चरों को चलने की अनुमति प्रदान की जाती है जो स्वस्थ हो तथा जिनका पंजीकरण किया गया</p>
<p>ii. Restricting number of equine/mules consistent with the carrying capacity of ecosensitive area:</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Nos. Mules/Equines registered and process of registration.</p> <p>b. Provisions of ear tagging and veterinary checkup.</p> <p>c. Mechanism of limiting the number of mules /equines in Yatra routes.</p>	<p>श्री गंगोत्री घाम जाने हेतु घोड़ा, खच्चरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, श्री गंगोत्री घाम से मोमुख जाने हेतु घोड़ा, खच्चरों की आवश्यकता होती है जिनकी एक दिन में 16 घोड़े/खच्चरों की सीमित संख्या निर्धारित की गयी है। जो उप निर्देशक गंगोत्री नेशनल पार्क द्वारा संचालित किया जाता है।</p>	<p>श्री यमुनोत्री घाम में घोड़े/खच्चरों की carrying capacity निर्धारित नहीं है इसे यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व पंजीकरण कर सीमित किया गया है, यात्रा मार्ग में घोड़े/खच्चर की भीड़ न हो तथा लोगों की आवागमन की पूर्ति हेतु ग्रामकर शेडर तैयार किया गया है। जिला पंचायत द्वारा श्री यमुनोत्री घाम में घोड़ा/खच्चरों का संचालन किया जाता है। उत्सव करने पर संचालन करने की प्रक्रिया जिला पंचायत अधिनियम के अंतर्गत है। अर्थात् उत्सव कर्ता से अर्पण लेकर भविष्य में संचालन पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।</p> <p>जिला पंचायत द्वारा 3,909 घोड़ा/खच्चरों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।</p> <p>यात्रा मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक घोड़ा/खच्चर की टैगिंग की जाती है तथा प्रतिदिन पशु चिकित्सक द्वारा घोड़ा/खच्चर का परीक्षण किया जाता है।</p> <p>यात्रा मार्ग पर उन्ही घोड़ा/खच्चरों को चलने की अनुमति प्रदान की जाती है जो स्वस्थ हो तथा जिनका पंजीकरण किया गया</p>

<p>d. Compliance status of SOP issued by Animal Husbandry Section, Government of Uttarakhand vide ref. No. 775/Xv1/23/4(12)22 dated 01.05.2023.</p> <p>e. Disposal mechanism of carcass of dead mule /equines and its monitoring mechanism.</p> <p>f. Any other action in this regard.</p>		<p>हैं। अपजोईकृत घोडा/खच्चर को मारने पर संघालन की अनुमति नहीं दी जाती है। बैरिवर पर जिला पंचायत, पशुपालन विभाग एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों की टिम तैनात रहती है. जवत के अतिरिक्त संयुक्त यात्राकाल में घोडा/खच्चरों की संख्या सीमित किये जाने हेतु पुलिस विभाग के कर्मी तैनात किये जाते हैं तथा बैरिवर के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है एवं घोडा/खच्चर की अनुमानित संख्या को यात्रियों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।</p> <p>मृत हुये पशुओं को दफनाने हेतु जिला पंचायत एवं पशुपालन विभाग की देख रेख में गड्डे तैयार किये जाते हैं जिसमें विविध पाउडर एवं नमक को निर्धारित मात्रा में डालकर दफनाया जाता है।</p>
<p>2. Review and plan infrastructure for:</p> <p>i- Waste management. Additional information about following points be given:</p> <p>a. Nos. of toilets provided along the Yatra routes (temporary or permanent) and their cleaning and waste disposal mechanism.</p> <p>b. Nos. of sewage treatment plants along the Yatra routes.</p>	<p>नगर पालिका परिषद बादाहाट में वर्तमान में 13 शौचालय (सुलभ/पर्यटन/नगर पालिका) एवं नगर पंचायत गंगोत्री में वर्तमान में 06 शौचालय (सुलभ/पर्यटन/नगर पंचायत) को शौचालय निर्मित है। सभी शौचालयों के बाहर केयर टेकर तैनात रहते हैं, जो नियमित रूप से शौचालय की सफाई का कार्य करते हैं।</p> <p>नगर पालिका बादाहाट क्षेत्रान्तर्गत 02 एम्बुएल0डी0 का 01 सिविल ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित है, तथा गंगोत्री घाट में 01 सिविल ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित है।</p>	<p>जिला पंचायत द्वारा यात्रा मार्ग पर कुड़े दान स्थापित किये जाते हैं। जैविक/अजैविक कुड़े के निस्तारण हेतु अलग से व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है घोड़े/खच्चरों को तैनात हेतु लीड बैंड पीट तैयार किये गये हैं, यात्राभार पर 15 से अधिक होत अपशिष्ट कलेक्शन सेंटर तैयार किये गये हैं जहां से होत अपशिष्ट को बोरीयों में भरकर कम्पेक्टर मशीन में ले जाया जाता है, जहां कम्पेक्टर बेल बनाकर रिसाइक्लिंग प्लांट में ले जाया जाता है।</p> <p>नगर पालिका परिषद बडकोट में वर्तमान में 26 सौट के शौचालय (सुलभ/पर्यटन/नगर पालिका) के निर्मित है। सभी शौचालयों के बाहर केयर टेकर तैनात रहते हैं, जो नियमित रूप से शौचालय की सफाई का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत द्वारा यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर कुल 85 (स्थाई/अस्थाई) तथा गंगोत्री मार्ग पर कुल 37(32 स्थाई, 05 अस्थाई) शौचालय बनाये गये हैं। इन शौचालयों/विभिन्न स्थलों में सफाई हेतु 103 सफाई कर्मी तैनात किये गये हैं। जिससे यात्रा मार्ग पर किसी भी स्थिति में मा0 हरित प्राद्विकरण द्वारा सुध्राये गये पर्यावरण संरक्षण नियमों को हानन न होने पाये।</p> <p>नगर पालिका परिषद बडकोट क्षेत्रान्तर्गत सिविल ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित है। जिला पंचायत का कोई सिविल ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है।</p>

<p>c. Collection and disposal mechanism of dung generated by mules/equines.</p> <p>d. Solid Waste management along the Yatra routes and tracks.</p> <p>e. Segregation of plastic and other recyclable waste.</p> <p>f. Status of use of banned Single Use Plastic items. Monitoring mechanism of Solid Waste Management.</p> <p>g. Any other action in this regard.</p>	<p>नगर पालिका परिषद बाढाहाट में निवमित/सविदा/गालव गैंग पर 64 घासघान यात्रा हेतु 10 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात किये जाते हैं तथा नगर पंचायत गंगोत्री में 25 सफाई कर्मचारी तैनात किये जाते हैं जो समय-समय पर सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं।</p> <p>नगर पालिका बाढाहाट एवं गंगोत्री नगर क्षेत्र में शोभायात्रा अर्जैविक कूड़े को काम्पेक्टर किये जाने हेतु काम्पेक्टर आत्यव्यवस्थित किया गया है, जिसमें अर्जैविक कूड़े को आईटम वाईज अलग अलग करने के बाद काम्पेक्टर पर रिसाईकिलिंग के लिये विक्रय कर दिया जाता है।</p> <p>नगर पालिका बाढाहाट एवं गंगोत्री नगर क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत कूड़ा पृथक-पृथक (अर्जैविक व अर्जैविक) प्रणाली पर एकत्रित किया जाता है।</p>	<p>घोड़े/खच्चरों से प्राप्त लीद को तत्काल मार्ग से हटाने हेतु पर्याप्त मात्रा में स्वच्छता की तैयारी की जाती है। यात्रा वेदल मार्ग के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कर्मी तैनात रहते हैं तथा उनके द्वारा नियमित अंतराल पर सफाई करते हैं। उसको पर्याप्त लीद को बर्कनित स्थान (लीद पीट) पर निस्तारण हेतु भेजा जाता है।</p> <p>सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत नगर पालिका बढाहाट में 26 सफाई कर्मचारी तैनात किये जाते हैं जो समय-समय पर सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। किल पंचायत द्वारा जगह-जगह कुड़ेदान तैनात गये हैं, जिनमें कुड़ा इकट्ठा कर सफाई केन्द्रों तक पहुँचाया जाता है, जिसे काम्पेक्टर गरीब में रिसाईकिल किया जाता है।</p> <p>बढाहाट नगर क्षेत्र में अर्जैविक कूड़े को काम्पेक्टर किये जाने हेतु काम्पेक्टर स्थापित किया गया है। जिनमें अर्जैविक कूड़े को अलग-अलग करने के बाद काम्पेक्टर पर रिसाईकिलिंग के लिए विक्रय कर दिया जाता है। किल पंचायत द्वारा प्लास्टिक को अन्य कूड़े से अलग किया जाता है तथा अलग कर प्लास्टिक की बेल तैयार कि जाती है।</p> <p>नगर पालिका बढाहाट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत कूड़ा पृथक-पृथक(अर्जैविक-अर्जैविक)प्राप्त कर, एकत्रित किया जाता है। सिंगल मुज प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन लगाया गया है यदि किसी को सिंगल मुज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुये पाया जाता है तो उससे अर्शदण्ड वसूल किया जाता है। श्रम यात्रा मार्ग पर सिंगल मुज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता है। समय-समय पर इरली मॉनिटरिंग भी की जाती रहती है।</p> <p>सॉलिड वेस्ट के निदान हेतु समय-समय पर श्रमिष्ठ कार्मिकों द्वारा जनता को अर्जैविक कूड़े की जानकारी नुस्खे नीटियों के माध्यम से दी जाती है तथा होटिंग, पम्पसेट, वालराइडिंग द्वारा भी जनता को जागरूक किया जाता है।</p>
<p>ii- Fast disposal of dead mules and other measures for protection of flora and fauna.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Disposal mechanism of dead mules/equines in order to ensure fast, safe and environment friendly disposal.</p> <p>b. Identification burial site(s) for disposal of dead mules/equines.</p>	<p>श्री गंगोत्री घास यात्रा मार्ग पर घोड़े/खच्चरों संभालित नहीं होते हैं।</p>	<p>जनसंपत्ति के संरक्षण हेतु मृत घोड़े/खच्चरों को दफनाया जाता है इसके अतिरिक्त जनसंपत्ति को नुकसान न हो हेतु, सावधानी पूर्वक कूड़े का निस्तारण किया जाता है।</p> <p>मृत घोड़े खच्चरों को तत्काल दफनाया जाता है इस हेतु गवदे तैयार कर उसमें पिलीचिंग पाउडर एवं नमक की समुचित मात्रा डाल दी जाती है जिससे मृत पशु स्वच्छ एवं सुरक्षित ढंग से दफनाया जा सकें।</p> <p>मृत पशुओं को दफनाने के लिये स्थान का चिह्निकरण किया गया है, जो मिड-भांड वाले स्थानों से दूर होता है।</p>

<p>c. Monitoring mechanism of such disposal of dead mules/equines.</p> <p>d. In case of violation, penalty provisions and responsible authority for the same. In case of penalty imposed details may be given.</p> <p>e. Estimated cost of disposal of dead mules/equines and Budgetary provisions for the same.</p> <p>f. Any other action in this regard.</p>		<p>मृत पशुओं को दफनाने हेतु पशुचलन विभाग व जिला पंचायत की संयुक्त टिम गठित कि जाती है जो शकत पशुओं को ध्यान में रखकर दफनाने का कार्य करती है।</p> <p>यदि किसी पशुपालक द्वारा मृत पशुओं को तत्काल दफनाने में शकत न हो तो जिला पंचायत इस क्यति पर अर्जदण्ड लगाता है। मृत पशुओं को दफनाने में लगभग 5,000.00 रुपये प्रति पशु खय आता है जिसका बहन जिला पंचायत द्वारा किया जाता है।</p> <p>मृत पशुओं को तत्काल दफनाने हेतु क्षेत्रीय जनता को भी समय समय पर अवगत कराया जाता रहा है तथा इससे पर्यावरण/प्रकृति को कोई क्षति न हो तत्काल दफनाने का सजाव दिया जाता रहता है।</p>
<p>iii. Safety precautions and determining CCTV camera locations.</p> <p>Additional information about following points be given:</p>	<p>चारधाम यात्रा सीजन को देखते हुए श्री गंगोत्री धाम में 14 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त श्री गंगोत्री धाम में 12 सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर/स्नान घाट पर स्थापित किये गये है।</p>	<p>चारधाम यात्रा सीजन को देखते हुए जानकीघाटी और श्री यमुनोत्री धाम क्षेत्र में 22 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त श्री यमुनोत्री धाम में 09 सीसीटीवी कैमरे मंदिर परिसर/स्नान घाट/यमुनोत्री पैदल मार्ग पर स्थापित किये गये है।</p>
<p>a. Safety precautions and monitoring mechanism.</p>	<p>यात्रा सीजन तक सभी सीसीटीवी कैमरों की एएमएस के माध्यम से मैनटेन्स की जाती है। जिसकी नियंत्रण पुलिस विभाग के पास रहता है। इन कैमरों की निगरानी निकटतम पुलिस स्टेशन अधिकारीयो द्वारा की जाती है।</p>	
<p>b. Details of CCTV/cameras/ provided and monitoring mechanism of and reporting structure.</p>	<p>जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में बीएसएनएल के अतिरिक्त विभिन्न नेटवर्क के मोबाईल नम्बर निम्न विवरणानुसार सम्पर्क हेतु उपलब्ध है। टोल फ्री नम्बर 1077 का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। यात्रा कंट्रोल रूम में शिकायत निवारण एवं अन्य व्यवस्था हेतु निम्न दूरभाष नम्बर क्रयाशील है- फ़ोन: +91.1374.222722, 222126, 1077 टोल फ्री मोबाइल: +917500337269 आइडिया) +917252887587 (वॉडाफोन) 917310913129 (एयरटेल), 91374.222722 ईमेल-ddmauttarkashi@gmail.com</p>	
<p>c. Control Room and its operation and d. Action taken on CCT footages may be given.</p>		<p>जनपद में चारधाम यात्रा के सफल संचालन हेतु आपातकालीन परिचालन केन्द्र में यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अपर जलाधिकारी, उत्तरकाशी को यात्रा कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निवारण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया। यात्रा कंट्रोल रूम में टोल-फ्री नं० 1077 के साथ-साथ अन्य दूरभाष नं०- 01374222722, 222126 मो०नं०-7500337269 एवं 7310913129 स्थापित किये गये है। यात्रा कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतें / सुझाव के लिये एक रजिस्टर तैयार किया गया। उक्त दूरभाष टोल-फ्री नंबर एवं ई-मेल आइडी से सम्बन्धित पम्पलेट एवं होल्डिंग तैयार किया गया है। उक्त पम्पलेटों को वाहनों, होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त फेसबुक आदि पेज तैयार कर प्रचार-प्रसार किया गया। इसी प्रकार विभिन्न दुर्घटनाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचना पंजीकरण पंजीका में दर्ज कर यात्रा व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार हेतु उक्त सूचनाओं / सुझावों को</p>

	<p>संज्ञान सक्षम स्तर से लिया गया। कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों / सुझावों को विभागीय नोडल अधिकारी / सेक्टरवार नामित अधिकारियों को प्रेषित कर उसकी निस्तारण आख्या प्राप्त की गयी। यमुनोत्री यात्रा के सफल संचालन हेतु उप जिलाधिकारी बड़कोट के अधीन एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया। जिसमें स्थानीय स्तर पर शिकायत / सुझाव को पंजीकरण कर निस्तारण किया जायेगा। चारधाम यात्रा सीजन के दौरान सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष ओपी गंगोत्री और ओपी जानकीचट्टी में स्थित हैं। नियंत्रण कक्ष की निगरानी वाला सीसीटीवी कैमरा। यदि सीसीटीवी कैमरा खराब हो तो तुरंत फोन/व्हाट्सएप ग्रुप और पत्रों के माध्यम से कंपनी को सूचित किया जाता है। अनुलग्नक- 01</p>
e. Uses of Mobile App, if any	
f. Any other action in this regard.	<p>सभी कैमरे चारधाम यात्रा सीजन के दौरान दोनों नियंत्रण कक्ष और जिला नियंत्रण कक्ष जिला अधिकारी कार्यालय में 24x7 घंटे लाइव दृश्य देखते हैं। इसलिए स्थापना/एनसी फर्म को समय-समय पर फोन/व्हाट्सएप ग्रुप और पत्रों के माध्यम से उचित रूप से सूचित किया जाता है।</p>
<p>iv. Preparing SoP and display boards with Dos and Don'ts. Additional information about following points be given:</p> <p>a. Details of Display Boards / Sign boards provided along the Yatra routes. b. Formulation of SOP for information dissemination. c. Any other action in this regard.</p>	<p>चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं मानसूनकाल में सम्भावित आपदा के दृष्टिगत गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एवं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन / पहाड़ी से पत्थर गिरने वाले सम्भावित स्थानों एवं वाहन दुर्घटना हेतु संवेदनशील स्थानों पर सावधानी सम्बन्धित रिट्रो बोर्ड लगाये गये हैं। श्री गंगोत्री धाम, प्रमुख पड़ाव तथा यमुनोत्री धाम सड़क एवं पैदल मार्ग पर यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व एवं यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु एवं यात्रा सम्बन्धी आवश्यक जानकारी/सुविधाओं के दृष्टिगत पाकिंग आदि व्यवस्थाओं तथा जन सुविधाओं एवं यात्रा के दौरान कक्ष करें/क्या न करें प्राथमिक उपचार एवं कूड़ा निस्तारण व स्वच्छता से संबंधित होर्डिंग्स व बोर्ड लगाये गये हैं। अनुलग्नक- 01</p>
<p>iii) Demarcation of areas where activities incompatible with environment are prohibited / regulated. Additional information about following points be given:</p> <p>a. Effective demarcation of restricted area along the Yatra track. b. Monitoring mechanism of any pilgrims /tourist in restricted areas. c. Provisions of penalty against violators. Details of penalty imposed,if any. d. Any other action in this regard.</p>	<p>श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।</p>

iv) Source of funds to sustain regulatory measures, traffic management at suitable locations, compliance of environmental norms including Water Act, Air Act, & E (P)Act.

Additional information about following points be given:

- Status of budgetary provisions for waste management, liquid waste management, traffic management, mules/equines management etc.
- Any other action in this regard.

चारधाम यात्रा की 529 हेतु संबंधित विभाग अपने विभागीय मर्मों के अंतर्गत ध्यय करते हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)के द्वारा भी धनराशि की उपलब्ध करायी जाती है। इस वर्ष श्री यमुनोत्री धाम में सफाई व्यवस्था हेतु शुल्म इंटरनेशनल को क्यनित किया गया है तथा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)के द्वारा शुल्म इंटरनेशनल को धनराशि आवंटित की गयी।

कन्ट्रोल रूम द्वारा धामों एवं यात्रा के प्रमुख पड़ावों पर स्थापित सी०सी०टी०वी० से नियमित से साफ-सफाई, पेयजल/विद्युत आदि आवश्यक व्यवस्थाओं/भीड-भाव वाले स्थानों / संवेदनशील स्थानों की निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त शौचालयों आदि की नियमित साफ-सफाई आदि समस्त व्यवस्थाओं हेतु सम्बन्धित नोडल /विभागीय अधिकारी से समन्वय किया जाता है।

v) Imparting awareness and education to tourists, inhabitants and operators.

Additional information about following points be given:

- Details of awareness program /activities undertaken. Photographs and details of people benefitted may be provided.
- Use of loudspeakers for Do's & Don'ts.
- Any other action in this regard.

वन प्रभाग उत्तरकाशी के अन्तर्गत विगत माह में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय नोडल अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में भूमि संरक्षण वन प्रभाग टिहरी डैम वन प्रभाग उत्तरकाशी वन प्रभाग गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी वी०आर०ओ०ए आई०टी०बी०पी० महिडाण्डा एस०डी०आर०एफ० नगर पालिका परिषद बाइहाट एवं जास-पास के क्षेत्रीय निवासीयों की जन-सहभागिता से अस्सी गंगा पुल से तेखला पुल एवं कोटबंगला वन परिसर में वृहद सफाई अभियान चलाया गया। जिसकी फोटोग्राफ्स संलग्न कर प्रेषित है। चारधाम यात्रा-2023 के दृष्टिगत श्री गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन हेतु बायोमेट्रिक केन्द्रों पर मंदिर परिसरों एवं पर्यटन चौकियों में पर्यटन पुलिस कर्मी नियुक्त किये जाते हैं। जिनके द्वारा यात्रियों का मार्गदर्शन एवं यात्रा मार्ग की जानकारी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है।

चारधाम यात्रा के दृष्टिगत श्री यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन हेतु बायोमेट्रिक केन्द्रों पर मंदिर परिसरों एवं पर्यटन चौकियों में पर्यटन पुलिस कर्मी नियुक्त किये जाते हैं। जिनके द्वारा यात्रियों का मार्गदर्शन एवं यात्रा मार्ग की जानकारी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। यात्रा मार्ग पर यात्रियों के सुविधा हेतु फैंल्कसी, होडिग्स, पौस्टर लगाये गये हैं, सॉउड सिस्टम स्थापित किये गये है जिनके माध्यम से क्या करें/क्या न करे के संबंध में जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के तैनात कर्मीयों द्वारा भी उक्त अनुसार जारी प्रदान की जाती है।

<p>3. Discouraging use of food and product packaged in non-biodegradable packaging material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Penalty imposed against uses of Single Use of Plastic Items. Details of challan and fine collected may also be given.</p> <p>b. Drive for banned plastic items undertaken.</p> <p>c. Details of QR code based DORS implemented and total plastic waste collected and routed for recycling in Yatra season.</p> <p>d. Any other action in this regard.</p>	<p>नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट एवं गंगोत्री, उत्तरकाशी में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित हैं। उक्त के सम्बन्ध में निकाय द्वारा समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं।</p> <p>नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट एवं गंगोत्री क्षेत्रान्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में समय-समय पर पोस्टर/बैनर/होर्डिंग्स आदि के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।</p> <p>चारधाम यात्रा मार्ग के दौरान श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में 2,23,900 QR कोड जारी किये गये हैं जिसमें से थोक विक्रेता को 1,18,900 का कॅशबैक प्राप्त हुआ है। 13,96,490 की धनराशि ग्राहकों को लौटायी गयी है।</p> <p>चारधाम यात्रा से पूर्व बैठके की गयी जिसमें संबंधित विभागों को चारधाम यात्रा को सुचारु एवं सुगम बनाये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये, तथा विभाग कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करता है। जिसका अनुम्रवण उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है।</p>	<p>नगर पालिका परिषद बड़कोट, उत्तरकाशी में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित हैं। उक्त के सम्बन्ध में निकाय द्वारा समय-समय पर छापामारी अभियान चलाये जाते हैं। वर्ष 2023-24 में दिसम्बर माह तक 23 चालानों के साथ 15300 कि धनराशि वसूल की गयी है।</p> <p>सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में समय-समय पर पोस्टर/बैनर/होर्डिंग्स आदि के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।</p>
<p>4. Execute and duly monitor the Action Plan, which may be revised periodically.</p>		<p>आगामी चारधाम यात्रा हेतु यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व यात्रामार्ग पर जैविक/अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतु अधिक से अधिक कूड़ेदान स्थापित किये जायेंगे, आगामी वर्ष में ठोस प्लास्टिक कचरे के साथ साथ घोड़े/सूअरों की लीद के निस्तारण की व्यवस्था हेतु अधिक से अधिक कम्पोस्ट पिट अस्थापित किये जायेंगे साथ ही आगामी वर्ष में यात्रा मार्ग पर पूर्व इंगित विसमताओं को ठीक करने का प्रयास किया जायेगा।</p>

<p>5. Set up Waste Processing /Management facilities for biodegradable and non-biodegradable waste at appropriate locations, using best practices on the subject. Already covered in Sr. No. 2(i).</p>	<p>नगर पालिका परिषद गढ़ाहाट के सभी 11 वार्डों एवं नगर पंचायत गंगोत्री के सभी 04 वार्डों में 100 प्रतिशत घर-घर से कूड़ा पृथक-पृथक (जैविक व अजैविक) प्राप्त कर, एकत्रित किया जाता है। नगर क्षेत्र में अजैविक कूड़े को काम्पोस्ट किये जाने हेतु काम्पोस्टर मशीन स्थापित की गयी है। जिनमें अजैविक कूड़े को आईटमवाइज अलग-अलग करने के साथ काम्पोस्ट कर रिसाईकिलिंग कर विकस्य कर दिया जाता है। एवं जैविक कूड़े का निस्तारण कम्पोस्ट मिट्टस के माध्यम से किया जाता है।</p>	<p>नगर पालिका परिषद बड़कोट के सभी 7 वार्डों में 100 प्रतिशत घर-घर से कूड़ा पृथक-पृथक (जैविक व अजैविक) प्राप्त कर, एकत्रित किया जाता है। नगर क्षेत्र बड़कोट में अजैविक कूड़े को काम्पोस्ट किये जाने हेतु काम्पोस्टर मशीन एवं मैटेरियल सिक्वरी फॅसीलीटी (MRF) स्थापित की गयी है। जिनमें अजैविक कूड़े को आईटमवाइज अलग-अलग करने के साथ काम्पोस्ट कर रिसाईकिलिंग कर विकस्य कर दिया जाता है। एवं जैविक कूड़े का निस्तारण कम्पोस्ट मिट्टस के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत द्वारा जानकी स्टडी में काम्पोस्टर मशीन स्थापित कि गयी है जिसमें जैविक /अजैविक कूड़े का समय से निस्तारण किया जाता है, इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर समुचित कूड़ेदानों की स्थापना तथा कूड़ेदानों का कूड़ा कलेक्शन सेंटर तक ले जाने व प्लास्टिक के कूड़े से बेल तैयार करने का कार्य नियत स्थान व निश्चित समय पर ही किया जाता है।</p>
<p>6. Allocate requisite funds at District and Gram Panchayat level for execution of action plan under the final; supervisions of Chief Secretary.</p>	<p>जिला स्तर पर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों की निर्धारित निधि उपलब्ध होती है, जो विभागीय बजट कार्य के साथ साथ यात्रा व्यवस्थाओं में भी उपयुक्त होती है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद) के द्वारा चारघाम व्यवस्थाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि जिला स्तर पर प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायतों को वित्त की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है जिसमें स्वच्छता एवं जल संयोजन संबंधित कार्य होते हैं।</p>	
<p>7. Any Other information:</p>	<p></p>	


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

532

कार्यालय— जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी—249193 (उत्तराखण्ड)
ई-मेल आई.डी.—dtdouki5@gmail.com

संख्या 1385 / 1-2-(68) / 2023-24,

दिनांक: 30 / दिसम्बर / 2023

सेवामें,

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

विषय— मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 561/2022
उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक
2221/21-एम.बी. (2021-22), दिनांक 29/दिसम्बर/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का
कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या
561/2022 उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के सम्बन्ध में
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित
किया गया है।

अतः महोदय, पर्यटन विभाग उत्तरकाशी से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप
पर संलग्न कर आपके अवलोकनाथर्स सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक—उक्तायत्।

भवदीय

(जसपाल चौहान)

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी।

ALC

ADM
30/12/2023

In the matter of
Execution Application No. 27 of 2023
Shishikant Purohit versus State of Uttarakhand & Ors.
In

O.A. 561 of 2022 Urvashi Sobhana Kachari versus Union of India & Ors.

In Compliance of order dated 12.10.2023 passed by the Hon'ble NGT.

Action Points	Action Takes	
	Shri Yamunotri Yatra Route	Shri Gangotri Yatra Route
1. Status of Action Plan.		
i) Limiting Number of Vehicles and type of vehicles, number of tourists consistent with the carrying capacity of eco-sensitive areas.	-NA-	-NA-
Additional information about following points be given: a. Available parking area for vehicles.	Approximately 200-250 Vehicles at Jankichatti.	Approximately 250-300 Vehicles at Gangotri.
b. Process of registration of pilgrims/tourists.	Uttarakhand tourism department developed a online tourist safety management system (TSMS) to registration/verification of tourist/pilgrims. In which a single/family/tour operator can register themselves or fellow passenger before yatra. In process of registration every tourist/pilgrim have to provide basic information such as name, age, address, dates of travel and mode of transportation along with vehicle number if available also aadhar card of every traveller. To verify the yatri tourism department setup 04 registration/verification counter at Barkot and Jankichatti for Yamnotri Dham and at Hina and Gangotri for Gangotri Dham. In these verification counter every yatri have to show the registration done for the yatra. By this method administration get updated record of everyday moment of yatri as well as vehicles.	
c. Any other action in this regard.	Tourism department deputed 38 yatri mitra in both dham to provide help and basic assistance to yatries.	

(Jaspal Chauhan)
District Tourism Development Officer,
Uttarkashi.

सेवार्थ,

जिलाधिकारी,
 उत्तरकाशी।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution Application No. 27/ 2023 in O.A. आवेदन संख्या: 561/2022(M.A. No. 54/2023), उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनिजन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने पत्र संख्या: 1583 / 21-एम0बी0-2021-22 दिनांक 07.12.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक माननीय हरित प्राधिकरण में योजित Execution Application No. 27/ 2023 in O.A. आवेदन संख्या: 561/2022(M.A. No. 54/2023), उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनिजन ऑफ इण्डिया व अन्य में उल्लिखित बिन्दुओं पर उपलब्ध/ स्थापित व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त विषयक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी चारधाम सैल एवं प्रतिसार निरीक्षक पुलिस संचार को माननीय हरित प्राधिकरण में योजित Execution Application No. 27/ 2023 in O.A. आवेदन संख्या: 561/2022(M.A. No. 54/2023), उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनिजन ऑफ इण्डिया व अन्य में पुलिस विभाग से सम्बन्धित उल्लिखित बिन्दुओं पर उपलब्ध/ स्थापित व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन में प्रभारी चारधाम सैल एवं प्रतिसार निरीक्षक पुलिस दूरसंचार द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार अवगत कराया गया है कि उपरोक्त विषयक में पुलिस विभाग से सम्बन्धित उल्लिखित बिन्दुओं पर उपलब्ध/ स्थापित व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सूचना में चारधाम यात्रा 2023 के दौरान पर्यावरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम में आने वाले वाहनों हेतु पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गयी, धामों में आने वाले वाहनों के पंजीकरण हेतु बायोमेट्रिक केन्द्र श्री यमुनोत्री धाम हेतु दोबाटा में व श्री गंगोत्री धाम हेतु हीना में व्यवस्था की गयी है साथ ही यात्रा मार्ग की सुगमता हेतु जगह जगह साईन बोर्ड लगाये गये है तथा श्रदालुओं के मार्गदर्शन हेतु बायोमेट्रिक केन्द्रों पर मंदिर परिसरों एवं पर्यटन चौकियों में पर्यटन पुलिस कर्मी नियुक्त किये जाते है। निम्नके द्वारा यात्रियों का मार्गदर्शन एवं यात्रा मार्ग की जानकारी के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है एवं प्रतिसार निरीक्षक पुलिस दूरसंचार जनपद उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि चारधाम यात्रा-2023 के दौरान सुरक्षा/ सतर्कता के दृष्टिगत विला प्रशासन के माध्यम से श्री गंगोत्री धाम तथा श्री यमुनोत्री धाम में सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापित किये गये है। जिसका विवरण संलग्न कर सादर प्रेषित है।

अतः वांछित सूचना सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।


 पुलिस अधीक्षक,
 उत्तरकाशी।

सेवा में,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
उत्तरकाशी।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या -या0-02/2023/201(मा0 उच्च न्यायालय) दिनांक 15.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्र संख्या- 1583/21-एम0बी0 (2021-22) दिनांक 07.12.2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution Application No.27/2023 in O.A आवेदन संख्या561/2022(M.A .54/2023) उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में उल्लिखित बिन्दुओं पर उपलब्ध/स्थापित व्यवस्थाओं से सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचना बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित है।


बिन्दु संख्या:-01(A) चारधाम यात्रा-2023 के दृष्टिगत श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम में वाहनों के पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गयी है। जिनका विवरण संलग्न है।

बिन्दु संख्या:-01(B) चारधाम यात्रा-2023 के दृष्टिगत अन्दर जनपद श्री गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग पर वाहनों के पंजीकरण हेतु बायोमेट्रिक केन्द्र हीना एवं श्री यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर बायोमेट्रिक केन्द्र दोबाटा में व्यवस्था की गयी थी।

बिन्दु संख्या:-02(iv) चारधाम यात्रा-2023 के दृष्टिगत अन्दर जनपद श्री गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग एवं श्री यमुनोत्री धाम यात्रा मार्गों पर यात्रा की सुगमता हेतु साईन बोर्ड लगाये गये।

बिन्दु संख्या:-02(v) चारधाम यात्रा-2023 के दृष्टिगत श्री गंगोत्री धाम एवं श्री यमुनोत्री धाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन हेतु बायोमेट्रिक केन्द्रों पर मंदिर परिसरों एवं पर्यटन चौकियों में पर्यटन पुलिस कर्मी नियुक्त किये जाते हैं। जिनके द्वारा यात्रियों का मार्गदर्शन एवं यात्रा मार्ग की जानकारी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारिया दी जाती है।

दिनांक:- 20.12.2023


प्रभारी चारधाम सैल,
पुलिस कार्यालय
उत्तरकाशी।

यमुनोत्री ग्राम पार्किंग व्यवस्था

क्र०सं०	पार्किंग स्थल	क्षमता (छोटे, बड़े, मध्यम वाहन)
1	जिला पंचायत पार्किंग, जानकीचट्टी	200-250
2	खरसाली ग्राम पंचायत पार्किंग	करीब 100

यमुनोत्री शहर पार्किंग व्यवस्था

क्र०सं०	पार्किंग स्थल	क्षमता (छोटे, बड़े, मध्यम वाहन)
1	बडकोट ग्राम पंचायत ग्राउंड	100-120
2	बडकोट नगर पालिका पार्किंग	50-60
3	दोबाटा से आगे सड़क किनारे	400-450
4	स्थानाचट्टी	50-60

गंगोत्री शम पार्किंग व्यवस्था

क्र०सं०	पार्किंग स्थल	क्षमता (छोटे, बड़े, मध्यम वाहन)
1	जिला पंचायत पार्किंग गंगोत्री	50-60
2	VIP पार्किंग गंगोत्री	25-30
3	गंगोत्री मन्दिर प्रवेश द्वार से पहले सड़क के दोनों ओर	250-300

गंगोत्री रुट पार्किंग व्यवस्था

क्र०सं०	पार्किंग स्थल	क्षमता (छोटे, बड़े, मध्यम वाहन)
1	हीना, उत्तरकाशी	50-60
2	रामलीला मैदान उत्तरकाशी	करीब 150
3	इन्द्रावती पार्किंग उत्तरकाशी	करीब 600
4	जोशिराडा पार्किंग उत्तरकाशी	300-350
5	भटवाडी स्टैण्ड तिराहा (मोटर साईकिल पार्किंग)	करीब 40 मोटरसाईकिल
6	भटवाडी स्टैण्ड तिराहा से संस्कृत महाविद्यालय तक (रोड के एक साईड)	40-45

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक
उत्तरकाशी।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक: या0-02/2023/201 (मा0 उच्च न्यायालय) दिनांक: दिसम्बर 15, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जो कि, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution Application No. 27/2023 in O/A. आवेदन संख्या: 561/2022 (M.A. 54/2023), उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनिवर्स ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बंध में उल्लिखित पुलिस विभाग से सम्बंधित बिन्दुओं पर उपलब्ध/स्थापित व्यवस्थाओं से सम्बंधित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त सन्दर्भित वांछित सूचना पुलिस संचार शाखा उत्तरकाशी से निम्नवत् सादर सेवा में प्रेषित है-

Safety Precautions And Determining CCTV Camera Location.	THERE ARE 14 NO'S CCTV CAMERA INSTALLED IN SHRI GANGOTRI DHAM AND 22 NO'S CCTV CAMERA INSTALLED IN OP JANKICHATTI & SHRI YAMUNOTRI DHAM AREA'S IN VIEW CHARDHAM YATRA SEASON THROUGH DISTRICT ADMIN. UTTARKASHI.
Safety Precautions And monitoring mechanism-	ALL CAMERAS ARE HANGING AT A SAFE HEIGHT. ALL CCTV CAMERA ARE COVERD UNDER AMC TILL YATRA SEASON. THESE CAMERA'S ARE BEING MONITORED IN THEIR RESPECTIVE NEAREST POLICE STATION'S/ OFFICERS.
Details Of Ectv Cameras Provided And Monitoring Mechanism Of And Reporting Structure	Attached
Control Room and its operation	DURING CHARDHAM YATRA SEASON CCTV CONTROL ROOM IS LOCATED OP GANGOTRI AND OP JANKICHATTI. CONTROL ROOM MONITORED CCTV CAMERA. IF ANY BREAKDOWN IN CCTV CAMERA INFORMED CONCERNING FIRM IMMEDIATELY THROUGH PHONE/WHATSAPP GROUP AND LETTERS.
ACTION TAKEN ON CCTV FOOTAGES MAY BE GIVEN.	YES
USES OF MOBILE APP, IF ANY	No
ANY OTHER ACTION IN THIS REGARD	ALL THESE CAMERA'S LIVE VIEW 24X7 HOURS IN BOTH CONTROL ROOM DURING CHARDHAM YATRA SEASON AND ALSO DISTRICT CONTROL ROOM, DISTRICT OFFICER OFFICE. SO INFORMED TO CONCERNING INSTALLATION/AMC FIRM TIME TO TIME PROPERLY AS THROUGH PHONE/WHATSAPP GROUP AND LETTERS.

संलग्न- यथोपरि।

21/12/2023
निरीक्षक पुलिस दूरसंचार
जनपद उत्तरकाशी।

SHRI GANGOTRI DHAM CAMERA

539

S.NO.	NUMBER OF CAMERA	LATITUDE	LONGITUDE	LOCATION	Control Room
1	1	30.994683	78.940325	V.I.P PARKING	Police Station G.T.B.
2	1	30.994565	78.940087	MANDIR GALI BADA PATHAR	
3	1	30.994462	78.9409213	MAIN GATE-1	
4	1	30.994453	78.940938	MAIN GATE-2	
5	2	30.99452	78.941285	MANDIR PARISAR	
6	1	30.994655	78.94189	HELIPAD	
7	1	30.994394	78.941075	SNAN GHAT-1	
8	1	30.994394	78.941075	SNAN GHAT-2	
9	1	30.994336	78.940864	SNAN GHAT-3	
10	1	30.994336	78.940864	SNAN GHAT-4	
11	1	30.993783	78.940496	RIVER BRIDGE	
12	1	30.993762	78.940832	RIVER FRONT VIEW	
13	1	30.994683	78.940325	MANDIR MAIN GALI	
TOTAL			14		

SHRI YAMUNOTRI DHAM CAMERA

S.NO.	NUMBER OF CAMERA	LATITUDE	LONGITUDE	LOCATION	Control Room
1	1	30.99965	78.46281	HANUMAN MANDIR YAMNOTRI	OP Janki Chatti
2	1	30.9998	78.46271	YAMNOTRI MANDIR PARISAR	
3	1	30.9995	78.4627	YMANOTRI RIVER BRDIGE	
4	1	30.99966	78.46277	SNAN GHAT	
5	2	30.99524	78.46053	BHAIRAV TEMPLE	
6	1	30.984534	78.448201	RAM TEMPLE	
7	1	30.988795	78.453458	BHANELI GAAD	
8	3	30.98011	78.44165	JANKICHATTI	
9	1	30.98045	78.44233	DANDI KANDI ,MARG	
10	1	30.98077	78.44261	PREPAID COUNTER	
11	2	30.97534	78.43807	MAIN PARKING JANKI CHATTI	
12	2	30.9103	78.3309	PALIGAAD	
13	2	30.807681	78.21939	DOBATA	
14	1	30.993783	78.940496	SYANCHATTI	
15	2	30.62982	78.33032	DHARSHU BAND	
TOTAL			22		

540

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
पत्रांक- 2437/27-1 कोटबगला, दिनांक 30/12/2023

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद उत्तरकाशी।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 581/2022 उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- महोदय, आपका पत्रांक संख्या-1583/21-एम.बी./2021-22 दिनांक 07 दिसम्बर 2023।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में संलग्न प्रारूप के आधार पर बिन्दु सं0-2 (v) की सूचना इस वन प्रभाग से सम्बन्धित होने के फलस्वरूप दिये गये निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार प्रेषित है।

Action points.	Action Taken
2. Review and plan infrastructure for (v) Imparting awareness and education to tourists, inhabitants and operators. Additional information about following points be given: a. Details of awareness program/activities undertaken. Photographs and details of people benefitted may be provided. b. Use of loudspeakers for Do's & Don'ts. c. Any other action in this regard.	इस वन प्रभाग के अन्तर्गत विगत माह में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय नोडल अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में भूमि संरक्षण वन प्रभाग, टिहरी डैम वन प्रभाग, उत्तरकाशी वन प्रभाग, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी बी0आर0ओ0. आई0टी0बी0पी0 महिडाण्डा एस0बी0आर0एफ0 नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट एवं आस-पास के क्षेत्रीय निवासीयों की जन-सहभागिता से अत्ली गंगा पुल से तेखला पुल एवं कोटबगला वन परिसर में वृहद सफाई अभियान चलाया गया। जिसकी फोटोग्राफ्स संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

प्रेषक-

तहसीलदार,
बड़कोट।

सेवा में-

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

द्वारा-

उप जिलाधिकारी, बड़कोट।

संख्या- 121)

/ना0ना0-विधि जांच पत्रा0/2023

दिनांक-30 दिसम्बर, 2023

विषय-

ना0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution Application No. 27/2023 in O.A. आवेदन संख्या- 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोमना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के कार्यालय पत्र संख्या 1583/21-एम.बी./2021-22 दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या- यूकेपीसीबी/ए0ओ0/सा0-183-800/2023/1055 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा ना0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution Application No. 27/2023 in O.A. आवेदन संख्या- 561/2022 (M.A. No. 54/2023) उर्वशी शोमना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दुओं पर उपलब्ध/स्थापित व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सम्बन्धित सूचना जिता पंचायत उत्तरकाशी, नगर पालिका परिषद बड़कोट, नगर पंचायत नौगांव से पाठित सूचना प्राप्त की गई है। प्राप्त आख्यानुसार पाठित सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार से है:-

Actions points	Action Taken
<p>1. Status of action Plan.</p> <p>I. Limiting Number of vehicles and type of vehicles, numbers of tourists consistent with the carrying capacity of eco-sensitive areas.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Available parking area for vehicles.</p> <p>b. Process of registration of pilgrims/tourists.</p> <p>c. Any other action in this regard.</p>	

Restricting number of equine/mules consistent with the carrying capacity of eco-sensitive area:
Additional information about following points be given:

- Nos. of Mules/Equines registered and process of registration.
- Provisions for ear tagging and veterinary checkup.
- Mechanism for limiting the number of mules/equines in Yatra routes.
- Compliance status of SOP issued by Animal Husbandry Section, Government of Uttarakhand vide ref. No. 775/Xv-1/23/4(12) dated 01.05.2023.
- Disposal mechanism of carcass of dead mule/equines and its monitoring mechanism.
- Any other action in this regard.

ii) यूको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत प्रत्येक घोड़ा, खच्चर हेतु 80 किलोग्राम से अधिक सामान लादने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि कोई घोड़ा, खच्चर चालक इससे अधिक सामान घोड़े, खच्चर के ऊपर लादा गया तो उसे चालान करने की प्रक्रिया जिला पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत है अर्थात् उससे अर्ध दण्ड लेकर भविष्य में संचालन पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

a. जिला पंचायत द्वारा 3909 घोड़ा/खच्चर का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

b. यात्रा मार्ग में चलने वाले प्रत्येक घोड़ा/खच्चर की टैगिंग की जाती है तथा प्रतिदिन पशु चिकित्सक द्वारा घोड़ा/खच्चर का परीक्षण किया जाता है।

c. यात्रा मार्गों पर उन्हीं घोड़ा/खच्चरों को चलाने की अनुमति प्रदान की जाती है जो स्वास्थ्य हो तथा जिनका पंजीकरण किया गया हो, अपंजीकृत घोड़ा/खच्चर की किसी भी स्थिति में यात्रा मार्ग पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त वैरियर पर जिला पंचायत, पशुपालन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मियों की टीम तैनात रहती है, जो घोड़ा/खच्चर की अनुमानित संख्या को यात्रियों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित करते हैं।

e. मृत हुए पशुओं को दफनाने हेतु जिला पंचायत एवं पशुपालन विभाग दोनों की देखरेख में मृत पशुओं हेतु गड़ड़े तैयार किये जाते हैं, तात्परचात उसमें ब्लीचिंग पाउडर एवं नमक को निर्धारित मात्रा में डालकर मृत घोड़े को दफनाया जाता है।

f. यात्रा मार्गों पर यात्राकाल के दौरान जिला पंचायत के कार्मिक पूर्णकालिक तैनात रहते हैं, तथा यात्रा सम्बन्धित गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं, इसके अतिरिक्त समय-समय पर उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा यात्रा सम्बन्धित कार्यों का निरीक्षण किया जाता है।

2. Review and plan infrastructure for:

i) Waste management.
Additional information about following points be given:

- Nos. of toilets provided along the Yatra routes (temporary or

1. जिला पंचायत के द्वारा यात्रा मार्गों पर कूड़ेदान स्थापित किये जाते हैं, जिसमें जैविक अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतु अलग से व्यवस्था की जाती है, घोड़ा/खच्चरों की लीद हेतु लीद कैंच पिट तैयार किये गये हैं, यात्रा मार्गों पर 15 से अधिक ठोस अवशिष्ट कलेक्शन सेंटर तैयार किये गये हैं, कलेक्शन सेंटर से ठोस अवशिष्ट को ढेरियों में भरकर काम्पवटर मशीन में लाया जाता है। जहां उसके कम्पोस्ट बेल बनाकर रिसाइक्लिंग प्लांट में लाया जाता है।

a. यमुनोत्री मार्ग पर परमानेंट 85 शौचालय तैयार किये गये हैं, इन शौचालयों में सफाई हेतु सफाईकर्मी तैनात किये गये हैं, यात्रा

permanent) and their cleaning and waste disposal mechanism.

- b. Nos. of sewage treatment plants along the Yatra routes.
 - c. Collection and disposal mechanism of dung generated by mules/equines.
 - d. Solid Waste management along the Yatra routes and tracks.
 - e. Segregation fo plastic and other recyclable waste.
 - f. Status of use of banned Single Use Plastic items.
- Monitoring mechanism of Solid Waste Management.**
- g. Any other action in this regard.

मार्ग पर किसी भी स्थिति में नाओ हरित प्रतिक्रिया द्वारा सुझाए गये पर्यावरण संरक्षण नियमों का हनन न होने पाये। तथा नगर पालिका परिषद बड़कोट में 26 शौचालय (शुल्क/नगर पालिका /धर्मदाय) निर्मित है, सभी शौचालयों के बाहर कंयर देकर तैनात रहते है, जो नियमित रूप से शौचालयों की सफाई करते है।

b. यात्रा मार्गों पर जिला पंचायत के द्वारा कोई सीवेज प्लान्ट नहीं बनाया गया है।

c. घोड़े/खच्चरों से प्राप्त लीद को तत्काल मार्ग से हटाने हेतु पर्याप्त मात्रा में स्वच्छकों की तैनाती की जाती है, जैसे ही घोड़े/खच्चर लीद डालता है वैसी ही स्वच्छक द्वारा उस लीद पिट में डाला जाता है क्योंकि प्रत्येक 100 मी० की दूरी पर एक स्वच्छक तैनात किया जाता है।

d. Solid Waste management हेतु जिला पंचायत द्वारा जगह-जगह कूड़ेदान लगाये गये है, इस कूड़ेदानों का कूड़ा इकट्ठा कर संग्रहण केन्द्रों तक पहुंचाया जाता है जहां कूड़ों को काम्पेक्टर नशीन में रिसाईफिल किया जाता है।

e. प्लास्टिक को अलग करने हेतु अन्य कूड़े से अलग किया जाता है तथा अलग कर प्लास्टिक की बैल तैयार की जाती है।

f. सिंगल यूज प्लास्टिक पर एकदम बंद लगाया है यदि किसी को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुये पाया गया तो उससे अर्थात्कण्ड बन्सुल किया जाता है इस प्रकार प्रायः सिंगल यूज प्लास्टिक का यात्रा मार्गों पर प्रयोग नहीं होता है, यात्रा मार्गों पर प्लास्टिक का प्रयोग ना किये जाने हेतु पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, जिला पंचायत तथा अन्य कार्मिकों की तैनाती की जाती है, तथा समय समय पर इसकी मानिट्रिंग भी की जाती है।

g. इस संबंध में सॉलिंग वेस्ट के निदान हेतु समय समय पर प्राशिक्षित कार्मिकों द्वारा जनता को जैविक अजैविक कूड़े की जानकारी नुक्कड़ मीटिंगों के माध्यम से दी जाती है तथा हॉर्डिंग, पम्पलेट, बाल राईटिंग द्वारा भी जनता को जागरूक किया जाता है।

सॉलिंग वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत नगर पालिका के सफाई कर्मचारी तैनात किये जाते है जो समय समय पर सफाई का विशेष ध्यान रखते है, बड़कोट नगर क्षेत्र में अजैविक कूड़ को काम्पेक्टर स्थापित किया गया है, जिसमें कूड़ा को अलग अलग करने के बाद काम्पेक्टर कर रिसाईफिल कर विक्रय कर दिया जाता है, नगर पालिका बड़कोट में सॉलिंग वेस्ट मैनेजमेंट पृथक-पृथक (जैविक व अजैविक) प्राप्त कर रहे है।

<p>ii) Fast disposal of head mules and other measures for protection of flora and fauna.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <ol style="list-style-type: none"> Disposal mechanism of dead mules/equines in order to ensure fast, safe and environment friendly disposal. Identification burial site(s) for disposal of dead mules/equines. Monitoring mechanism of such disposal of dead mules/equines. In case of violation, penalty provisions and responsible authority for the same. In case of penalty imposed, details may be given. Estimated cost of disposal of dead mules/equines and Budgetary provisions for the same. Any other action in this regard. 	<p>ii. वनस्पति के संरक्षण हेतु मृत घोड़े/खच्चरों को दफनाया जाता है इसके अतिरिक्त वनस्पति को नुकसान न हो इस हेतु सावधानी पूर्वक खूड़े का निस्तारण किया जाता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> मृत घोड़े खच्चरों को तत्काल दफनाया जाता है, इस हेतु गड्डे तैयार कर उसमें प्लीथिंग पाउडर एवं नमक की समुचित मात्रा डाल दी जाती है, ताकि मृत पशु त्वारित एवं सुरक्षित ढंग से दफनाया जा सके। मृत पशुओं को दफनाने के लिए स्थान का चिह्निकरण किया जाता है, दफनाये जाने वाला स्थान भीड़भाड़ वाले स्थान से दूर बनाया जाता है तथा यहां पर वनस्पति को भी संरक्षित करने का ध्यान रखा जाता है। मृत पशुओं को दफनाने हेतु पशुपालन विभाग व जिला पंचायत की संयुक्त टीम गठित की जाती है, यह टीम समस्त पशुओं को ध्यान में रखकर दफनानेका कार्य करती है। यदि किसी पशुपालक द्वारा मृत पशुओं का ससमय दफनाना न पाया गया तो जिला पंचायत उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगा सकता है/लगाता है। मृत पशुओं को दफनाने में लगभग 5000/-रु० प्रति पशु व्यय आता है इस पर होने वाला व्यय जिला पंचायत वहन करती है। मृत पशुओं का तत्काल दफनाने हेतु क्षेत्रीय जनता को भी समय समय पर अवगत कराया जाता है, फलस्वरूप तत्काल दफनाने का सुझाव दिया जाता है।
<p>iii) Safety precautions and determining CCTV camera locations.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <ol style="list-style-type: none"> Safety precautions and monitoring mechanism. Details of CCTV/cameras/ provided and monitoring 	

<p>mechanism of and reporting structure.</p> <p>c. Control room and its operation.</p> <p>d. Action taken on CCTV footages may be given.</p> <p>e. Uses of mobile App, fo any.</p> <p>f. Any other action in this regard.</p>	
<p>iv) Preparing Sop and display boards with Dos and Don'ts.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Details of Display Boards/sign boards provided along the Yatra routes.</p> <p>b. Formulation of SOP for information dissemination.</p> <p>c. Any other action in this regard.</p>	
<p>iii) Demarcation of areas where activities incompatible with environment are progibited/regulated.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Effective demarcation of restricted area along the Yatra track.</p> <p>b. Monitoring mechanism of any pilgrmas/tourist in restricted areas.</p> <p>c. Provisions of penalty against violators. Details of penalty imposed, If any.</p> <p>d. Any other action in this regard.</p>	

- v) Source of funds to sustain regulatory measures, traffic management at suitable locations, compliance of environmental norms including Water Act, Air Act, & E (P) A

Additional information about following points be given:

- a. Status of budgetary provisions for waste management liquid management, traffic management, mules/equines management etc.
- b. Any other action in this regard.

- vi) Imparting awareness and education to tourists, inhabitants and operators.

Additional information about following points be given:

- a. Details of awareness program/activities undertaken. Photographs and details of people benefitted may be provided.
- b. Use of loudspeakers for Do's & Don'ts.

3. Discouraging use of food and products packaged in non-biodegradable packaging material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.

Additional information about following points be given:

<p>a. Penalty imposed against uses of Single Use of Plastic Items. Details of challan and fine collected may also be given.</p> <p>b. Drive for banned plastic items undertaken.</p> <p>c. Details of QR code based DDRS implemented and total plastic waste collected and routed for recycling in Yatra season.</p> <p>d. Any other action in this regard.</p>	<p>a. नगर पालिका परिषद बड़कोट न सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है, उक्त के संबंध में निकाय द्वारा समय-समय पर छापाकारी अभियान चलाये जाते हैं, वर्ष 2023-24 में दिसम्बर माह तक 23 चालानों के साथ 15300/-रु0 की धनराशि परपूली गयी है. सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में समय समय पर पोस्टर/बैनर/हार्डिंग्स आदि के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।</p>
<p>4. Execute and duly monitor the Action Plan, which may be revised periodically.</p>	<p>आगामी धारधाम यात्रा हेतु यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व यात्रा मार्ग पर जिला पंचायत द्वारा जैविक/अजैविक कूड़े निस्तारण हेतु अधिक से अधिक कूड़ादान स्थापित किये जायेंगे। विगत वर्षों की तुलना में आगामी वर्ष ठोस प्लास्टिक कचरे के साथ साथ घोड़े/खच्चरों की लीद के निस्तारण की व्यवस्था हेतु अधिका से अधिक कम्पोस्ट पिट स्थापित किये जायेंगे। साथ ही आगामी वर्ष में यात्रा मार्ग पर पृथक से इंगित विषयताओं को ठीक करने का प्रयास किया जायेगा।</p>
<p>5. Set up Waste Processing/Management facilities for biodegradable and non-biodegradable waste at appropriate locations, using best practices on the subject. Already covered in Sr. No. 2(i).</p>	<p>जैविक/अजैविक कूड़े का समय से निस्तारण हेतु समुचित कूड़ादानों की स्थापना तथा कूड़े दानों का कूड़ा कलेक्शन सेक्टर तक ले जाना व प्लास्टिक के कूड़े से बेल तैयार करने का कार्य नियत स्थान व नियत समय पर ही किया जाता है। नगर पालिका परिषद बड़कोट एवं नगर पंचायत नौगांव के सभी वार्डों में शत प्रतिशत घर-घर से कूड़ा पृथक-पृथक (जैविक/अजैविक) प्राप्त कर एकत्रित किया जाता है। नगर क्षेत्र में अजैविक कूड़ों को कम्पोस्ट किये जाने हेतु कम्पोस्टर नशीन स्थापित की गई हैं। जिसे अजैविक कूड़े को अलग-अलग करने के बाद कम्पोस्टर कर रिसाईकलिंग के लिए विक्रय कर दिया जाता है। एवं जैविक कूड़े का निस्तारण कम्पोस्ट पिट के माध्यम से किया जाता है।</p>
<p>6. Allocate requisite funds at District and Gram Panchayat level for execution of action plan under the</p>	<p></p>

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
भटवाड़ी, उत्तरकाशी ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

संख्या 285 / वाचक / 2023

दिनांक 23 दिसम्बर, 2023

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution Application No 27/2023 in O.A. आवेदन संख्या-561/2022(M.A. No 54/2023) उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1583/21-एम0बी0/2021-22 दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून के पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0-183-600/2023/1055 दिनांक 28.11.2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution Application No 27/2023 in O.A. आवेदन संख्या-561/2022(M.A. No 54/2023) उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दुओं पर उपलब्ध/स्थापित व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश हैं । उक्त के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद बाड़ाहाट, उत्तरकाशी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गंगोत्री, उत्तरकाशी से उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी है ।

अतः अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद बाड़ाहाट, उत्तरकाशी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गंगोत्री, उत्तरकाशी से प्राप्त आख्या मूल में संलग्न कर सेवा में प्रेषित है ।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय,
उपजिलाधिकारी,
भटवाड़ी, उत्तरकाशी ।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बाड़ाहाट उत्तरकाशी।

पत्रांक 1284/21-विधि/2023-24 दिनांक 23 दिसम्बर, 2023

सेवा में

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution application No. 27/2023 in O.A आवेदन संख्या- 561/2022(M.a No. 54/2023), उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1583/21-एम.बी./2021-22 दिनांक 07 दिसम्बर 2023 के सन्दर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution application No. 27/2023 in O.A आवेदन संख्या- 561/2022(M.a No. 54/2023), उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया व अन्य के सम्बन्ध में है, आप द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत है:-

Action points	Action Taken
<p>Discouraging use of food and product packaged in non-biodegradable packaging material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.</p> <p>A. Penalty imposed against use of single use of plastic item. Details of challan and fine collected may also be given.</p> <p>B. Drive for banned plastic item undertaken.</p> <p>C. Details of QR code based DDRS implemented and total plastic waste collected and routed for recycling in Yatra season.</p> <p>D. Any other action in the regard .</p>	<p>नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट, उत्तरकाशी में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। उक्त के सम्बन्ध में निकाय द्वारा समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं।</p> <p>सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में समय-समय पर पोस्टर/बैनर/होर्डिंग्स आदि के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।</p> <p>उक्त बिंदु नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी से सम्बन्धित नहीं है।</p>
<p>Set up waste processing management facilities for biodegradable and non-biodegradable waste at appropriate location, using best practices on the subject</p>	<p>नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी के सभी 11 वार्डों 100 प्रतिशत घर-घर से कूड़ा पृथक-पृथक (जैविक व अजैविक) प्राप्त कर, एकत्रित किया जाता है। नगर क्षेत्र में अजैविक कूड़े को काम्पेक्ट किये जाने हेतु काम्पेक्टर मशीन स्थापित की गयी है। जिनमें अजैविक कूड़े को आईटमवाइज अलग-अलग करने के बाद काम्पेक्ट कर रिसाईकिलिंग कर विक्रय कर दिया जाता है। एवं जैविक कूड़े का निस्तारण कम्पोस्ट पिट्टर के माध्यम से किया जाता है।</p>
<p>A. No. of toilets provided along the Yatra routes (temporary or permanent) and their cleaning and waste disposal mechanism.</p>	<p>नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी में वर्तमान में 13 शौचालय(सुलभ/पर्यटन/नगर पालिका) के शौचालय निर्मित है। सभी शौचालयों के बाहर कंयर टेकर तैनात</p>

<p>B. No. of sewage treatment plant along the Yatra routes.</p>	<p>रहते हैं जो नियमित रूप से शौचालय की सफाई का कार्य करते हैं।</p> <p>निकाय क्षेत्रान्तर्गत 02 एम0एल0डी0 का 01 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित है।</p>
<p>C. Collection and disposal mechanism of dung generated by mules/equines.</p>	<p>उक्त बिंदु नगर पालिका बाड़ाहाट से सम्बंधित नहीं है।</p>
<p>D. Solid waste management along the Yatra routes and tracks.</p>	<p>सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी में नियमित/सविदा/नाला रेंग पर 64 चारधाम यात्रा हेतु 10 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात किये जाते हैं जो समय-समय पर सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं।</p>
<p>E. Segregation of plastic and other recyclable waste .</p>	<p>नगर क्षेत्र में अर्जैविक कूड़े को काम्पेक्ट किये जाने हेतु काम्पेक्टर स्थापित किया गया है। जिनमें अर्जैविक कूड़े को आईटमवाइज अलग-अलग करने के बाद काम्पेक्ट कर रिसाईकिलिंग के लिए विक्रय कर दिया जाता है।</p>
<p>F. Status of use banned single use plastic items. Monitoring mechanism of solid waste management</p>	<p>नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत कूड़ा पृथक-पृथक (जैविक व अर्जैविक) प्राप्त कर एकत्रित किया जाता है।</p>
<p>G. Any other action in this regard.</p>	<p>-</p>

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय,

अभिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
बाड़ाहाट-उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि-उप जिलाधिकारी भटवाड़ी/प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।


अभिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
बाड़ाहाट-उत्तरकाशी।



नगर पंचायत गंगोत्री, उत्तरकाशी

Email-conpgangotri@gmail.com



पत्रांक २१७/रिट/2023-24

दिनांक २१ दिसम्बर, 2023

सेवा में

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

२१
२१
SDM

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution application No. 27/2023 in O.A आवेदन संख्या- 561/2022(M.a No. 54/2023), उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1583/21-एम.बी./2021-22 दिनांक 07 दिसम्बर 2023 के सन्दर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution application No. 27/2023 in O.A आवेदन संख्या- 561/2022(M.a No. 54/2023), उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में है, आप द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत है-

Action points	Action Taken
<p>Discouraging use of food and product packaged in non-biodegradable packaging material, encourage waste disposal at designated places and involve citizen in maintaining cleanliness and hygiene.</p> <p>A. Penalty imposed against use of single use of plastic item. Details of challan and fine collected may also be given.</p> <p>B. Drive for banned plastic item undertaken.</p> <p>C. Details of QR code based DDRS implemented and total plastic waste collected and routed for recycling in Yatra season.</p> <p>D. Any other action in the regard .</p>	<p>नगर पंचायत गंगोत्री में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित हैं। उक्त के सम्बन्ध में निकाय द्वारा समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं।</p> <p>सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में समय-समय पर पोस्टर/बैनर/होर्डिंग्स आदि के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाये जाते हैं।</p> <p>उक्त बिंदु नगर पंचायत गंगोत्री से सम्बंधित नहीं है।</p>
<p>Set up waste processing management facilities for biodegradable and non-biodegradable waste at appropriate location, using best practices on the subject</p>	<p>नगर पंचायत गंगोत्री को सभी 4 वार्डों 100 प्रतिशत घर-घर से कूड़ा पृथक-पृथक (जैविक व अजैविक) प्राप्त कर, एकत्रित किया जाता है। गंगोत्री नगर क्षेत्र में अजैविक कूड़े को काम्पेक्ट किये जाने हेतु काम्पेक्टर मशीन स्थापित की गयी है। जिनमें अजैविक कूड़े को आईटमवाइज अलग-अलग करने के बाद काम्पेक्ट कर रिसाईकिलिंग के लिए दिक्कत कर</p>

	दिया जाता है। एव जैविक कूड़े का निस्तारण कम्पोस्ट पिट्ट के माध्यम से किया जाता है।
A. No. of toilets provided along the Yatra routes (temporary or permanent) and their cleaning and waste disposal mechanism.	नगर पंचायत गंगोत्री में वर्तमान में 06 शौचालय(सुलभ/पर्यटन/नगर पंचायत) के शौचालय निर्मित हैं। सभी शौचालयों के बाहर क्रेयर टेकर तैनात रहते हैं जो नियमित रूप से शौचालय की सफाई का कार्य करते हैं।
B. No. of sewage treatment plant along the Yatra routes.	गंगोत्री घाट में 01 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित है।
C. Collection and disposal mechanism of dung generated by mules/equines.	उक्त बिंदु नगर पंचायत गंगोत्री से सम्बंधित नहीं है।
D. Solid waste management along the Yatra routes and tracks.	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत नगर पंचायत गंगोत्री में 25 सफाई कर्मचारी तैनात किये जाते हैं जो समय-समय पर सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं।
E. Segregation of plastic and other recyclable waste .	गंगोत्री नगर क्षेत्र में अजैविक कूड़े को कार्पेस्ट किये जाने हेतु कार्पेक्टर स्थापित किया गया है। जिनमें अजैविक कूड़े को आईटम्बलूज अलग-अलग करने के बाद गान्घेट कर रिसाईकिलिंग के लिए विक्रय कर दिया जाता है।
F. Status of use banned single use plastic items. Monitoring mechanism of solid waste management	नगर पंचायत गंगोत्री में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत कूड़ा पृथक-पृथक (जैविक व अजैविक) प्रायः कर , एकत्रित किया जाता है।
G. Any other action in this regard.	-

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीया,



अभिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत गंगोत्री,
उत्तरकाशी।

RN-2171
26/12/2023

कार्यालय जिला पंचायत, उत्तरकाशी

निकट विकास मवन लडाडी

email:- zilapanchayatuki@yahoo.in

पत्रांक:- 2895/घ-कर अनु0/2023-24
सेवा में,

04LBC/1111 दिनांक: 21/12/2023.

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी

उत्तरकाशी 21/12/23

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल Execution Application No. 27/2023
in O.A. आवेदन संख्या - 561/2022(M.A No. 54/2023, उर्वशी शोबना कछारी
बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1583/21-एम.वी./2021-22 दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या - यूकेपीसीबी/एचओ/सां०183-600/2023/1055 दिनांक 28.11.2023 जिसके द्वारा मठ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित Execution Application No. 27/2023 in O.A. आवेदन संख्या - 561/2022(M.A No. 54/2023, उर्वशी शोबना कछारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दुओं पर उपलब्ध/स्थापित व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देशों के अनुपालन में जिला पंचायत उत्तरकाशी द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत प्रस्तुत है:

Action Points	Action Taken
1. Status of Action Plan.	
(i) Limiting Number of vehicles and type of vehicles, number of tourists consistent with the carrying capacity of eco-sensitive areas. Additional information about following points be given: a) Available parking area for vehicles. b) Process of registration of pilgrims/tourists. c) Any other action in this regard.	Points is not related to District Panchayat
(ii) Restricting number of equine/mules consistent with the carrying capacity of eco-sensitive area: Additional information about following points be given: a) Nos. of Mules/Equines registered	(ii) यूके सेन्सिटिव जोन के आन्तर्गत प्रत्येक घोड़ा, खच्चर हेतु 80 किलोग्राम से अधिक सामान लादने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि कोई घोड़ा, खच्चर चालक इससे अधिक सामान घांट, खच्चर के ऊपर लादा पाया गया तो उसे चालान करने की प्रक्रिया जिला पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत है। अर्थात् उससे अर्थादण्ड लेकर भविष्य में संचालन पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है। a) जिला पंचायत द्वारा 3909 घोड़ा/खच्चर का

<p>and process of registration.</p> <p>b) Provisions of ear tagging and veterinary Checkup.</p> <p>c) Mechanism of limiting the number fo mules/equines in Yatra routes.</p> <p>d) Compliance status of SOP issued by Animal Husbandry Section. Government of Uttarakhand vide ref. No. 775/XV-1/23/4(12)22 dated 01.05.2023.</p> <p>e) Disposal mechanism of carcass of dead mule/equines and its monitoring mechanism.</p> <p>f) Any other action in this regard.</p>	<p>रजिस्ट्रेशन किया गया है।</p> <p>b) यात्रा मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक घोड़ा/खच्चर की टैगिंग की जाती है तथा प्रतिदिन पशु चिकित्सक द्वारा घोड़ा/खच्चर का परीक्षण किया जाता है।</p> <p>c) यात्रा मार्गों पर उन्हीं घोड़ा/खच्चरों को चलाने की अनुमति प्रदान की जाती है जो स्वस्थ हो तथा जिनका पंजीकरण किया गया हो अपंजीकृत घोड़ा/खच्चर को किसी भी स्थिति में यात्रा मार्ग पर संवाहन की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त वेरियर पर जिला पंचायत, पशुपालन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मियों की टीम तैनात रहती है जो घोड़ा/खच्चर की अनुमानित संख्या को यात्रियों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित करते हैं।</p> <p>d) पशुपालन विभाग से संबंधित है।</p> <p>e) मृत हुये पशुओं को दफनाने हेतु जिला पंचायत एवं पशुपालन विभाग दोनों की देख रेख में मृत पशु हेतु गड्ढे तैयार किया जाता है तत्पश्चात उसमें ब्लीचिंग पाउडर एवं नमक को मिश्रित मात्रा में डालकर मृत घोड़े को दफनाया जाता है।</p> <p>f) इस सम्बन्ध में अद्यतन कराना है की यात्रा मार्गों पर यात्राकाल के दौरान जिला पंचायत के कार्मिक पूर्णकालिक तैनात रहते है तथा यात्रा सम्बन्धि गतिविधियों पर निगरानी रखते है इसके अतिरिक्त समय-समय पर उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा यात्रा संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया जाता है।</p>
<p>2. Review and plan infrastructure for:</p>	
<p>i) Waste management.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a) Nos. of toilets provided along the Yatra routes (temporary or permanent) and their cleaning and waste disposal mechanism.</p>	<p>j) जिला पंचायत के द्वारा यात्रा मार्गों पर कूड़ेदान स्थापित किये जाते है जैविक अर्जेबिक कूड़े के निस्तारण हेतु अलग से व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। घोड़े/खच्चरों की लीद हेतु लीड कैंच पिट तैयार किये गये है यात्रा मार्गों पर 15 से अधिक ठोस अपशिष्ट कलेक्शन सेन्टर तैयार किये गये है कलेक्शन सेन्टर से ठोस अपशिष्ट को बोरियों में भरकर कम्पेक्टर मशीन में ले जाया जाता है, जहां उसके कम्पोस्ट बेल बनाकर रिसाईविलिंग प्लान्ट में ले जाया जाता है।</p> <p>a) यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर 85 शौचालय तैयार किये गये है तथा गंगोत्री मार्ग पर 37 शौचालय बनाये गये है। यमुनोत्री मार्ग पर 85 परमानेंट शौचालय तथा टैम्पोरेरी शौचालय नहीं है। इस प्रकार गंगोत्री मार्ग पर स्थाई/अस्थायी शौचालयों की संख्या निम्नवत है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्थाई शौचालय- 32 2. अस्थायी शौचालय- 05


<p>b) <i>Nos. of sewage treatment plants along the Yatra routes.</i></p> <p>c) <i>Collection and disposal mechanism of dung generated by mules/equines.</i></p> <p>d) <i>Solid Waste management along the Yatra routes and tracks.</i></p> <p>e) <i>Segregation of plastic and other recyclable waste.</i></p> <p>f) <i>Status of use of banned Single Use Plastic items. Monitoring mechanism of Solid Waste Management.</i></p> <p>g) <i>Any other action in this regard.</i></p>	<p>इन शौचालयों/विभिन्न स्थलों में सफाई हेतु 103 सफाईकर्मी यात्रा मार्ग पर तैनात किये गये हैं। जो यात्रा के दौरान हर समय तैनात रहते हैं तथा घोड़े/खच्चरों की लीद या कोई कूड़ा दिखने पर तत्काल साफ किया जाता है। यात्रा मार्ग पर किसी भी स्थिति में ना० हरित प्रधिकरण द्वारा सुझाये गये पर्यावरण संरक्षण नियमों का हनन न होने पावे।</p> <p>b) यात्रा मार्गों पर जिला पंचायत के द्वारा कोई सीवेज प्लान्ट नहीं बनाये गये हैं।</p> <p>c) घोड़े /खच्चरों से प्राप्त लीद को तत्काल मार्ग से हटाने हेतु पर्याप्त मात्रा में स्वच्छकों की तैनाती की जाती है जैसे ही घोड़े/खच्चर लीद खालता है वैसे ही स्वच्छक द्वारा उसे लीद पिट में डाला जाता है क्योंकि प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर एक स्वच्छक तैनात किया जाता है।</p> <p>d) Solid waste management हेतु जिला पंचायत द्वारा जगह-जगह कूड़ेदान लगाये गये हैं इन कूड़ेदानों का कूड़ा इकट्ठा कर संग्रहण केन्द्रों तक पहुँचाया जाता है जहाँ कूड़े को काम्पेक्टर मशीन में रिसाइकिल किया जाता है।</p> <p>e) प्लास्टिक को अलग करने हेतु अन्य कूड़े से अलग किया जाता है तथा अलग कार प्लास्टिक की बेल तैयार की जाती है।</p> <p>f) सिंगल यूज प्लास्टिक पर एकदम बैन लगाया है यदि किसी को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुये पाया गया तो उससे अर्धदण्ड वसूल किया जाता है इस प्रकार प्रायः सिंगल यूज प्लास्टिक का यात्रा प्रकार प्रायः सिंगल यूज प्लास्टिक का यात्रा मार्गों पर प्रयोग नहीं होता है यात्रा मार्गों पर प्लास्टिक का प्रयोग न हो इस हेतु पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, जिला पंचायत तथा अन्य कार्मिकों की तैनाती की जाती है। तथा समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती रहती है।</p> <p>g) इस सम्बन्ध में सॉलेड वेस्ट के निदान हेतु समय-समय पर प्राणीकृत कार्मिकों द्वारा जनता को जैविक अजैविक कूड़े की जानकारी नुककड मीटिंगों के माध्यम से दी जाती है तथा हांडिंग, पम्पलेंट, बाल सर्दितिग द्वारा भी जनता को जागरूक किया जाता है।</p>
<p>ii) <i>Fast disposal of dead mules and other measures for protection of flora and fauna.</i></p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. <i>Disposal mechanism of dead</i></p>	<p>ii) वनस्पति के संरक्षण हेतु मृत घोड़े/खच्चरों को दफनाया जाता है इसके अतिरिक्त वनस्पति को नुकसान न हो हेतु सावधानी पूर्वक कूड़े का निस्तारण किया जाता है।</p> <p>a) मृत घोड़े खच्चरों को तत्काल दफनाया जाता है</p>

<p><i>mules/equines in order to ensure fast, safe and environment friendly disposal.</i></p> <p>b. Identification burial site (s) for disposal of dead mules/equines.</p> <p>c. Monitoring mechanism of such disposal of dead mule/equines.</p> <p>d. In case of violation, penalty provisions and responsible authority for the same. In case of penalty imposed, details may be given.</p> <p>e. Estimated cost of disposal of dead mules/equines and Budgetary provisions for the same.</p> <p>f. Any other action in this regard.</p>	<p>इस हेतु गड्डे तैयार कर उसमें ब्लीचिंग पाउडर एवं नमक की समुचित मात्रा डाल दी जाती है। ताकि मृत पशु त्वारित एवं सुरक्षित ढंग से दफनाया जा सकें।</p> <p>b) मृत पशुओं को दफनाने के लिये स्थान का चिन्हीकरण किया जाता है दफनाये जाने वाला स्थान भीड़भाड़ वाले स्थान से दूर बनाया जाता है तथा यहाँ पर बनस्पति को भी संरक्षित करने का ध्यान रखा जाता है।</p> <p>c) मृत पशुओं को दफनाने हेतु पशुपालन विभाग व जिला पंचायत को संयुक्त टीम गठित की जाती है, यह टीम समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर दफनाने का कार्य करती हैं।</p> <p>d) यदि किसी पशुपालक द्वारा मृत पशुओं का ससमय दफनाना न पाया गया तो जिला पंचायत उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगा सकता है/लगाता है।</p> <p>e) मृत पशुओं को दफनाने में लगभग 5000/रु० प्रति पशु व्यय आता है इस पर होने वाला व्यय जिला पंचायत वहन करता है।</p> <p>f) मृत पशुओं को तत्काल दफनाने हेतु क्षेत्रीय जंगल को भी समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है तथा इससे पर्यावरण/प्रकृति को कोई क्षति न हो, फलस्वरूप तत्काल दफनाने का सुझाव दिया जाता रहता है।</p>
<p>iii) Safety precautions and determining CCTV camera locations.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Safety precautions and monitoring mechanism.</p> <p>b. Details of CCTV/cameras/ provided and monitoring mechanism of and reporting structure.</p> <p>c. Control Room and its operation.</p> <p>d. Action taken on CCTV footages may be given.</p> <p>e. Uses of Mobile App, if any.</p> <p>f. Any other action in this regard.</p>	<p>Points is not related to District Panchayat</p>
<p>iv) Preparing SOP and display boards with DOS and Don'ts.</p>	

<p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Details of Display Boards/Sign boards provided along the Yatra routes.</p> <p>b. Formulation of SOP for information dissemination.</p> <p>c. Any other action in this regard</p>	<p>Points is not related to District Panchayat</p>
<p>v) Demarcation of areas where activities incompatible with environment are prohibited /regulated.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Effective demarcation of restricted area along the Yatra track.</p> <p>b. Monitoring mechanism of any pilgrims/tourist in restricted areas.</p> <p>c. Provisions of penalty against violators. Details of penalty imposed, if any.</p> <p>d. Any other action in this regard.</p>	<p>Points is not related to District Panchayat</p>
<p>iv) Source of funds to sustain regulatory measures, traffic management at suitable locations, compliance of environmental norms including Water Act, Air Act & E (P) Act.</p> <p>Additional information about following points be given:</p> <p>a. Status of budgetary provisions for waste management, liquid waste management, traffic management, mules/ equines management etc.</p> <p>b. Any other action in this regard.</p>	<p>Points is not related to District Panchayat</p>
<p>v) Imparting awareness and education to tourists, inhabitants</p>	

Management facilities for biodegradable and non-biodegradable waste at appropriate locations, using best practices on the subject.	हेतु समुचित कूडेदानों की स्थापना तथा कूडेदानों का कूड़ा कलेक्शन सेन्टर तक ले जाना व प्लास्टिक के कूडे से बेल तैयार करने का कार्य नियत स्थान व नियत समय पर ही किया जाता है।
<i>Already covered in Sr.No.2(i).</i>	
6. Allocate requisite funds at District and Gram Panchayat level for execution of action plan under the final; supervisions of Chief Secretary.	Points is not related to District Panchayat
7. Any Other information :	Points is not related to District Panchayat

भवदीय,



अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र/यात्रा कन्ट्रोल रूम द्वारा यात्रियों को सुरक्षित/सुगम यात्रा करवाये जाने हेतु निम्न कार्यवाही की गयी है।

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र- जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित है कन्ट्रोल रूम को 7X24 घंटे कार्यशील रखते हुये पर्याप्त कार्मिकों की तैनाती की गयी है।

चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं में प्राप्त सुझावों/शिकायतों का निस्तारण :- जनपद में चारधाम यात्रा के सफल संचालन हेतु आपातकालीन परिचालन केन्द्र में यात्रा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अपर जलाधिकारी, उत्तरकाशी को यात्रा कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निवारण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया। यात्रा कन्ट्रोल रूम में टोल-फ्री नं० 1077 के साथ-साथ अन्य दूरभाष नं०- 01374222722, 222126 मो०नं०-7500337269 एवं 7310913129 स्थापित किये गये हैं। यात्रा कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों/सुझावों के लिये एक रजिस्टर तैयार किया गया। उक्त दूरभाष टोल-फ्री नंबर एवं ई-मेल आई०डी० से सम्बन्धित पम्पलेट एवं होल्डिंग तैयार किया गया है। उक्त पम्पलेटों को बाहनों, होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर वस्था किया जावेगा। उक्त के अतिरिक्त फंसबुक आदि पेज तैयार कर प्रचार-प्रसार किया गया। इसी प्रकार विभिन्न दुर्घटनाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचना पंजीकरण पंजीका में दर्ज कर यात्रा व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार हेतु उक्त सूचनाओं/सुझावों का संज्ञान सक्षम स्तर से लिया गया। कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों/सुझावों को विभागीय नोडल अधिकारी/सेक्टरवार नामित अधिकारियों को प्रेषित कर उराकी निस्तारण आख्या प्राप्त की गयी। यमुनोत्री यात्रा के सफल संचालन हेतु उप जिलाधिकारी बड़वोट के अधीन एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया। जिसमें स्थानीय स्तर पर शिकायत/सुझाव को पंजीकरण कर निस्तारण किया जावेगा।

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में बी०एस०एन०एल के अतिरिक्त विभिन्न नेटवर्क के मोबाईल नम्बर निम्न विवरणानुसार सम्पर्क हेतु उपलब्ध हैं। टोल फ्री नम्बर 1077 का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

यात्रा कन्ट्रोल रूम में शिकायत निवारण एवं अन्य व्यवस्था हेतु निम्न दूरभाष नम्बर क्रयाशील है-

Phone: +91-1374-222722, 222126, 1077 (Toll free).
FAX: +91-1374-222722

(Off) Mobile:-> 917500337269 (Idea)+917252887587(Vodafone) 917310913129(Airtel)

Email-ddmattarkashi@gmail.com,

- (1) श्री गंगोत्री/यमुनोत्री धारों के मार्गों के संवेदनशील स्थानों की चिन्हित अद्यतन रखी गयी तथा यात्रा अवधि में अपरुद्ध सड़क मार्गों को खोलने के लिये लो.नि.वि., सीमा सड़क संगठन, पी.एम.जी.एस.वाई, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि. के पास विभागीय जे.सी.बी., डोजर तथा टिप्पर की सूची संकलित की गयी। निजी कम्पनियों व स्वामियों के पास उपलब्ध मशीनरी उपकरणों की सूची आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध है तथा सम्बन्धित मशीन ऑपरेटरों आदि का विवरण संकलित रखा गया है मार्ग बाधित होने पर कन्ट्रोल रूम द्वारा तत्काल सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है तथा नियमित निगरानी की जाती है।
- (2) जनपद में एस०डी०आर०एफ०, आई०टी०बी०पी०, सेना, पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रशिक्षित टीमों एवं जनपदीय अधिकारियों, एन०सी०टी०, एन०एस०एस०, स्काउट गार्ड तथा पी०आर०आई०एस० तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों की दूरभाष सहित सूची उपलब्ध है।
- (3) आपात स्थिति में प्रयोग में आने वाले अस्थायी हैलीपैड चिन्हित किये गये हैं। उनके कॉर्डिनेट्स कान्ट्रोल रूम में उपलब्ध है।
- (4) विद्युत व्यवस्था बाधित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत आपातकालीन परिचालन केन्द्र, पुलिस थानों/चौकियों/अग्निशमन केन्द्र तथा राहसील स्तर पर सर्व लाईट/अस्का लाईट, जनरेटर आदि उपलब्ध। इसके अतिरिक्त गंगोत्री एवं यमुनोत्री मन्दिर समिति को भी अस्का लाईट उपलब्ध है इसके अतिरिक्त समस्त थानों/पुलिस चौकियों के पास खोज-बचाव उपकरण उपलब्ध है। यात्रा काल में गंगोत्री, जानकीबट्टी आदि स्थानों पर एस०डी०आर०एफ० की तैनाती की जाती है।
- (5) कन्ट्रोल रूम द्वारा धारों एवं यात्रा के प्रमुख पड़ावों पर स्थापित सी०सी०टी०वी० से नियमित से साफ-सफाई, पेयजल/विद्युत आदि आवश्यक व्यवस्थाओं/भीट-भाव वाले स्थानों/संवेदनशील स्थानों की निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त शौचालयों आदि की नियमित साफ-सफाई आदि समस्त व्यवस्थाओं हेतु सम्बन्धित नोडल/विभागीय अधिकारी से समन्वय किया जाता है।

कन्ट्रोल रूम द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से सम्बन्ध कर सुलभ यात्रा व्यवस्था हेतु नामित अधिकारियों की चैक लिस्ट उपलब्ध करायी गयी तथा उक्त बिन्दुओं की दैनिक सूचना प्राप्त की गयी। :-

क्र.सं.	व्यवस्था	जाँच हेतु मुख्य बिन्दु
01	मार्ग एवं यातायात व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> मार्ग बाधित होने के सम्बन्ध में सूचना/कार्यवाही संबंधित स्थानों में आवश्यक मशीनों, मजदूरों एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता घरिनिंग व्यवस्था पर्याप्त संख्या में सूचना बोर्ड/संसाधनों की जानकारी के सम्बन्ध में सूचना यातायात व्यवस्था एवं उक्त हेतु तैनात कर्मियों की उपलब्धता
02	पेयजल व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> शुद्ध पेयजल उपलब्धता छराब/बन्द पड़े हुए/स्टैंड पोस्ट की सूचना पेयजल उपलब्धता के स्थान के आसपास सफाई व्यवस्था
03	विद्युत व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सोलर लाईट/स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था सुनसान व जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था
04	दूरसंचार व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> मोबाइल कनेक्टिविटी/इंटरनेट सेवा की उपलब्धता
05	स्वास्थ्य व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार
06	खाद्य आपूर्ति एवं होटल आदि में व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> मार्ग के विभिन्न पड़ावों में होटल/रेस्टोरेन्ट/धर्मशालाओं आदि के दर सूची का सम्बन्धितों द्वारा सत्यापन होने की जाँच दर सूची का धन्य होना खाद्य पदार्थों के ताजा होने/नियत दरों पर उपलब्ध होने/गुणवत्ता परीक्षण होटल/रेस्टोरेन्ट/धर्मशालाओं की सफाई व्यवस्था होटल/रेस्टोरेन्ट/धर्मशालाओं में कार्यरत कर्मियों का सम्बन्धितों द्वारा सत्यापन होने की जाँच
07	शौचालय व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> शौचालयों में पानी की व्यवस्था शौचालय में सफाई/कीटनाशक आदि की व्यवस्था सफाई कर्मियों की उपलब्धता/उपस्थित पंजिका का निरीक्षण शिकायत पंजिका/शिकायत दूरभाष नम्बर की उपलब्धता एवं प्रचार प्रसार
08	बैकिंग व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> फैस की उपलब्धता सुखा/सहायता कर्मियों की उपलब्धता FOOD/DRINK के आसपास सफाई की व्यवस्था
09	स्वच्छता व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> सफाई कर्मियों की उपलब्धता/उपस्थित पंजिका का निरीक्षण सफाई कर्मियों के पास आवश्यक सफाई उपकरण/सामग्री की उपलब्धता क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सफाई में स्थानीय समुदाय/व्यवसायों की सहभागिता
10	वाहन व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> पर्याप्त वाहनों की उपलब्धता/स्वच्छता टैक्सी/बस स्टेशन पर दर सूची का धन्य होना नियत किराये के सम्बन्ध में जाँच
11	शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> बायोमेट्रिक पंजिकरण व्यवस्था बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों में सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता घातों के स्थान घातों के स्थान हेतु सुरक्षा व्यवस्था ठगड़ी-कन्डी/घोड़ा-खान आदि में सुरक्षा व्यवस्था
12	यात्रा सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार प्रसार व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न समाचार मध्यमों व सोशल मिडिया में यात्रा सम्बन्धित शिकायतों का संज्ञान

श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम तथा प्रमुख यात्रा पड़ाव पर अधिष्ठापित सी.सी.टी.वी.कैमरों का विवरण।

क्र० सं०	थाना	मॉनिटरिंगकेन्द्रकानाम	कैमरों की संख्या	कैमरोंकास्थान	वर्तमान स्थिति	अन्य विवरण
1	पुलिस चौकी, गंगोत्री/थाना हरिबल	पुलिस चौकी गंगोत्री/पुलिस कंट्रोल रूम उ० काशी/जिला कार्यालय	12 IP Camera	मंदिर परिसर/स्नान घाट/गंगोत्री पार्किंग	अकार्यशील	चारधाम यात्रा के दृष्टिगत श्री गंगोत्री धाम उ०काशी में अधिष्ठापित कैमरों को यात्रा अवधि तक अनुक्षण सहित अनुक्षण/रिप्लेसिंग मय इंटरनेट/ऑनलाईन लाइव कनेक्टिविटी/रिकार्डिंगकर मॉनिटरिंग केन्द्र में कराई जाती है तथा नियमित निगरानी की जाती है।
2	पुलिसचौकी यमुनोत्री/थाना बडकोट।	पुलिस चौकी, जानकी घट्टी एवं कार्यालय उप जिलाधिकारी बडकोट, पुलिस कन्ट्रोल रूम, उत्तरकाशी एवं जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।	09 IP Camera	मंदिर परिसर यमुनोत्री/स्नान घाट/यमुनोत्री पैदल मार्ग	अकार्यशील	
योग			21			

क्र०सं०	पुलिस थाना/चौकी	मॉनिटरिंग केन्द्र का नाम	सी.सी.टी.वी. कैमरों हेतु चिन्हित स्थल	IP Camera कैमरों की संख्या	अन्य विवरण
01	पुलिस चौकी जानकी घट्टी/थाना बडकोट	पुलिस चौकी, जानकी घट्टी एवं कार्यालय उप जिलाधिकारीबडकोट, पुलिसकन्ट्रोल रूम, उत्तरकाशी एवं जिलकार्यालय, उत्तरकाशी/जनपद आपातकालीन परिचाल केन्द्र	यमुनोत्री धाम वन विभाग वैकल्पिक पैदल मार्ग डाइवर्जन पर	01	चारधाम यात्रा के दृष्टिगत श्री गंगोत्री धाम उ०काशी में अधिष्ठापित कैमरों को यात्रा अवधि तक अनुक्षण सहित अनुक्षण/रिप्लेसिंग मय इंटरनेट/ऑनलाईन लाइव कनेक्टिविटी/रिकार्डिंगकर मॉनिटरिंग केन्द्र में कराई जाती है तथा नियमित निगरानी की जाती है।
02			शिव शक्ति पार्किंग, जानकीघट्टी	01	
03			मेन पार्किंग जानकीघट्टी	01	
04			पटवारी चौकी, जानकीघट्टी	01	
05			डण्डी-कण्डी पंजीकरण केन्द्र, जानकीघट्टी	01	
06			पुलिसचौकी के पास, जानकीघट्टी	01	
07			स्यानाघट्टी	01	
08			पालीगाड	01	
09			खरादी पुलिस बैरियर	01	
10			दोबाटा	02	
11			डामटा पुलिस चौकी	01	
12			जिला पंचायत बैरियर, डामटा	01	
कुल योग-				13	



श्रीगंगोत्री धाम					
क्र०सं०	पुलिस थाना/ चौकी	मॉनिटरिंग केंद्र का नाम	सी.सी.टी.वी कैमरों हेतु चिन्हित स्थल	IP Camera के मरो की संख्या	अन्य विवरण
1	थाना धरासू	पुलिस कंट्रोल रूम उ० काशी एवं जिला कार्यालय, उत्तरकाशी एवं जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र	नगुण बेरियर	02	चारधाम यात्रा के दृष्टिगत श्री गंगोत्री धाम उ०काशी में अधिष्ठापित कैमरों को यात्रा अवधि तक अनुरक्षण सहित अनुरक्षण/रिप्लेसिंग मय इन्टरनेट/ऑनलाईन लाइव कनेक्टिविटी/रिकार्डिंगकर मॉनिटरिंग केंद्र में कराई जाती है तथा नियमित निगरानी की जाती है।
2			धरासू बैण्ड	02	
3	थानाकोतवाली		पंजीकरण केंद्र, हीना	02	
			कुल योग-	06	

चारधाम यात्रा प्रबन्धन एवं मानसूनकाल में सम्भावित आपदा के दृष्टिगत गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एवं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन/पहाड़ी से पत्थर गिरने वाले सम्भावित स्थानों एवं वाहन दुर्घटना हेतु संवेदनशील स्थानों पर सावधानी सम्बन्धित रिट्रो बोर्ड लगवाये गये हैं।

क्र. सं.	विभाग	मार्ग का नाम	स्थान जहाँ पर बोर्ड लगवाया जाना है।	बोर्ड का प्रकार	बोर्ड की संख्या
1	72 आर०सी०सी	धरासू-गंगोत्री	1- विशनपुर (सैज) 2- हेल्लुगाड	भूस्खलन/पहाड़ी से पत्थर गिरने की सम्भावना सम्बन्धी	04
2	1442 वी०सी०सी	ऋषिकेश-धरासू	धरासू पुराना थाने-धरासू बैड के बीच 1- धरासू बैड, चिन्यालीसौड की ओर 2- बन्दरकोट	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र सम्बन्धी भूस्खलन/पहाड़ी से पत्थर गिरने की सम्भावना सम्बन्धी	02 04
3	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लौ०नि०वि० बडकोट।	यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	डामटा 1-धरासू बैड- ब्रम्हखाल की ओर 2-ओजरी (डाबरकोट)	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र सम्बन्धी भूस्खलन/पहाड़ी से पत्थर गिरने की सम्भावना सम्बन्धी	02 04
योग					16

श्री गंगोत्री धाम, प्रमुख पहाड़ तथा यमुनोत्री धाम सड़क एवं पैदल मार्ग पर यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व एवं यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु एवं यात्रा सम्बन्धी आवश्यक जानकारी/सुविधाओं के दृष्टिगत पार्किंग आदि व्यवस्थाओं तथा जन सुविधाओं एवं यात्रा के दौरान क्या करें, क्या न करें, प्राथमिक उपचार एवं कूड़ा निस्तारण व स्वच्छता सम्बन्धित होर्डिंग्स व बोर्ड लगाये गये हैं-

क्र.सं.	स्थान	विवरण
1	हीना, मैरवघाटी एवं गंगोत्री धाम में होर्डिंग्स	हीना में यात्रा मार्ग सम्बन्धी मेप 12X8.4 फीट पोल सहित
2	गंगोत्री में घाट, बाजार, मुख्य गेट, रैथल मार्ग एवं हीना में यात्रा सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी सम्बन्धी कुल 05 बोर्ड	यात्रा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी के सम्बन्ध फ्रेम युक्त बोर्ड (साईज-4X3 फीट)
3	गंगोत्री में ईलीपैड, पार्किंग, बाजार, मैरवघाटी, गंगनानी एवं हीना में कूड़ा निस्तारण सम्बन्धी कुल 06 बोर्ड	कूड़ा निस्तारण सम्बन्धी फ्रेम युक्त बोर्ड (साईज-4X3 फीट)
4	दुबाटा में 02 एवं जानकीचट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग-01 कुल 03 होर्डिंग्स	यात्रा मार्ग सम्बन्धी मेप-01 व सामान्य जानकारी सम्बन्धी-02 होर्डिंग्स (12X8.4 फीट पोल सहित)
5	दुबाटा, खशवी, स्थानाचट्टी, फूलचट्टी एवं जानकीचट्टी प्रारम्भ में पैदल मार्ग के पास, आगे पैदल मार्ग व पुलिस चौकी के पास यात्रा सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी सम्बन्धी कुल 07 बोर्ड	यात्रा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी के सम्बन्ध बोर्ड (साईज- 4X3 फीट)
6	दुबाटा, स्थानाचट्टी, हनुमानचट्टी, फूलचट्टी, जानकीचट्टी पुलिस चौकी व जानकीचट्टी पैदल मार्ग गेट पर कूड़ा निस्तारण सम्बन्धी कुल 06 बोर्ड	कूड़ा निस्तारण सम्बन्धी बोर्ड (साईज-4X3 फीट)
7	जानकीचट्टी प्रवेश पर, घोडा पंजीकरण सेन्टर-2 स्थानों पर, डण्डी-कण्डी पंजीकरण सेन्टर, पुलिस चौकी, यमुनोत्री पैदल मार्ग पर, जानकीचट्टी कुल 06 बोर्ड	जिला पंचायत द्वारा निर्धारित डण्डी-कण्डी दर सूची सम्बन्धी बोर्ड (साईज-6X4.5 फीट)
8	पैम्पलेट्स (8.5x11 Inc)	20000 नग प्राप्त किये।
10	पैनड्राइव 16 GB	श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम, पैदल मार्ग, जानकीचट्टी, डामटा व दोबाटा आदि स्थानों पर यात्रियों की सुविधा हेतु आवश्यक जानकारी को ऑडियो तैयार कर संचालित किये गये।
11	फीडबैक फार्म (100 पेज)	जिला पंचायत, पुलिस व प्रशासन हेतु आपूर्ति किये गये।

आवासीय व्यवस्था- जनपद में स्थित श्री यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम एवं यात्रा मार्ग के विभिन्न प्रमुख पहाड़ों पर पुलिस सहायता, स्वास्थ्य आदि व्यवस्थाओं तथा यात्रा वाहन थालकों व आपात स्थित में अस्थायी आवासीय सुविधाओं के दृष्टिगत गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी, बडकोट एवं जानकीचट्टी में टेंट लगाये गये तथा उक्त ठहरने मैट्रेस, कम्बल, बैडसीट तकिया आदि आपूर्ति की गयी। जिसमें लगभग 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गयी।


आपदा प्रबन्धन अधिकारी
जनपद- उत्तरकाशी

To,

District Administration Uttarkashi
Uttarakhand

Subject: Release of Unredeemed Deposit accumulated under Deposit Return System in Yamunotri and Gangotri during Yatra period.

Respected Sir,

We are writing this letter in reference to our Memorandum of Understanding dated 29 July 2022 for implementation of Digital Deposit Return System in Chardham Yatra.

In this regard, we would like to highlight that we have successfully implemented the DRS in the area of Kedarnath Temple Pilgrimage and against the said implementation, we have incurred expense of Rs. 1.02 Crores for financial year 2022-23 and FY 2023-24.

In reference to clause 1.12 of the MOU, It is been agreed that all the administration charges for the implementation of Deposit Return System shall be deducted from unredeemed balance.

Hence in this regard, we request you to release the unredeemed deposit amount of Rs.7,23,610/- (Rupees Seven Lakhs Twenty Three Thousand Six Hundred and Ten Only) accumulated, for the part recovery of expenses towards the implementation and operation of DRS. Details of Unredeemed deposit are as follows:

FY	Project Location	QR Codes issued	Refundable Deposit Collected	Retailer/ Wholesaler Cashback	Returned to Customers	Unclaimed Refundable Deposit (Balance)
2023-2024	Yamunotri-Gangotri	2,23,900	22,39,000	1,18,900	13,96,490	7,23,610
	Total	2,23,900	22,39,000	1,18,900	13,96,490	7,23,610

We thank you to providing the opportunity to implement the project and looking forward for support to continue the project in future.

Regards
For Rapidue Technologies Private Limited

(Vijay Vadparthi)
Chief Financial Officer



Rapidue Technologies Private Limited

Corporate Office
Sy. No. 134/2, Platinum street,
Whitefield, Opp. SLN Terminus, Gachibowli,
Hyderabad, Telangana - 500 032.

CIN : U72300TG2015PTC101913

Registered Office
#401, Janardana Plaza,
Lumbini Enclave, Gachibowli,
Hyderabad, Telangana - 500 032.

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

ENVIRONMENTAL AWARENESS DURING CHAR DHAM YATRA 2023



Team Uttarkashi



Team Rishikesh



Team Rudraprayag

